एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 15585/2010
जागो जनता सोसायटी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य

दिनांक – 31.5.2017

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री महेशचन्द्र शर्मा</u>

Rajasthan High Court Web Copy Not Official सत्यमेव जयते

श्री सज्जन राज सुराना, वरिष्ठ अधिवक्ता मय श्री संजय यादव अधिवक्ता कोर्ट कमिश्नर उपस्थित
श्री पूनम चन्द भण्डारी, श्री ललित शर्मा, श्री विजय सिंह पूनियां, अधिवक्तागण वास्ते प्रार्थी उपस्थित
श्री जी. एस. गिल, अतिरिक्त महाधिवक्ता मय श्री हरीश कण्डपाल, श्री राजेन्द्र प्रसाद, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री बी.एन.सान्दू, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री वीरेन्द्र लोढा वरिष्ठ अधिवक्ता मय श्री जय लोढा, श्री एस.के. गुप्ता अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री श्याम आर्य अतिरिक्त महाधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थीगण उपस्थित
श्री वैभव गलारिया, कमिश्नर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर, श्री सिद्धार्थ महाजन, कलक्टर जयपुर, श्री रवि जैन कमिश्नर नगर निगम जयपुर, श्री अजय गुप्ता निदेशक पुशुपालन विभाग जयपुर, मुख्य वन संरक्षक, श्री पवन अरोडा निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, वित्त विभाग के संबंधित अधिकारी, संबंधित डी.सी.पी., थानाधिकारी कानौता व अन्य अधिकारीगण उपस्थित
प्रभु श्री गोविन्द दास जी महाराज एवं प्रभु श्री अनंत दास जी महाराज उपस्थित

यह रिट याचिका प्रार्थी जागो जनता सोसायटी की ओर से इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.11.2010 को प्रस्तुत की गयी, जिसके अन्तर्गत निम्न अनुतोष चाहा गया:-

(i) That by a writ, order or direction respondents may kindly be directed to save the cows kept in Hingonia Goshala and in other Goshalas and arrange green fodder and cattle feeds and see that no cow should die due to illness without treatment or starvation.

(ii) That by a writ, order or direction respondent No. 1 may kindly be directed to take action against the respondent 2 & 3.

(iii) That by a writ, order or direction, complete record of the

Goshala may kindly be summoned.

Any other beneficial order which the Hon'ble court deems fit and proper in the facts and circumstances of the case may kindly be passed.

Rajasthan High Court Web Copy Not Official सत्यमेव जयते

प्रार्थी की ओर से अपनी रिट याचिका में मुख्य रुप से यह अंकन किया गया है कि उन्हें समाचारपत्र राजस्थान पत्रिका के दिनांक 16.11.2010 में प्रकाशित "ये गौशाला है या वधशाला" शीर्षक के समाचार से ज्ञात हुआ कि हिंगौनिया गौशाला का उद्देश्य विफल हो रहा है और उपचार की कमी एवं चारे की कमी के कारण लगभग 6000 गायें प्रतिवर्ष मृत्यु को प्राप्त हो रही है। वहां गायों के उपचार के लिये केवलमात्र एक चिकित्सक उपलब्ध है एवं लगभग 15-20 गायें प्रतिदिन मृत्यु को प्राप्त हो रही है। प्रार्थी ने हिंगौनिया गौशाला जाकर देखा तो गायों की दशा अत्यन्त ही खराब पाई एवं गायों की कोई देख रेख नहीं होना प्रकट किया।

इस न्यायालय की सहपीठ के आदेश दिनांक 26.11.2010 के द्वारा रिट याचिका के नोटिस विपक्षीगण को जारी किये गये। इसके उपरान्त इस प्रकरण को दिनांक 3.6.2011 को सूचीबद्व किया गया। उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

> "इस रिट याचिका में प्रार्थी समिति ने प्रार्थना की है कि हिंगोनिया गौशाला में रह रही गायों के रख-रखाव की जिम्मेदारी प्रतिपक्षीगण की है और प्रतिपक्षीगण उक्त गौशाला में रह रही गायों की पूर्णरूप से हिफाजत नहीं कर रहे हैं। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी समिति श्री पूनम चन्द भण्डारी का कथन है कि गायों के शरीर पर जगह-जगह घाव पड़े हुए हैं जिन पर कौवे व अन्य पक्षी बैठकर उनके घावों से माँस खाते हैं। वहाँ पर गायों को खिलाने-पिलाने के लिए चारे-पानी आदि की उचित व्यवस्था भी नहीं है। उनका यह भी कथन है कि राज्य के कई दान दाता लोग गायों के चारे-पानी आदि के लिए लाखों रूपये दान देते हैं एवं राज्य सरकार एवं नगर परिषद से भी एतदर्थ पैसा मिलाता है इन सबके बावजूद गौशाला में गायों के रख-रखाव आदि की समुचित व्यवस्था नहीं है। अत: प्रतिपक्षीगण को न्यायालय में व्यक्तिश: बुलवाकर उनसे इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण पूछा जावे एवं यदि न्यायालय उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होता है तो इस

सम्बन्ध में पुलिस से अनुसंधान कराने की युक्तियुक्त आवश्यकता होगी।अत: एतदर्थ उपायुक्त पुलिस, जयपुर को भी निर्देश दिए जावे।

सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुशीलन किया गया।

प्रथम दृष्टया उपायुक्त पुलिस, जयपुर को इस सम्बन्ध में निर्देश दिए जाने से पूर्व न्यायालय यह उचित समझता है कि श्री राजेश यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, जयपुर (प्रतिपक्षी संख्या-2) एवं श्री जे.पी. गुप्ता, आयुक्त गौशाला, नगर परिषद, जयपुर (प्रतिपक्षी संख्या-3)को व्यक्तिश: न्यायालय में बुलाकर उनसे इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जावे।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

अत: उप निबन्धक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि वह श्री राजेश यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, जयपुर (प्रतिपक्षी संख्या-2) एवं श्री जे.पी. गुप्ता, आयुक्त गौशाला, नगर परिषद, जयपुर (प्रतिपक्षी संख्या-3)को सूचित करेंगे कि वह दिनांक-6.6.2011 को प्रात: 7.30 बजे व्यक्तिश: न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उक्त परिपेक्ष्य में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। साथ ही न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से उपस्थित श्री पीयुष कुमार, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता को भी निर्देश दिया जाता है कि वह भी श्री राजेश यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, जयपुर (प्रतिपक्षी संख्या-2) एवं श्री जे.पी. गुप्ता, आयुक्त गौशाला, नगर परिषद, जयपुर (प्रतिपक्षी संख्या-3)को दूरभाष पर सूचित करेंगे कि वह दिनांक-6.6.2011 को प्रात: 7.30 बजे व्यक्तिश: न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उक्त परिपेक्ष्य में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे।"

इसके उपरान्त प्रकरण को दिनांक 7.6.2011 को सूचीबद्व किया गया। उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"दिनांक 3.6.2011 को प्रार्थी के अधिवक्ता श्री पूनम चन्द भण्डारी की प्रार्थना पर इस न्यायालय ने इस तथ्य को गम्भीरता से लेते हुए कि हिंगोनिया गौशाला में रह रही गायों के चारे-पानी, चिकित्सा,रख-रखाव आदि की व्यवस्था उचित नहीं है, श्री राजेश यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, जयपुर (प्रतिपक्षी संख्या-2) एवं श्री जे.पी. गुप्ता, आयुक्त गौशाला, नगर परिषद, जयपुर (प्रतिपक्षी संख्या-3)को व्यक्तिश: न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए गये थे। जो आज व्यक्तिश:

न्यायालय में उपस्थित है।

विद्वान अधिवक्ता श्रीमती नयना सर्राफ ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि प्रतिपक्षीगण हिंगोनिया गौशाला में रह रही गायों की पूर्णरूप से देखभाल कर रहे हैं और ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है जैसे आरोप प्रार्थी समिति द्वारा लगाये जा रहे हैं।

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी विद्वान अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण के उक्त कथन से संतुष्ट नहीं है और उन्होंने न्यायालय से प्रार्थना की कि प्रकरण की वस्तुस्थित की जानकारी के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए जावे कि वह जाँच कर न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत करावे कि जो राशि राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं में रह रही गायों की देख-रेख, चारे-पानी एवं उनकी चिकित्सा आदि हेतु आवंटित की जाती है उसका सही रूप से उपयोग-उपभोग हो रहा है अथवा नहीं?

प्रकरण उक्त परिपेक्ष्य में अनुसंधान हेतु अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को देने एवं सम्बन्धित अधिकारियों को एतदर्थ दिशा-निर्देश दिए जाने से पूर्व मैं आवश्यक समझता हूं कि हिंगोनिया गौशाला में रह रही गायों के बारे में वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करने हेतु किसी कमीश्नर की नियुक्ति की जावे जो मौका मुआयना कर वस्तुस्थिति से इस न्यायालय को अवगत करा सके। अत: यह न्यायालय श्री सज्जन राज सुराना अधिवक्ता से अपेक्षा करती है कि वह मौके पर जाकर वहाँ रही रही गायों के रख-रखाव, चिकित्सा, चारे-पानी आदि के बारे में जो व्यवस्था है एवं जो सुविधा अपेक्षित है के बारे में न्यायालय को अवगत करावे। जब उनसे न्यायालय द्वारा पूछा गया कि उन्हें एतदर्थ कितनी राशि फीस के रूप में दिलवाई जावे तो उन्होंने कथन किया कि यह एक धार्मिक कार्य है जिसके लिए वह कोई राशि नहीं लेंगे एवं स्वेच्छा से नि:शुल्क एतदर्थ अपनी सेवायें देंगे। श्री सज्जन राज सुराना कल दिनांक- 8.6.2011 को सायं: 5.00 बजे हिंगोनिया गौशाला जाकर मौका मुआयना करेंगे जिनके साथ प्रार्थी के अधिवक्ता श्री पूनम चन्द भण्डारी, श्री राजेन्द्र यादव, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता भी होंगे। उस समय प्रतिपक्षी क्रम-2 व 3 के प्रतिनिधि भी वहाँ उपस्थित रहेंगे।

वह अपनी रिपोर्ट 13.6.2011 या इससे पूर्व न्यायालय को देंगे जिसमें वहाँ रही गाँयों के चारे-पानी, रख-रखाव एवं चिकित्सा सुविधा की वस्तुस्थिति एवं उसमें आ रही बाधाओं एवं क्या सुविधाऐं अपेक्षित है के बारे में न्यायालय को अवगत करावेंगे। वह अपनी रिपोर्ट की एक प्रति प्रतिपक्षी क्रम-2 व 3 को भी उपलब्ध करावेंगे जो उसकी पालना सुनिश्चित करेंगे एवं यदि

उसमें कोई बाधा एवं तकनीकियाँ अवरोध उत्पन्न कर रही हो तो उनके सम्बन्ध में न्यायालय से दिशा-निर्देश प्राप्त करेंगे।

प्रकरण 17.6.2011 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे। आगामी तारीख पेशियों पर प्रतिपक्षी क्रम-2 व 3 को व्यक्तिश: न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि भविष्य में आवश्यकता हुई तो उन्हें तलब कर लिया जावेगा।

उप निबन्धक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि वह आज ही विशेष संदेश वाहक के साथ भेजकर इस आदेश की प्रति श्री सज्जन राज सुराना, अधिवक्ता को उपलब्ध करावे।"

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

इसके उपरान्त इस न्यायालय की सहपीठ के आदेश दिनांक 21.6.2011 के द्वारा इस प्रकरण को दिनांक 29.6.2011 को इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किये जाने का आदेश दिया गया।

दिनांक 29.6.2011 को इस न्यायालय के समक्ष कमिश्नर श्री सज्जन राज सुराना ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आगामी तारीख के लिये सचिव एवं निदेशक, पशुपालन विभाग को न्यायालय के समक्ष तलब किया गया। प्रकरण को दिनांक 4.7.2011 को सूचीबद्व किये जाने का आदेश दिया गया। दिनांक 4.7.2011 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"प्रकरण दिनांक 3.6.2011, 7.6.2011 एवं 29.6.2011 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व हुआ था जिसमें इस न्यायालय द्वारा हिंगोनिया गौशाला में रह रही गायों के चारे-पानी, चिकित्सा,रख-रखाव आदि की उचित व्यवस्था हेतु प्रथम दृष्टया प्रसंज्ञान लेकर श्री राजेश यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, जयपुर (प्रतिपक्षी संख्या-2) एवं श्री जे.पी. गुप्ता, आयुक्त गौशाला, नगर निगम, जयपुर(प्रतिपक्षी संख्या-3)को व्यक्तिश: न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए गये थे। जो इस न्यायालय में व्यक्तिश: उपस्थित हुए तथा प्रकरण में दिनांक-29.6.2011 को यह आदेश पारित किया कि प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग एवं निदेशक,पशुपालन विभाग आज व्यक्तिश: न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे एवं हिंगोनिया गौशाला में रह रही गायों एवं अन्य पशुओं की समुचित व्यवस्था हेतु अपनी राय भी नगर निगम, जयपुर को देंगे।जो आज व्यक्तिश: न्यायालय में उपस्थित है, जिन्होंने कथन किया है कि उन्होंने एतदर्थ अपनी

राय नगर निगम, जयपुर को लिखित में दे दी है।

जागो जनता समिति की ओर से प्रस्तुत इस रिट याचिका में अंकित तथ्यों पर दृष्टिपात करते हुए न्यायालय द्वारा श्री सज्जन राज सुराना, वरिष्ठ अधिवक्ता को हिंगोनिया गौशाला की वस्तुस्थिति से न्यायालय को अवगत कराने हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया था जिन्होंने हिंगोनिया गौशाला का मौका मुआयना करने के उपरान्त अपनी रिपोर्ट एवं फोटोग्राफस् प्रस्तुत किये है, जो अनुशीलन से ही गौशाल की हृदयविदारक स्थिति प्रदर्शित करते है, जिनपर दृष्टिपात करने के उपरान्त न्यायालय हिंगोनिया गौशाला में रह रही गायों के चारे-पानी, चिकित्सा,रख-रखाव आदि की उचित व्यवस्था हेतु प्रकरण में निम्न दिशा-निर्देश देना उचित समझता है:-।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

(1) श्री एम.पी.मीना, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,नगर निगम,जयपुर,जो आज व्यक्तिश: न्यायालय में उपस्थित है ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि वह निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान द्वारा निगम को दी गई राय की एक माह की अवधि में अक्षरश: पालना कर देंगे।

(2) प्रमुख शासन सचिव एवं निदेशक, पशुलपालन विभाग, जो आज व्यक्तिश:न्यायालय में उपस्थित है को निर्देश दिया जाता है कि प्रकरण को गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा जो हिंगौनिया गौशाला, जयपुर में पशु चिकित्सक एवं परिचायक (Compounder)लगाये हैं उन्हें वहीं पदास्थापित रखेंगे एवं उन्हें इस न्यायालय की बिना अनुमति के वहाँ से नहीं हटायेंगे वहाँ रही गायों/ पशुओं को वांछित दवाईयाँ एवं चिकित्सा सुविधा नियमित रूप से उपलब्ध करवाई जाती रहेंगी।

(3) नगर निगम, जयपुर को निर्देश दिया जाता है कि हिंगौनिया गौशाला की नियमित रूप से सफाई करायेंगे जिससे वहाँ रही गायों/पशुओं में किसी प्रकार का कोई Infection नहीं फैले।

(4) नगर निगम को निर्देश दिया जाता है कि वह आज से एक सप्ताह के भीतर- भीतर हिंगौनिया गौशाला में रह रही गायों/पशुओं के नम्बर डाल देंगे आगामी तारीख पर इस न्यायालय को इस तथ्य से अवगत करायेंगे कि उनमें से कितनी गायें/पशु दुध देते हैं एवं कितने नहीं? उक्त तथ्य शपथ पत्र से समर्थित किया जावेगा।

(5) श्री एम.पी.मीना अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि वह एक माह की अवधि में हिंगौनिया गौशाला की 485 बीघा भूमि

को समतल करा देंगे एवं उससे एक माह में उसमें 100X100 साईज के 25 शेड भी बना देंगे।

(6) प्रमुख शासन सचिव एवं निदेशक, पशुपालना विभाग को निर्देश दिया जाता है कि वह नगर निगम, जयपुर को देंगे कि वह स्वस्थ पशुओं को एवं अस्वस्थ पशुओं को पृथक-पृथक रखें ताकि एक-दूसरे से उनमें infection नहीं फैले।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

(7) नगर निगम को निर्देश दिया जाता है कि जहाँ तक सम्भव हो वह गौशाला में रह रही गायों/पशुओं को हरा चारा डालने का प्रयास करे तथा गौशाल में रह रही गायों/पशुओं तथा उनके बच्चों को जहाँ तक सम्भव हो एक साथ रखा जावे ताकि वह फीडिंग कर सके।

(8) प्रमुख शासन सचिव एवं निदेशक, पशुपालना विभाग ने न्यायालय को आश्वस्त किया है कि वह हिंगौनिया गौशाला में उन्नत किस्म के सांड उपलब्ध करा देंगे ताकि वहाँ रह रही गायों में प्रजनन सुविधाजनक हो सके।

(9) नगर निगम, जयपुर को निर्देश दिया जाता है कि वह हिंगौनिया गौशाला की 485 बीघा भूमि में बरसात के पानी के संचय हेतु Water Harvesting System विकसित करेंगे। उक्त भूमि में चारा ऊगायेंगे ताकि उसमें रह रही गायों/पशुओं को हरा चारा पानी सुगमता से उपलब्ध हो सके।

(10) नगर निगम, जयपुर को निर्देश दिया जाता है कि वह हिंगौनिया गौशाला की 485 बीघा में चारों ओर वृक्षारोपण करेगी ताकि गौशाला का वातावरण स्वच्छ हो एवं उसमें रह रही गायों/ पशुओं को गीष्म ऋतु में छाया मुहैया हो सके।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण ने संयुक्त रूप से न्यायालय से अनुरोध किया की हिंगोनिया गौशाला में रह रही गायों के चारे-पानी, चिकित्सा,रख-रखाव आदि तथा न्यायालय द्वारा दिए गये उपरोक्त दिशा-निदेशों की पालना सुनिश्चित कराने हेतु एक समिति का गठन किया जावे।

मुझे उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण का उक्त सुझाव न्यायोचित प्रतीत होता है। अत: प्रकरण में एक समिति गठित की जाती है जिसके प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास विभाग (UDH) चेयरमैंन होगें तथा श्री अजीत सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, श्री ओ.पी.मीना, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, श्री सज्जन राज सुराना, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पूनम चन्द भण्डारी, अधिवक्ता सदस्य होगें। जो इस न्यायालय द्वारा दिए गये उपरोक्त दिशा-निर्देशों की पालना को

देखेंगे तथा उसकी मोनिटरिंग करेगें एवं हिंगोनिया गौशाला में रह रही गायों/पशुओं के चारे-पानी, चिकित्सा,रख-रखाव आदि की समुचित व्यवस्था की भी देखरेख करेगें एवं इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट आगामी तारीख पेशी पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगें। रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व यदि समिति के सदस्य आवश्यक समझें तो एक मींटिग कर इस न्यायालय द्वारा दिए गये दिशा-निर्देशों की समीक्षा कर सकेगे।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

श्री राजेश यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनकी हाजरी माफी चाही गई है। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो/आधारो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए उन्हें न्यायालय में व्यक्तिशः उपस्थित होने को नजर अन्दाज किया जाता है।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह भविष्य में राज्य सरकार की ओर से दैनिक वाद सूची में श्री सुशील कुमार शर्मा, अति.महाधिवक्ता राजस्थान का नाम दर्शायेंगे।

प्रकरण 18.7.2011 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे।उक्त तिथि को समिति इस न्यायालय द्वारा दिए गये दिशा-निर्देशों की पालना की सुनिश्चितता के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

उप निबन्धक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति आज ही किसी विशेष संदेश वाहक के द्वारा समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को उपलब्ध करायेंगे।"

दिनांक 18.7.2011 को इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

"इस न्यायालय ने दिनांक 4.7.2011 को आदेश पारित किया था जिसमें हिंगौनिया गौशाला में रह रही गायों के चारे पान, चिकित्सा, रख-रखाव आदि की उचित व्यवस्था हेतु श्री जी.एस.सिंधु की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसका श्री जी.एस.सिंधु, प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास को चेयरमेन तथा श्री अजीतसिंह, अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, श्री ओ.पी.मीना, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, श्री सज्जन राज सुराना, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पूनम चन्द भण्डारी, अधिवक्ता सदस्य नियुक्त किया था। श्री सज्जन राज सुराना, वरिष्ठ अधिवक्ता ने एक अन्तरिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की है जिसमें अभिकथित किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित

आदेश दिनांक 4.7.2011 की प्रतिपक्षीगण द्वारा पूर्ण रुप से द्रुत गति से पालना नहीं की जा रही है। इसके विपरीत श्रीमती नयना सर्राफ, अधिवक्ता प्रतिपक्षी क्रम 2 व 3 ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि उन्होनें न्यायालय के आदेश की पालनार्थ उत्तर प्रस्तुत किया है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के उपरान्त न्यायालय इस तथ्य पर संतुष्ट नहीं है कि प्रतिपक्षीगण द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.7.2011 की पालना सुनिश्चित की जा रही है अथवा नहीं? इस न्यायालय उचित समझता है कि समिति के अध्यक्ष, श्री जी.एस.सिंधु, प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास विभाग, श्री अजीतसिंह, अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग तथा श्री ओ.पी.मीना, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग को आगामी तारीख पेशी पर व्यक्तिश: न्यायालय के समक्ष बुलवाया जावे।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

प्रकरण दिनांक 4.8.2011 को इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किया जावे उक्त तिथि को श्री जी.एस.सिंधु प्रमुख शासन सचिव शहरी विकास विभाग राजस्थान, श्री अजीतसिंह अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग तथा श्री ओ.पी.मीना प्रमुख शासन सचिव पशुपालन विभाग व्यक्तिश: न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे जो उक्त तिथि को यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिपक्षीगण द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.7.2011 की पालना सुनिश्चित की गई अथवा नहीं?"

दिनांक 4.8.2011 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"श्री जी.एस.संधु, प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास विभाग, श्री अजीतसिंह अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, श्री ओ.पी.मीना प्रमुख शासन सचिव पशुपालन विभाग मय निदेशक के आज व्यक्तिश: न्यायालय में उपस्थित हैं। श्री जी.एस.संधु, प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास विभाग ने सशपथ न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि वह इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश की क्रियान्विति छ: माह की अवधि में पूर्ण कर देंगे, सिर्फ गायों के लिये शेड निर्माण को छोड़कर। उसमें अधिक समय लगने की संभावना है, जिसके लिए यदि आवश्यकता हुई तो समय विस्तार हेतु न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर देंगे। उन्होनें न्यायालय को यह भी आश्वस्त किया कि इस दौरान वह समय समय पर मौके पर व्यक्तिश: जाकर न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन की समीक्षा भी करते

रहेंगे ताकि न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित की जा सके।

श्री ओ.पी.मीना प्रमुख शासन सचिव पशुपालन विभाग राजस्थान, जो कि आज व्यक्तिश: न्यायालय में उपस्थित हैं, को निर्देश दिया जाता है कि उन्होनें इस न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में जिन पशु चिकित्सकों एवं परिचालकों को हिंगोनिया गौशाला में लगाया है, उन्हें वहीं नियमित रुप से कार्यरत रहने देंगे।

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री अजीतसिंह अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग राजस्थान ने कथन किया है कि वह नगर निगम, जयपुर के आज से दो वर्ष पूर्व तक के अभिलेख का परीक्षण करेंगे एवं यदि उसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता/गड़बड़ी पाई जाती है तो प्रकरण में प्राथमिकी पंजीबद्ध कर, प्रकरण में अनुसंधान कर, अनुसंधान की प्रगति की रिपोर्ट संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे।

श्री जी.एस.संधु, प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास विभाग ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि हिंगौनिया गौशाला की पूरी भूमि को समतल करवाया जाना उचित नहीं होगा। उनका कथन है कि जितनी भूमि समतल कराये जाने योग्य है एवं जितनी भूमि की आवश्यकता हो उसे ही समतल करवाया जाना उचित होगा। इस सम्बन्ध में एतदर्थ गठित समिति आवश्यकतानुसार जितनी भूमि समतल करवाया जाना उचित एवं आवश्यक समझेगी उतनी ही समतल करवाये जा सकने योग्य भूमि को समतल करवाया जा सकेगा।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सज्जन राज सुराना एवं श्री पूनम चन्द भण्डारी ने कथन किया कि हिंगौनिया गौशाला में अविलम्ब विघुत व्यवस्था करवाई जाने के प्रतिपक्षीगण को निर्देश दिये जावे ताकि रोगग्रस्त गाय, बछड़ों व अन्य मवेशियों के रात्रि को उपचार की समुचित व्यवस्था हो सके एवं उन्हें काल का ग्रास होने से बचाया जा सके। उनका यह भी कथन है कि हिंगौनिया गौशाला स्थित गैस प्लांट को चालू कराने, वहां बायोमेट्रिक मशीन लगवाई जाने तथा वहां रह रहे गाय व अन्य मवेशियों के चारे हेतु चारे काटने की मशीनों की व्यवस्था के भी प्रतिपक्षीगण को निर्देश प्रदान किये जावे। इस सम्बन्ध में भी श्री जी.एस.संधु प्रमुख शासन सचिव शहरी विकास विभाग ने न्यायालय को आश्वसस्त किया कि वह अविलम्ब इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की ओर अग्रसर होंगे।

राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह जहां तक सम्भव हो सके श्री जी.एस.संधु, प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास विभाग, श्री अजीतसिंह अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार

निरोधक विभाग, श्री ओ.पी.मीना प्रमुख शासन सचिव पशुपालन विभाग को छः माह तक उनके द्वारा वर्तमान में धारित पदों पर ही पदासीन रखेंगे।

अन्त में राज्य सरकार को यह निर्देश दिया जाता है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी सूरत में गायें बूचड़खाना नहीं पहुंचे।

प्रकरण 30.8.2011 को मध्यान्ह 2.00 बजे न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किया जावे। उक्त तिथि को आज उपस्थित सभी अधिकारियों को व्यक्तिशः न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, उनकी ओर से कोई भी उनका एक प्रतिनिधि अधिकारी व्यक्तिशः न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वस्तुस्थिति से न्यायालय को अवगत करा सकेगा।"

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 30.8.2011 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा क्रमशः दिनांक- 3.6.2011, 7.6.2011, 29.6.2011, 4.7.2011, 18.7.2011 व 4.8.2011 को हिंगौनिया गौशाला की समस्याओं को दूर करने तथा वहाँ की वस्तुस्थिति की जानकारी के लिए आदेश पारित किये गये थे ताकि न्यायालय को गौशाला की सही वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके। श्री सज्जन राज सुराना वरिष्ठ अधिवक्ता एवं श्री पूनम चन्द भण्डारी अधिवक्ता को श्री जी.एस. संधू, प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास विभाग(UDH), श्री अजीत सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, श्री ओ.पी.मीना, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग की एतदर्थ गठित समिति में सम्मिलित किया गया था। न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक-4.7.2011 में प्रतिपक्षीगण को दस दिशा-निर्देश दिए थे जिनकी पालना सुनश्चित कराने के लिए श्री जी.एस. संधू, प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास विभाग(UDH), श्री अजीत सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, श्री ओ.पी.मीना, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग ने उक्त तिथि को न्यायालय को आश्वस्त करते हुए कथन किया था कि न्यायालय द्वारा दिए गये उक्त दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना की जावेगी। इस न्यायालय ने उस दिन अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग श्री अजीत सिंह को यह भी निर्देश दिए थे कि उनके द्वारा हिंगौनिया गौशाला के रख रखाव के सम्बन्ध में नगर निगम, जयपुर में किसी प्रकार की कोई अनियमितता/गड़बड़ी पाई जाती है या निगम के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार का कोई संज्ञेय अथवा

असंज्ञेय प्रकृति का अपराध किया जाना प्रथमदृष्या उनके द्वारा पाया जाता है तो वह उसके विरूद्ध प्राथमिकी पंजीबद्ध कर अनुसंधान करेंगे तथा उसकी सूचना/ प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित दण्डनायक को देंगे।

श्री सज्जन राज सुराना वरिष्ठ अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान पूर्व आदेश में दिए गये दिशा-निर्देशों की ओर इंगित करते हुए कथन किया कि न तो राज्य सरकार ना ही नगर निगम, जयपुर द्वारा इस न्यायालय द्वारा दिए गये दिशा-निर्देशों की पालना की गई है। उनका कथन है कि इस न्यायालय द्वारा दिए गये दिशा-निर्देशों की पालना में अभी तक गौशाला में समुचित प्रकाश, गायों की सुरक्षा, चिकित्सा, दवाईयॉ इत्यादि की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। उनका कथन है कि जब प्रकरण पूर्व में न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध हुआ था और इस न्यायालय द्वारा श्री जी.एस. संधु, प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास विभाग(UDH), श्री अजीत सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, श्री ओ.पी.मीना, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग को न्यायालय के समक्ष तलब किया गया था तो निगम ने द्रुत एवं तीव्र गति से गौशाला में विकास कार्य कराना प्रारम्भ कर दिया था, किन्तु जब बाद में इस न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशियों के लिए उनकी हाजरी माफ कर दी गई तो कार्य की प्रगति धीमी हो गई एवं कार्य में अड़चने/रूकावेटे पैदा होने लग गई है।न्यायालय समय समय पर ऐसे जो आदेश पारित करता है वह उत्प्रेरक की हैसियत अपना कार्य करते हुए पारित करता है ताकि राज्य सरकार के कार्य की प्रगति में और तीव्रता आ सके और राज्य सरकार उत्प्रेरक के आदेश की पालना बिना हिचकिचाये कर सके। यही उत्प्रेरक का कार्य होता है।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

इस पवित्र कार्य को पूर्णता दिलाने के लिए न्यायालय किसी अधिकारी को दण्डित नहीं करना चाहता, किन्तु न्यायालय अपेक्षा करती है कि अधिकारीगण इस पवित्र कार्य को पूर्ण करने के लिए पवित्र भावना से पवित्र प्रकिया अपनाते हुए इसकी पूर्णता को अंजाम दे।

न्यायालय इस बात से खुश है कि एतदर्थ न्यायालय द्वारा नियुक्त कमीश्नर वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सज्जन राज सुराना एवं श्री पूनम चन्द भण्डारी अधिवक्ता ने इस पावन एवं पवित्र कार्य के लिए न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कोई फीस लेने से इन्कार कर दिया और वह सप्ताह में दो-तीन बार जाकर गौशाला में हो रहे कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उन्होंने समय समय गौशाला में हो रही गायों की दुर्दशा के चित्र खींचकर भी न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये हैं।

न्यायालय प्रकरण में कोई शख्त कदम उठाने/ कार्यवाही करने से पूर्व न्यायहित में प्रतिपक्षीगण/ सम्बन्धित अधिकारियों

को एक अवसर और प्रदान करना उचित समझता है। इस प्रक्रम पर श्री एम.पी.मीना, कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर ने न्यायालय के समक्ष अभिकथित किया कि वह गौशाला के विद्युतिकरण के लिए प्रयासरत है एवं एतदर्थ जयपुर विद्युत वितरण निगम, जयपुर में राशि जमा कराने के लिए तैयार है, किन्तु मध्य में रेल्वे लाईन पड़ती है अत: जयपुर विद्युत वितरण निगम, जयपुर की ओर से निगम को अवगत कराया गया है कि भारतीय रेल्वे से एतदर्थ अनापत्ति प्राप्त की जावे। अनापत्ति प्राप्त करली जाती है तो विद्युत सम्बन्ध हेतु 14,000/-रूपये जमा कराने की माँग की गई है, अनापत्ति के अभाव में 33,000/-रूपये जमा कराने को कहा जा रहा है।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

चूंकि हिंगौनिया गौशाला के विद्युतिकरण का कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अत: श्री शैलेष प्रकाश शर्मा, अधिवक्ता, जो भारतीय रेल्वे के न्यायालय में प्रकरण देखते हैं, को निर्देश दिया जाता है कि आगामी तारीख पेशी पर Divisional Railway Manager,Jaipur (DRM,JAIPUR) को व्यक्तिश: न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखेंगे। इसी प्रकार श्री वीरेन्द्र लोढ़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह भी जयपुर विद्युत वितरण निगम, जयपुर के हिंगौनिया गौशाला, जयपुर से सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (Superintendent Engineer)को आगामी तारीख पेशी पर व्यक्तिश: न्यायालय में उपस्थित रखेंगे।

प्रकरण 02 सितम्बर,2011 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे। उक्त तिथि के उक्त अधिकारी एवं प्रतिपक्षीगण के सम्बन्धित अधिकारी प्रात: 10.30 बजे व्यक्तिश: न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

उप निबन्धक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि वह आदेशिका में अंकित समस्त अधिवक्तागण को इस आदेश की प्रति आज ही अविलम्ब नि:शुल्क उपलब्ध करावेंगे।"

दिनांक 2.9.2011 श्री महेन्द्र जैन, आयुक्त, नगर निगम को हिंगौनिया गौशाला में विघुत कनेक्शन कराने के सम्बन्ध में श्री एस.के.सौंखिया, अधीक्षण अभियन्ता जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड के साथ बैठकर कार्यवाही कराने एवं आगामी तारीख को न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। प्रकरण को दिनांक 6.9.2011 को सूचीबद्व किये जाने का निर्देश दिया गया।

दिनांक 6.9.2011 को श्री एम.पी.मीना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर ने इस न्यायालय के समक्ष प्रकट किया कि उन्होनें पन्द्रह लाख रुपये की राशि जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड में जमा करा दी है एवं डिमाण्ड आने पर शेष राशि वे दो दिन की अवधि में जमा करा देंगे। विद्वान महाधिवक्ता श्री जी.एस.बापना ने कथन किया कि वे श्री एस.आर.सुराना वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री पूनम चन्द भण्डारी, श्री विजयसिंह पूनिया, श्री सुशील शर्मा, श्रीमती नयना सर्राफ, श्री शैलेष प्रकाश शर्मा एवं श्री वीरेन्द्र लोढ़ा अधिवक्तागण के साथ हिंगौनिया गौशाला का निरीक्षण करने दिनांक 11.9.2011 को प्रात: 10.00 बजे जायेंगे। प्रकरण को दिनांक 14.9.2011 को सूचीबद्व किये जाने का निर्देश दिया गया।

Rajasthan High Court Web Copy Not Official
सत्यमेव जयते

दिनांक 14.9.2011 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

> "इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश के अनुरुप नगर निगम द्वारा 33 लाख रुपये जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड में जमा कराना बताया जाता है। जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारी श्री एस.के.सौंखिया आज उपस्थित है, जिन्होनें न्यायालय के समक्ष सशपथ कथन किया कि आज से तीन दिवस की अवधि में विघुत कनेक्शन लगाया जाकर विघुत सप्लाई चालू कर दी जावेगी। श्री अनिल कुमार सिंघल, अधिशाषी अभियन्ता, जो कि वर्तमान में नगर निगम में कार्य कर रहे हैं, के सम्बन्ध में राज्य के महाधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित अधिकारियों को सूचित करें कि वे श्री सिंघल को न्यायालय के आदेश के बिना वहां से नहीं हटावे।
>
> समस्त अधिवक्तागण ने संयुक्त रुप से न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना की कि गौशाला की भूमि को नपवा दिया जावे क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। इस हेतु श्री सुशील शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे कल दिनांक 15.9.2011 को दोपहर 2.00 बजे उपखण्ड अधिकारी, बस्सी एवं पुलिस थाना कानोता के भारसाधक अधिकारी को इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिश: उपस्थित होने हेतु सूचित करें। गौशाला के आयुक्त श्री अशोक स्वामी को निर्देश दिया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी पर न्यायालय को यह

अवगत करायें कि वहां कार्यरत कर्मचारी नियमित रुप से कार्य कर रहे हैं या नहीं, इस हेतु वे उनकी उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन से दर्ज करें। उन्हें यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे अपने यहां एक रजिस्टर संधारित करें जिसमें यह इन्द्राज अंकित करें कि गौशाला में कुल कितनी गायें है, जिनमें से कितनी बीमार है, कितनी सही स्थिति में है, कितने बछड़े हैं एवं कितने बैल इत्यादि हैं।

इस प्रकरण को कल दिनांक 15.9.2011 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्व किया जावे। कल नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है, शेष अधिकारी उपस्थित रहें।"

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

दिनांक 15.9.2011 को एस.डी.ओ. बस्सी ने कथन किया कि वे आज से एक सप्ताह की अवधि में लगभग 486 बीघा भूमि की नपवाई करवाकर पत्थरगढ़ी करवायेंगे किन्तु सेटलमेन्ट विभाग को निर्देश दिये जावे कि वे उन्हें ई.डी.एम. मशीन उपलब्ध करावे। एस.एच.ओ. कानोता ने कथन किया कि वे भूमि की नपाई व पत्थरगढ़ी के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुशील शर्मा ने कथन किया कि भू-प्रबन्ध विभाग ई.डी.एम. मशीन उपलब्ध करवायेगा। उन्होनें कथन किया चीफ कंजरवेटर आफ फोरेस्ट को निर्देश दिये जावें कि वे पौधे उपलब्ध करावें। प्रकरण को दिनांक 23.9.2011 को सूचीबद्व किये जाने का निर्देश दिया गया।

दिनांक 20.9.2011 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"यह प्रकरण हालांकि दिनांक 23.9.2011 के लिये नियत था लेकिन कल इस प्रकरण से संबंधित सभी अधिवक्ताओं ने इस न्यायालय से प्रार्थना की कि हिंगौनिया गौशाला में काम पर लगाई गई JCB मशीन निगम द्वारा बन्द कर दी गई है तथा राजस्व अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण गौशाला की भूमि की नपाई भी नहीं हो सकी है तथा वहां पर कर्मचारी भी कम संख्या में काम करते पाये गये हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अनियमितताओं की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया। अत: प्रकरण को आज दिनांक 20.9.2011 को सूचीबद्व करवाया गया।

आज श्री एम.पी.मीना कार्यवाही मुख्य कार्यकारी

अधिकारी नगर निगम जयपुर व्यक्तिश: न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, जिन्होनें न्यायालय को आश्वस्त किया कि वह आज से ही पूर्ववत JCB मशीनें हिंगौनिया गौशाला में कार्य पर लगा देंगे।

इसी प्रकार श्री एस.एन.कुमावत अतिरिक्त महाधिवक्ता ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि वह जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से जयपुर नगर निगम के तहसील एवं उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा चाहा गया राजस्व अभिलेख/प्रलेख उन्हें उपलब्ध करवा देंगे एवं एतदर्थ वह जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के अधिकारियों को सूचित कर देंगे।

Web Copy - Not Official Rajasthan High Court सत्यमेव जयते

कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर श्री मीना ने न्यायालय को यह भी आश्वासन दिया कि जो कर्मचारी गौशाला में काम पर नहीं पाये गये हैं उनके वेतन से कटौती कर ली जावेगी तथा भविष्य में इसकी पुनरावृति नहीं होने दी जावेगी।

प्रकरण 27 सितम्बर, 2011 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किया जावे। उक्त तिथि को श्री एम.पी.मीना कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर व्यक्तिश: न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।"

दिनांक 27.9.2011 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"यह प्रकरण दिनांक 20.9.2011 को सूचीबद्व हुआ था, तत्पश्चात आज दिनांक 27.9.2011 को सूचीबद्व हुआ है। आज श्री राहुल कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक उपस्थित हैं, जिन्होनें इस न्यायालय के समक्ष कथन किया कि वे स्वयं तथा आज उनके साथ उपस्थित जिला वन अधिकारी जयपुर दक्षिण श्री टी.सी.शर्मा हिंगौनिया गौशाला में पेड़ पौधे लगवायेंगे। इस न्यायालय ने पूर्व में दिनांक 15.9.2011 को श्री अक्षयसिंह जिला वन अधिकारी को विशेष रुप से इस हेतु लगाने का आदेश दिया था। इसमें श्री राहुल कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक को कोई आपत्ति नहीं है। श्री राहुल कुमार को निर्देश दिया जाता है कि श्री अक्षयसिंह को वर्तमान पद पर पदस्थापित रखते हुए हिंगौनिया गौशाला में पेड़ पौधे लगाने का अतिरिक्त कार्यभार भी उन्हें सौंपे एवं यह कार्य अपनी देख रेख में करावे। वे इस हेतु किसी अन्य अधिकारी को लगाना चाहें तो लगा सकेंगे। श्री राहुल कुमार ने कथन किया कि जयपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत

अधिकारी श्री धर्मवीरसिंह भी 300 पेड़ पौधे मय ट्री गार्ड के बाड़ों के पास लगवायेंगे। इस हेतु श्री धर्मवीरसिंह स्वतंत्र रहेंगे। श्री राहुल कुमार का कथन है कि शेष स्थान पर वे स्वयं, श्री टी.सी.वर्मा एवं श्री अक्षयसिंह मिलकर दस हजार पेड़ पौधे आज से डेढ़ माह की अवधि में लगवायेंगे, उन्हें पानी देंगे एवं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके लिये वे तीन से पांच पशु रक्षक भी तैनात करेंगे।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा ने कथन किया कि वर्तमान में उस जगह भूमि की नपाई का काम चल रहा है एवं भूमि की नपाई के बाद नगर निगम को संभला दी जावेगी। आज गौशाला कमिश्नर भी उपस्थित है, जिन्होनें कथन किया कि कुल 485 बीघा भूमि में से 125 बीघा भूमि पर डण्डा नहीं बना हुआ है। इस हेतु श्री सुशील कुमार शर्मा को निर्देश दिया जाता है कि वे नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम.पी.मीना को सूचित करें कि वे जिस भूमि पर डण्डा बना हुआ नहीं है उस पर डण्डा पन्द्रह दिवस की अवधि में बनवाना आरम्भ करें। गौशाला आयुक्त ने अस्पताल, ऑपरेशन थियेटर व गार्डो की गुमटियां तीन माह में बनवाने का कथन किया है। इन सभी कार्यो हेतु अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा को जिम्मेदारी दी जाती है कि वे नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस हेतु सूचित करके कार्य करावें। इस प्रकरण को दिनांक 20.10.2011 को सूचीबद्व किया जावे।

उप निबन्धक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक एक प्रतिलिपि नि:शुल्क पक्षकारान के सभी अधिवक्तागण को प्रदान करें। श्री एस.आर.सुराना वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्व श्री विजयसिंह पूनिया, ललित शर्मा एवं अनूप पारीक, अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा के नाम दैनिक वाद सूची में दर्शाये जावें।"

दिनांक 20.10.2011 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"यह याचिका नवम्बर 2010 में प्रस्तुत की गयी है, तदुपरान्त दिनांक 26.11.2010, 3.6.2011, 7.6.2011, 21.6.2011, 29.6.2011, 4.7.2011, 18.7.2011, 4.8.2011, 30.8.2011, 2.9.2011, 6.9.2011, 14.9.2011, 15.9.2011, 20.9.2011 एवं 27.9.2011 को इस न्यायालय ने हिंगौनिया गौशाला के उत्थान के लिये राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों को निर्देश दिये गये थे, जिन्होनें इस न्यायालय के आदेशों/निर्देशों की पालना करने का पूर्ण प्रयत्न किया।

श्री अशोकसिंह निदेशक विधि ने न्यायालय से प्रार्थना की कि जब न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पूर्ण रुप से पालना कर दी गयी है एवं भविष्य में भी हिंगौनिया गौशाला के उत्थान के लिये पारित किये जाने वाले आदेशों की पालना की जावेगी तो इस प्रकरण को दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर निस्तारित कर दिया जावे।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

चूंकि आज अधिवक्तागण ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया है एवं अधिवक्तागण इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं है। अत: इस प्रकरण को दिनांक 22.10.2011 को सायंकाल 4.00 बजे न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे। संबंधित अधिकारीगण सुसंगत दस्तावेज शपथपत्र के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। उक्त तिथि को आज उपस्थित समस्त अधिकारीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें। श्री अशोकसिंह को निर्देश दिया जाता है कि वे श्री आर.वेंकटरमन सचिव स्थानीय निकाय एवं श्री ताराचन्द मीना निदेशक स्थानीय निकाय विभाग को आगामी तारीख पर इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिश: उपस्थित रहने हेतु सूचित करें।"

दिनांक 22.10.2011 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"डॉ. आर. वेंकटेश रमन, सचिव शहरी विकास विभाग, श्री एम.पी.मीना, कार्यवाहक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर,श्री अशोक कुमार निदेशक(विधि), नगर निगम, जयपुर, श्री चन्दगीराम झाझड़िया, उप जिलाधीश, बस्सी, डॉ. सरदार सिंह, उप निदेशक, पशुपालन विभाग, श्री राहुल कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक मय श्री टी.सी.वर्मा, उप वन संरक्षक, श्री हिदायतुल्ला खान अमीन, नगर निगम, जयपुर, श्री अशोक स्वामी, गौशाल आयुक्त, नगर निगम, जयपुर व सत्यनारायण शर्मा, सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग व्यक्तिश: न्यायालय में उपस्थित है।

यह रिट याचिका जागो जनता सोसायटी की ओर से प्रस्तुत की गई है जिसमें दिनांक- 20.10.2011 को सभी अधिकारीगण मौजूद थे। उक्त तिथि को श्री अशोक सिंह निदेशक (विधि) नगर निगम, जयपुर ने न्यायालय के समक्ष कथन किया था कि इस न्यायलाय द्वारा दिये आदेशों की पूर्णरूप से पालना कर दी गयी है एवं भविष्य में भी हिंगौनिया गौशाला के उत्थान के लिये

न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले आदेशों की पालना कर दी जावेगी अत: इस प्रकरण को उभय पक्षों की सहमति के आधार पर निर्णीत कर दिया जावे।

आज भी सभी पक्षकारों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि हिंगौनिया गौशाला में मुख्य-मुख्य कार्य करीब-करीब पूर्ण हो चुके हैं केवल एनक्रोचमेंट हटाने, बाऊण्ड्री वाल बनाने,हरीघास व एलीफेंट घास लगाने,खेलिया बनाने एवं खेलियों तक पाईप लाईन से पानी पहुंचाने, मेडिकल स्टाफ के लिये सुविधाये मुहैया कराने एवं वृक्षारोपण आदि कार्य शेष है। सभी अधिकारीगण ने उक्त कार्यों को यथासम्भव एक माह की अवधि में पूर्ण करने का न्यायालय को विश्वास दिलवाया।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

डॉ. आर.वेंकटेश रमन, सचिव शहरी विकास विभाग ने कहा कि हिंगौनिया गौशाला के रख-रखाव का काम नगर निगम, जयपुर का है। यदि इसमे नगर निगम किसी प्रकार की कोई आर्थिक असुविधा महसूस करती है तो एतदर्थ राज्य सरकार को लिख सकती है। जिसे राज्य सरकार नियमानुसार स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी।

प्रकरण 24.11.2011 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे उक्त तिथि को डॉ. आर.वेंकटेश रमन, सचिव शहरी विकास विभाग को व्यक्तिश: न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।"

दिनांक 24.11.2011 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"श्री पी.के.देव, सचिव शहरी विकास विभाग, श्री एम.पी.मीना, कार्यवाहक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर,श्री अशोक कुमार निदेशक(विधि), नगर निगम, जयपुर, श्री चन्दगीराम झाझड़िया, उप जिलाधीश, बस्सी व श्री अशोक स्वामी, गौशाल आयुक्त, नगर निगम, जयपुर व्यक्तिश: न्यायालय में उपस्थित है।

सभी पक्षकार इस बिन्दू पर सहमत है कि इस रिट याचिका का निस्तारण आपसी सहमति के आधार पर किया जावे ताकि भविष्य में याचिका में समय समय पर इसमें दिये गये दिशा-निर्देश काम आ सके।

श्री पी.के.देव, सचिव शहरी विकास विभाग को निर्देश दिया जाता है कि वह दिनांक-29.11.2011 को हिंगौनिया गौशाला पर मध्यांह 2.30 बजे व्यक्तिश: जाकर उसका निरीक्षण करेंगे। उस समय विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी श्री सज्जन राज सुराना वरिष्ठ अधिवक्ता व श्री पनूम

चन्द भण्डारी अधिवक्ता व अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण भी उनके साथ उपस्थित रहेंगे तथा गौशाला की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत कराया जावेगा।

प्रकरण 7.12.2011 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे उक्त तिथि को श्री पी.के.देव, सचिव शहरी विकास विभाग को व्यक्तिश: न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।"

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

दिनांक 8.12.2011 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर,श्री अशोक कुमार निदेशक (विधि), नगर निगम, जयपुर, श्री चन्दगीराम झाझड़िया, उप जिलाधीश, बस्सी व श्री अशोक स्वामी, गौशाल आयुक्त, नगर निगम, जयपुर व अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण व्यक्तिश: न्यायालय में उपस्थित है।

गत पेशी दिनांक- 24.11.2011 को न्यायालय द्वारा दिए गये निर्देशानुसार श्री पी.के.देव, प्रमुख शासन सचिव शहरी विकास विभाग अपने सम्बन्धित अधिकारियों के साथ तथा न्यायालय द्वारा प्रकरण में नियुक्त कमीश्नर वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सज्जन राज सुराना अन्य अधिवक्तागण श्री पूनम चन्द भण्डारी,श्री विजय सिंह पूनिया, श्री अनूप पारीक व श्री ललित शर्मा के साथ तथा अतिरिक्त राजकीय महाधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा एवं श्री एम.एस. कच्छवाहा, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता हिगौनिया गौशाला पर गये थे जहाँ उन्हें सम्बन्धित अधिकारीगण मौजूद मिले। जिन्हें गौशाला के उत्थान के लिए निर्देश दिए गये। श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर ने उन्हें श्री पी.के.देव, प्रमुख शासन सचिव शहरी विकास विभाग द्वारा हिगौनियाँ गौशाला के उत्थान हेतु दिये गये निर्देशों की अक्षरश: पालना किये जाने का न्यायालय के समक्ष कथन किया। साथ ही कथन किया कि गौशाला की 577 बीघा भूमि की चार दीवारी का निर्माण शीघ्र शुरू कर दिया जावेगा तथा जो 377 बीघा जमीन गौशाला को दिलवाई गई है उसमें आवश्यकतानुसार टयूबवेल खुदवाने तथा जो टयूबवेल पहले से खुदे हुए हैं उनके पानी का परीक्षण करवाने के उपरान्त उसे गायों के उपयोग हेतु काम में लेने का भी न्यायालय के समक्ष कथन किया।

श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर ने कथन किया कि जयपुर नगर निगम के वर्ष 2011-2012 के बजट अभिभाषण एवं आय-व्यय अनुमान की पृष्ठ संख्या-26 पर शहर में मूक पशुओं के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उनकी समय पर सार संभाल नहीं होने पर उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। आये दिन शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु गडढ़े, कुओं में गिरते रहते हैं। ऐसे पशुओं को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए जयपुर नगर

निगम आकस्मिक चिकित्सा प्रणाली 108 की तर्ज पर शहर में दो वाहनों के माध्यम से 109 सेवा की नि:शुल्क शुरूआत करना प्रस्तावित किया गया है जिसमें से वह आकस्मिक चिकित्सा प्रणाली 109 के अन्तर्गत एक वाहन सात दिन में लगा देंगे तथा दूसरा वाहन वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व लगा दिया जावेगा। यह भी कथित किया है कि गौशाला में प्रस्तावित पशु चिकित्सालय का निर्माण भी शीघ्र पूर्ण करवा दिया जावेगा।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

उभय पक्ष की आपसी सहमति के आधार पर समस्त अधिवक्तागण, अतिरिक्त महाधिवक्ता, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं सम्बन्धित अधिकारीगण दिनांक-24.12.2011 को मध्यांह 2.00 बजे हिंगोनिया गौशाला पर उपस्थित होकर गौशाला की वस्तुस्थिति का निरीक्षण कर आगामी तारीख पेशी पर न्यायालय को उससे अवगत करायेंगे।

पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की आपसी सहमति के आधार पर प्रकरण दिनांक- 06.01.2012 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे।"

दिनांक 6.1.2012 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 8.12.2011 की अनुपालना में आज यह याचिका न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सज्जन राज सुराना ने सरल एवं सूक्ष्म में न्यायालय से तीन प्रार्थना की है:- प्रथम हिंगौनिया गौशाला की 377 बीघा भूमि, जो उन्होनें स्वयं के प्रयासों से मुक्त करवाकर गौशाला को दिलवाई है उस पर बाऊण्ड्री बनवाने द्वितीय उक्त भूमि पर हाथी घास व रजका घास लगवाने तृतीय रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु 109 सेवा की शुरुआत अविलम्ब करवाने के, जिसके दूरभाष विभाग नम्बर आवंटित नहीं कर रहा है, नगर निगम जयपुर को निर्देश दिये जावें।

श्रीमती नयना सर्राफ ने विद्वान अधिवक्ता नगर निगम, जयपुर ने कथन किया कि गौशाला को मुक्त होकर प्राप्त हुई भूमि की चारदीवारी निर्माण का कार्य 15 दिन की अवधि में प्रारम्भ कर दिया जावेगा। उक्त भूमि को कल से ट्रेक्टर व जेसीबी मशीनें लगाकर समतल करने व उस पर हाथी घास व रिजका घास लगाने का कार्य कल से प्रारम्भ कर दिया जावेगा और उक्त कार्य को एक माह की अवधि में पूर्ण कर देंगे।

109 सेवा के दूरभाष नम्बर आवंटन हेतु दूरभाष विभाग को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र की प्रति श्री तेजप्रकाश शर्मा, अधिवक्ता को दिलवाई गई जिन्होनें न्यायालय को आश्वस्त किया कि वह आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.1.2012 तक 109 सेवा के दूरभाष नम्बर आवंटित करवा देंगे।

अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुशील शर्मा ने न्यायालय से प्रार्थना की कि हिंगौनिया गौशाला हेतु नये चिकित्सकों के पद राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिये गये हैं जिन पर नये चिकित्सक पदस्थापित करने एवं वहां वर्तमान में पदस्थापित चिकित्सकों को उनके सम्बन्धित चिकित्सालय में पुन: भिजवाया जाने की अनुमति प्रदान की जावे। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वह इस आशय का निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान का शपथपत्र आगामी तारीख पेशी पर न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि किन किन चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ को गौशाला में पदस्थापित किया जा रहा है तथा क्या क्या दवाईयां आदि भिजवाई जा रही है तदुपरान्त एतदर्थ उचित आदेश न्यायालय द्वारा प्रदान किये जावेगे।

न्यायालय के ध्यान में यह भी लाया गया है कि आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से हिंगौनिया गौशाला तक जाने वाली सड़क जीर्ण-क्षीण अवस्था में है जिसका जीर्णाद्वार अपेक्षित है।

प्रकरण दिनांक 13.1.2012 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किया जावे। उक्त तिथि को श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर कुलदीप रांका आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण तथा निदेशक पशुपालन विभाग राजस्थान जयपुर व्यक्तिश: न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।"

दिनांक 13.1.2012 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"आज यह प्रकरण इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक-6.1.2012 की पालना में सूचीबद्ध हुआ है।

श्री वी.एस.सूण्डा, निदेशक(ENGG.), जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर प्राधिकरण की ओर से उपस्थित है जिन्होंने कथन किया है कि श्री कुलदीप रांका, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण के पिता का स्वर्गवास हो गया है एवं आज उनका द्ववादशा है अत: वह व्यक्तिश: न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके हैं और उनकी हाजरी माफी का निवेदन किया। जिसके लिए प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नहीं है एवं उनकी हाजरी माफी की जाती है। साथ ही उन्होंने यह भी कथन किया कि जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर से सम्बन्धित सड़क का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा कर दिया गया है।

श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर ने कथन किया है कि वह हिंगौनिया गौशाला को प्राप्त हुई 377 बीघा भूमि को समतल कराने का कार्य 16.1.2012 से प्रारम्भ करा देगें एवं आगामी तारीख पेशी पर उसकी प्रगति रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देगें।

Web Copy - Not Official Rajasthan High Court सत्यमेव जयते

श्री राजेश शर्मा, निदेशक, पुशपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने कथन किया कि क्या वह मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर हिंगौनिया गौशाला में पदस्थापित चिकित्सकों को अन्यत्र पदस्थापित करना चाहे तो कर सकते हैं? एवं उन्होंने इतनी सी स्वतंत्रता न्यायालय से चाही। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि वह मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर हिंगौनिया गौशाला में पदस्थापित चिकित्सकों/स्टाफ को दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित/पदस्थापित कर सकते हैं, किन्तु हिंगौनिया गौशाला में पदस्थापित चिकित्सकीय स्टाफ की संख्या उतनी ही रहेगी जो वर्तमान में है, उसकी संख्या में कमी नहीं की जावेगी।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

109 सेवा से सम्बन्धित विभाग से कोई उपस्थित नहीं है अत: श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर को निर्देश दिया जाता है कि वह उक्त सेवा से सम्बन्धित विभाग के अधिवक्ता से एतद्र्थ सम्पर्क करेंगे एवं उन्हें आगामी तारीख पेशी पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के सम्बन्ध में भी सूचित करेंगे।

प्रकरण दिनांक-30.1.2012 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे। उक्त तिथि को श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर, श्री राजेश शर्मा, निदेशक पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर वं श्री वी.एस.सूण्डा, निदेशक(ENGG.) JDA को व्यक्तिश: न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।"

इसके उपरान्त प्रकरण को दिनांक 2.2.2012 को सूचीबद्व किया गया। दिनांक 2.2.2012 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"आज यह प्रकरण इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक-13.1.2012 की पालना में सूचीबद्ध हुआ है।

श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर ने न्यायालय के समक्ष सशपथ कथन किया है कि हिंगौनिया गौशाला को प्राप्त हुई 377 बीघा भूमि की चारदीवारी का निर्माण कार्य जारी है जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जावेगा तथा यदि हिंगौनिया गौशाला की भूमि पर किसी प्रकार कोई अतिक्रमण किसी द्वारा किया गया है तो उसे अविलम्ब हटा दिया जावेगा। उन्होंने यह भी कथन किया हिंगौनिया गौशाला की सम्पर्क सड़कों का कार्य जो होना शेष है उसे सार्वजनकि निर्माण विभाग एवं जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क करके शीघ्र पूर्ण करवा लिया जावेगा।

पुशपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर से श्री नरेन्द्र कुमार स्वामी उपस्थित है जिन्होंने कथन किया कि हिंगौनिया गौशाला में पशुओं की

दवाईयों के रख रखाव हेतु छः रेक एवं एक फ्रीज की आवश्यकता है जिसे गौशाला में अविलम्ब उपलब्ध करवाने का श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर ने न्यायालय को आश्वासन दिया। उन्होंने न्यायालय को आश्वस्त किया कि हिंगौनिया गौशाला में आश्यक शेष कार्यों को त्वरित रूप से पूर्ण करने के लिए श्री एम.पी.मीना, अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर को एतदर्थ विशेष रूप से नियुक्त कर दिया जावेगा जो एतदर्थ गठित समिति से सम्पर्क कर कार्यों की पूर्णता को त्वरित अन्जाम देंगे।

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री एम.एम. कच्छवाहा, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने वन विभाग की ओर से कथन किया कि हिंगौनिया गौशाला की चार दीवारी के निर्माण का कार्य पूर्ण होते ही गौशाला में वृक्षारोपण हेतु गढढे खुदवाना शुरू कर दिया जावेगा।

श्री तेज प्रकाश शर्मा अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष कथन किया कि रूग्ण पशुओं के उपचार हेतु नगर निगम द्वारा शुरू किए जाने वाले वाहन को 1962 दूरभाष संख्या आंवटित कर दिया गया है जिससे प्रार्थी के अधिवक्तागण सर्व श्री सज्जन राज सुराना, श्री पूनम चन्द भण्डारी एवं श्री विजय सिंह पूनिया को अवगत करवा दिया गया है। उक्त दूरभाष नम्बर टोल फ्री होगा।"

दिनांक 14.2.2012 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"आज यह प्रकरण इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक-2.2.2012 की पालना में सूचीबद्ध हुआ है।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रार्थी श्री सज्जन राज सुराना का कथन है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक-2.2.2012 की प्रतिपक्ष द्वारा अक्षरशः पालना नहीं की गई है।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिपक्षी क्रम-2 व 3 श्रीमती नयना सर्राफ ने कथन किया कि वह व्यक्तिशः हिंगौनिया गौशाला जाकर मौका मुआवना कर वस्तुस्थिति से न्यायालय को अवगत करा देगी। एतदर्थ प्रकरण में नियुक्त कमीश्नर श्री सज्जन राज सुराना एवं श्रीमती सर्राफ ने दिनांक-20.2.2012 को प्रातः 8.00 बजे हिंगौनिया गौशाला निरीक्षण हेतु जायेंगे एवं वस्तु स्थिति से आगामी तारीख पेशी दिनांक-21.2.2012 को न्यायालय को अवगत करायेंगे।

प्रकरण दिनांक-21.2.2012 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे। उक्त तिथि को श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्येकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर एवं श्री एम.पी.मीना अतिरिक्त

कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर भी व्यक्तिश: न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।"

दिनांक 21.2.2012 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"आज यह प्रकरण इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक-14.2.2012 की पालना में सूचीबद्ध हुआ है।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि हिंगौनिया गौशाला को प्राप्त हुई 377 बीघा अतिरिक्त भूमि, जो इस न्यायालय के अधिवक्तागण के अथक प्रयास से प्राप्त हुई है की चार दीवारी निर्माण एवं वहाँ स्थापित किए जाने वाले पशु चिकित्सालय हेतु उपकरणों तथा हिंगोनिया गौशाला में रह रही गायों के लिए हरि घास उगाने हेतु उक्त भूमि में बीस कुए बनाना आवश्यक है जिसके लिए वित्त विभाग से एतदर्थ विशेष बजट दिलवाया जावे ताकि प्रश्नगत भूमि पर पुन: अतिक्रमण न हो एवं वहाँ रह रही गायों की देखरेख सही तौर पर हो सके।

इतना लिखाने पर श्री विनोद पाण्डया, विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त राजस्थान, जयपुर व्यक्तिश: न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए जिन्होंने कथन किया कि यदि एतदर्थ नगर निगम, जयपुर की ओर से कोई प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार/ वित्त विभाग को भेजा जाता है तो उस पर नियमानुसार विचार किया जावेगा एतदर्थ बजट आवंटन करने के सम्बन्ध में वह कोई कथन न्यायालय के समक्ष करने में सक्षम नहीं है।श्री सी.के. मैथ्यू, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) राजस्थान ही इस सम्बन्ध में कथन कर सकते हैं।

वैसे तो इस न्यायालय को अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) राजस्थान श्री सी.के. मैथ्यु को न्यायालय में बुलवाने में कोई प्रसन्नता नहीं होती किन्तु उनकी ओर से न्यायालय के समक्ष भेजे गये प्रतिनिधि श्री विनोद पाण्डया, विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त राजस्थान, जयपुर के उक्त कथन को देखते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष बुलवाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

प्रकरण कल दिनांक- 22.2.2012 को प्रात: 10.30 बजे के लिए न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे उस समय श्री सी.के.मैथ्यू, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) व्यक्तिश: न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।"

दिनांक 22.2.2012 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"श्री सी.के.मैथ्यू, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) राजस्थान, श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर,श्री अशोक कुमार निदेशक(विधि), नगर निगम, जयपुर,व श्री अशोक स्वामी, गौशाल आयुक्त, नगर निगम, जयपुर व श्री टी.सी.वर्मा, जिला वन अधिकारी, जयपुर (दक्षिण), जयपुर व्यक्तिश: न्यायालय में उपस्थित है।

आज यह प्रकरण इस न्यायालय के कल दिनांक-21.2.2012 को पारित आदेश की पालना में सूचीबद्ध हुआ है।

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री सी.के.मैथ्यू, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) राजस्थान,जो आज व्यक्तिश: न्यायालय में उपस्थित है ने स्वीकार किया है कि नगर निगम, जयपुर की ओर से जो भी प्रस्ताव बजट आवंटन हेतु भिजवाया जावेगा उस पर विधि की अपेक्षित अपेक्षाओं के अनुरूप विचार करते हुए नियमानुसार निस्तारित किया जावेगा।

श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर ने सशपथ न्यायालय के समक्ष कथन किया कि जयपुर नगर निगम को हिंगौनिया गौशाला पर अतिक्रमण से मुक्त होकर प्राप्त 377 बीघा भूमि की चारदीवारी के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जिसे निगम द्वारा पूर्ण करवा दिया जावेगा तदुपरान्त उक्त भूमि में कुए खुदवाने तथा हिंगौनिया गौशाला में मेडिकल अप्रेटस का कार्य पूर्ण करवा दिया जावेगा।

श्री टी.सी.वर्मा, जिला वन अधिकारी, जयपुर (दक्षिण), जयपुर व्यक्तिश: न्यायालय में उपस्थित है जिन्होंने कथन किया है कि वह हिंगौनिया गौशाला की प्रश्नगत भूमि में गढ्ढे खुदवाकर वृक्षारोपण करा देगें एवं एक हजार वृक्ष माह फरवरी,2012 में ही लगा देंगे। उन्होंने यह भी कथन किया कि गौशाला में वन विभाग की ओर से तीन कर्मचारी श्री मदन लाल वनपाल, श्री हरदयाल व जगदीश बृजपाल को एतदर्थ लगा दिया गया है।उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वह उक्त कर्मचारियों को दो वर्ष की अवधि तक गौशाला में ही नियुक्त रखेंगे तथा उन्हें वहाँ से नहीं हटायेंगे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर के विवेकाधीन रहेगा कि वह श्री सिंघल, अभियन्ता, जो वर्तमान में निगम के अधीन हिंगौनिया गौशाला पर अपनी सेवायें दे रहें हैं, की सेवायें निरन्तर रखें अथवा उन्हें कार्यमुक्त करें।

प्रकरण दिनांक- 02.03.2012 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे।"

इसके उपरान्त प्रकरण को दिनांक 6.3.2012 को सूचीबद्व किया गया। उस दिन श्री लोकनाथ सोनी सी.ई.ओ. नगर निगम ने इस न्यायालय के समक्ष अण्डरटेकिंग दी कि हिंगौनिया गौशाला से संबंधित वर्ष 2011-12 के बजट को लेप्स नहीं किया जावेगा एवं बजट की राशि का उपयोग किया जावेगा। प्रकरण को दिनांक 16.3.2012 को सूचीबद्व किये जाने का आदेश दिया गया।

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 16.3.2012 को इस न्यायालय द्वारा इस रिट याचिका को निस्तारित किया गया एवं निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"आज यह प्रकरण पूर्व में पारित आदेश दिनांक 6.3.2012 के अनुसरण में इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किया गया हैं। श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिनियम, नगर परिषद, जयपुर मय अन्य संबंधित अधिकारीगण गौशाला आयुक्त, उघान आयुक्त इत्यादि के उपस्थित है। श्री सोनी ने इस न्यायालय के समक्ष सशपथ कथन किया है कि वे हिंगौनिया गौशाला के चारों तरफ पत्थरों की बाउण्ड्री वाल का निर्माण छः माह की अवधि में करवा देंगे, गौशाला की भूमि में स्थित पहाड़ या राजस्व अभिलेख में अंकित नालों को यथावत छोड़कर सम्पूर्ण भूमि को छः माह की अवधि में समतल करवा देंगे। उन्होनें यह भी कथन किया कि वर्तमान में हिंगौनिया गौशाला में 9 कुए चालू हैं, इसके अतिरिक्त शेष खुदवाये जाने वाले 20 कुओं में से 10 कुए तीन माह की अवधि में खुदवा दिये जावेंगे एवं शेष 10 कुए अगले तीन माह में खुदवा दिये जावेंगे, इस प्रकार कुए खुदवाने का कार्य छः माह की अवधि में पूर्ण करवा दिया जावेगा। श्री सोनी का यह भी कथन है कि आवश्यकतानुसार खेलियों व पानी के टेंकों का भी निर्माण करा दिया जावेगा।

न्यायालय के समक्ष उपस्थित उघान आयुक्त श्री बद्रीप्रसाद शर्मा ने कथन किया है कि हिंगौनिया गौशाला के अन्दर व गौशाला की बाउण्ड्री वाल के बाहर जितने भी पेड़ लगाये गये हैं उनकी सुरक्षा, रख-रखाव एवं खादी पानी देने इत्यादि का कार्य समय समय पर करायेंगे एवं इस कार्य हेतु वे कम से कम दस व्यक्तियों को लगायेंगे एवं आवश्यक होने पर उनकी संख्या बढ़ाई जावेगी। गौशाला के चारों तरफ परिक्रमा मार्ग छः माह की अवधि में पूर्ण करायेंगे एवं जिसमें आवश्यकतानुसार लाईट भी लगवायेंगे।

न्यायालय के समक्ष उपस्थित जिला वन अधिकारी श्री पी.सी.वर्मा ने कथन किया कि वे 5000 पौधे लगवा चुके हैं एवं शेष 5000 पौधे माह अगस्त, 2012 तक लगवा देंगे, जिन समस्त पौधों के रख-रखाव की जिम्मेदारी वन विभाग की होगी।

जयपुर विकास प्राधिकरण हिंगौनिया गौशाला तक आने जाने के लिये सड़क का निर्माण दो माह में पूर्व करावे। इस हेतु न्यायालय आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण श्री कुलदीप रांका को बुलाने के लिये तत्पर थी किन्तु मात्र इस हेतु उनके कार्य में व्यवधान करना उपयुक्त नहीं समझते हुए श्री लोकनाथ सोनी को निर्देश दिया जाता है कि वे उन्हें न्यायालय के आदेश से अवगत करावे। इस पर श्री सोनी ने कथन किया कि वे न्यायालय के आदेश से आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को अवगत करा देंगे।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

थानाधिकारी, पुलिस थाना, कानोता श्री प्रमोद कुमार भी आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। उन्होनें कथन किया कि वे रात्रि में एवं दिन में स्वयं गौशाला में गश्त करेंगे, इसकी रपट रोमनामचा में अंकित करेंगे एवं न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर रोजनामचा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

उपरोक्त वर्णित अधिकारीगण के द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रकार से कथन किये जाने से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है। किन्तु इस न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा किये गये कथन के अनुरुप पालना देखने हेतु प्रकरण को दिनांक 27 अप्रैल, 2012 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किया जावे। श्रीमती नयना सर्राफ ने कथन किया कि आगामी तारीख को संबंधित अधिकारीगण को उपस्थिति से छूट प्रदान की जावे एवं न्यायालय आवश्यक समझे जाने पर वे उन्हें दूरभाष कर बुला लेंगी। श्रीमती नयना सर्राफ की उक्त अण्डरटेकिंग को देखते हुए संबंधित अधिकारीगण को व्यक्तिगत रुप से आगामी तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने की आवश्यता नहीं है।

दिनांक 27.4.2012 को श्री कुलदीप रांका, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह अण्डरटेकिंग दी कि वे हिंगौनिया गौशाला के चारों तरफ एवं हिंगौनिया गौशाला को जोड़ने वाली रोड आज से तीन माह की अवधि में बनवा देंगे एवं इस हेतु वे सात दिन की अवधि में टेण्डर जारी करवा देंगे। वे इस हेतु अधिवक्तागण की टीम के साथ हिंगौनिया गौशाला का निरीक्षण करेंगे। प्रकरण को दिनांक 14.5.2012 को सूचीबद्व किये जाने का आदेश दिया गया।"

दिनांक 14.5.2012 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"आज यह प्रकरण पूर्व में पारित आदेश दिनांक 27.4.2012 के अनुक्रम में इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किया गया है।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

मुख्य रुप से यह प्रकरण इस न्यायालय द्वारा पूर्व में सहमति के आधार पर पारित किये गये आदेश पालना देखने के लिये सूचीबद्व हुआ है।

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण ने इस न्यायालय का ध्यान निम्न बिन्दुओं की ओर आकर्षित कराया:-

1. हिंगोनिया गौशाला में बिजली कई बार आती है एवं कई बार नहीं आती है, जबकि नगर निगम ने इस हेतु नियमानुसार राशि जमा करवा रखी है।

2. चारा उगाने के लिये 200 बीघा भूमि सुरक्षित रखी गयी है लेकिन उस पर चारा नहीं उगाया गया है।

3. इलेक्ट्रिसिटी, हाई मास्क लाईटें ऑपरेशन थियेटर व अन्य जगहों पर लगाने हेतु उपयुक्त तारों की आवश्यकता है। 162 के.वी.का जनरेटर लगवाने की प्रार्थना की गयी है एवं विघुत के जो पोल लगाये गये हैं वे मिट्टी में ही गाड़ दिये गये हैं, जिन्हें सही प्रकार से लगवाया जावे।

4. रोड़ बनाने की प्रार्थना की गयी है।

5. यह भी प्रार्थना की गयी है कि श्री ताराचन्द मीना, निदेशक स्वायत्त शासन विभाग ने आज तक कोई रिपोर्ट संबंधित सचिवालय में नहीं दी है, जो भिजवायी जावे।

6. उघान आयुक्त को निर्देश दिया जावे कि वे वहां युक्तियुक्त तरीके से व्यक्तियों को नियुक्त करे।

श्री कुजीलाल मीना, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड को न्यायालय द्वारा बुलाया गया, जिन्होनें न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह कथन किया कि वे स्वयं हिंगोनिया गौशाला जाकर देखेंगे एवं किसी तकनीकी कारण से लाईट नहीं जावे, यह सुनिश्चित करेंगे। श्री ताराचन्द मीना, निदेशक स्वायत्त शासन विभाग को भी न्यायालय द्वारा बुलाया गया, जिन्होनें भी

न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह कथन किया है कि उन्हें जैसे ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलेगी उसे सचिवालय में संबंधित विभाग को एप्रूवल के लिये भेज देंगे एवं वे इस कार्य को व्यक्तिगत रुप से रुचि लेते हुए करायेंगे। चारा उगाने के लिये जो 200 बीघा भूमि सुरक्षित रखी गयी है, उसके सम्बन्ध में श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिनियम, नगर परिषद, जयपुर ने कथन किया कि वे 50 बीघा भूमि पर चारा उगाने के लिये जोबनेर से बीज लाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होनें यह भी कथन किया कि इलेक्ट्रिसिटी, हाई मास्क लाईटे, ऑपरेशन थियेटर में उपयुक्त तार लगाने, 162 के.वी. का जनरेटर लगाने व बिजली के पोलों को लगकाने की कार्यवाही एक माह की अवधि में करा देंगे। ऑपरेशन थियेटर में उपयुक्त तार लगाने का कार्य संबंधित चिकित्सक के साथ बैठकर उनसे सलाह कर कार्य करायेंगे।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

श्री एस.आर.सुराना वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रार्थना की कि जहां पर रोड़ बन रहा है वहां पर बिजली व पेड़ लगाने के लिये वे आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण से प्रार्थना करेंगे। इस हेतु वे डॉ.पी.सी.जैन के साथ जाकर उन्हें न्यायालय की भावना से अवगत करायेंगे तथा उनसे सहमति प्राप्त करेंगे।

इस प्रकरण को दिनांक 16 जुलाई, 2012 को सूचीबद्व किया जावे। श्रीमती नयना सराफ ने प्रार्थना की कि उस दिन जिस भी अधिकारी की आवश्यकता होगी, वे बुलवा लेंगे।"

कमिश्नर रिपोर्ट पर पत्रावली को दिनांक 5.7.2012 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किया गया। दिनांक 5.7.2012 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"यह याचिका जागो जनता सोसायटी द्वारा पेश की गई है। कमिश्नर रिपोर्ट पर आज यह पत्रावली न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व की गई है।

श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जयपुर, श्री प्रदीप नथानी अधीक्षण अभियन्ता, री अशोक स्वामी गौशाला आयुक्त श्री बद्री प्रसाद शर्मा, गार्डन कमिश्नर एवं विजयपाल सिंह थानाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण व्यक्तिश: न्यायालय में उपस्थित है। सभी ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर न्यायालय से यह प्रार्थना की है कि वे भविष्य में ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश में अवरोध पैदा करता हो। उनकी इस प्रार्थना को हम

इस पवित्र कार्य के बीच में अवमानना याचिका ट्रीट नहीं करते हैं। फलस्वरुप उनकी क्षमा याचना को स्वीकार करते हुए निम्न निर्देश देता हूं:-

1. जो 16 सिक्योरिटी गार्ड वहां पर लगे हुए थे एवं जिनको हटा लिया गया था वे आज शाम तक वापिस लगा दिये जावेंगे एवं वे तब तक लगे रहेंगे जब तक कि हिंगौनिया गौशाला इस सृष्टि पर रहेगी।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

2. विघुत के बारे में यह कथन किया गया है कि वे 31 जुलाई, 2012 तक विघुत से संबंधित कार्य को पूर्ण करा देंगे। यदि किसी कारण से कार्य पूरा करने में किसी प्रकार की कोई समय की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए इस न्यायालय से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके समय मांग लिया जावेगा।

3. 200 बीघा जमीन जो रामसिंहपुरा में है, उसमें 15 अगस्त 2012 तक दो कुए खुदवा देंगे तथा शेश कुए इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेशानुसार खुदवा दिये जावेंगे।

4. टूटी हुई पाईप लाईन 15 दिवस में बदल दी जावेगी एवं 15 अगस्त, 2012 तक खराब हुई पूरी पाईप लाइन बदल दी जावेगी।

5. 15 जुलाई, 2012 तक टूटी हुई दीवार ठीक करा देंगे।

6. पुलिस के भारसाधक अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह क्षमा याचना की है कि वे गौशाला में इस न्यायालय के पूर्व आदेशानुसार नहीं गये एवं न ही रोजनामचा में इस बाबत कोई रपट दर्ज की है। मैं इस पवित्र कार्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अधिकारी को क्षमा करता हूं तथा यह निर्देश देता हूं कि वे आज के बाद दिन में एक बार गौशाला जावेंगे तथा वहां उपरोक्त सभी कार्यो को देखेंगे, सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे तथा किसी प्रकार की परेशानी होगी तो उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे तथा रोजाना की रपट रोजनामचा में लिखेंगे।

श्री दिनेश यादव, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जो इस न्यायालय में उपस्थित है, को निर्देश दिया जाता है कि उक्त कार्यो के संबंध में कोई दिक्कत आती है तो उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे।

पुलिस के भारसाधक अधिकारी के अलावा अन्य उपस्थित व्यक्तियों को अगली तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

इस पत्रावली को दिनांक 16.7.2012 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किया जावे।"

दिनांक 16.7.2012 को सभी पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण एवं संबंधित अधिकारियों ने कथन किया कि वे दिनांक 23.7.2012 को सायं 5.00 बजे हिंगौनिया गौशाला में जाकर स्थिति से न्यायालय को अवगत करायेंगे। पुलिस भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना कानोता को निर्देश दिया जाता है कि वे भी दिनांक 23.7.2012 को सायं 5.00 बजे हिंगौनिया गौशाला में उपस्थित रहेंगे। प्रकरण को दिनांक 25.7.2012 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्व किये जाने का निर्देश दिया गया।

Rajasthan High Court Web Copy Not Official सत्यमेव जयते

दिनांक 25.7.2012 को श्री लोकनाथ सोनी, सी.ई.ओ. नगर निगम जयपुर ने इस न्यायालय के समक्ष कथन किया कि वे दिनांक 14.5.2012 के आदेश की पालना एक माह की अवधि में करा देंगे एवं सात कुओं में से दो कुओं को एक सप्ताह की अवधि में चालू करवा देंगे। प्रकरण को दिनांक 27.8.2012 को सूचीबद्व किये जाने का आदेश दिया गया।

इसके उपरान्त प्रकरण को दिनांक 23.8.2012 को सूचीबद्व किया गया। उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

> "Today the matter is listed before this Hon'ble court.
>
> Mr. Sushil Sharma, AAG and Mr. Dinesh Yadav, AAG undertake that they will go to Hingoniya Gaushala alongwith Mr. S.R. Surana, Sr. Advocate assisted by Mr. Abhishek Bhargava, Mr. Vijay Singh Poonia, Advocate and Poonam Chand Bhandari, Advocate on 25th August, 2012. They will reach at Gaushala at 5.00 PM on 25th of this month, in order to know the problems of Hingoniya Gaushala.
>
> Thereafter as ordered by this Court on 25.7.2012, the case be listed on 27th August, 2012. On that day, all the concerned persons will indicate the problems of Hingoniya Gaushala and both the parties will also suggest the steps to be taken to resolve the problems.

Ms. Naina Sarraf, Advocate undertakes that she will show a copy of the contract entered into by the Contractor with the Municipal Corporation, along-with relevant documents, on that day.

Mr. Sushil Sharma, AAG undertakes that he will ask the SDO concerned to remain present in the Court on 27th August, 2012 along-with the revenue record of Hingoniya Gaushala.

Put up on 27th August, 2012."

Rajasthan High Court Web Copy Not Official सत्यमेव जयते

दिनांक 4.9.2012 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"यह प्रकरण दिनांक 27.8.2012 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किया जाना था, किन्तु उक्त तिथि को इस पीठ के नहीं बैठने के कारण उक्त तिथि को यह प्रकरण सूचीबद्व नहीं हो सका फलस्वरुप कल प्रार्थीगण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सज्जन राज सुराना, श्री पूनम चन्द भण्डारी अधिवक्ता व श्री ललित शर्मा अधिवक्ता ने न्यायालय से प्रार्थना की कि बरसात के मौसम में गायों की सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए गौशाला में बरसात की वजह से हो रहे कीचड़ व मौसमी बीमारियों के फैलने की आशंका के दृष्टिगत प्रकरण को आज न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किये जाने की प्रार्थना की, ताकि सम्बन्धित अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश न्यायालय द्वारा दिये जा सके। अत: प्रकरण आज इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किया गया।

आज श्री सुशील कुमार शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता राज्य सरकार की ओर से तथा श्री चन्दगीराम मीना, उप जिलाधीश, बस्सी जिला जयपुर श्री अशोक स्वामी गौशाला आयुक्त नगर निगम जयपुर, श्री डी.के.जोशी पीसीएफ वन विभाग की ओर से न्यायालय में उपस्थित हैं। श्री अशोक स्वामी, आयुक्त गौशाला ने न्यायालय के समक्ष कथन किया कि वह दस दिन की अवधि के अन्दर अन्दर हिंगौनिया गौशाला से कीचड़ को साफ करवा देंगे, पशु चिकित्सा विभाग के सम्बन्धित पशु चिकित्सालय से सम्पर्क कर गौशाला में दवाईयों का स्प्रे करवा देंगे ताकि गौशाला में संक्रामक रोग नहीं फल सके तथा एतदार्थ सम्बन्धित उपकरण सम्बन्धित जगहों पर लगवा देंगे। उन्होनें यह भी

कथन किया हिंगौनिया गौशाला से गायों/पशुओं से प्राप्त गोबर एवं मूत्र के उपयोग व उपभोग के सम्बन्ध में वह एक कार्य योजना बनाकर आगामी तारीख पेशी पर उससे न्यायालय से अवगत करा देंगे।

आज न्यायालय के समक्ष उप जिलाधीश बस्सी जिला जयपुर श्री चन्दगीराम मीना व्यक्तिश: उपस्थित हैं जिन्होनें न्यायालय के समक्ष कथन किया कि हिंगौनिया गौशाला की 577 बीघा जमीन है वह चिर काल तक हिंगौनिया गौशाला के नाम ही रहेगी, जिसे हिंगौनिया गौशाला की गायों के उत्थान के लिए हिंगौनिया गौशाला के लिए ही रखा जावेगा जिसका सम्बन्धित राजस्व अभिलेख में भी हिंगौनिया गौशाला के नाम ही इन्द्राज कर दिया जावेगा, जिसके राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किये जाने की प्रमाणित छाया प्रति आगामी तारीख पेशी पर वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वह इस आशय का अपना स्वयं का शपथपत्र कि उक्त हिंगौनिया गौशाला की 577 बीघा गोचर भूमि का इन्द्राज सम्बन्धित राजस्व अभिलेख में हिंगौनिया गौशाला के नाम कर दिया गया है जिसे चिरकाल तक हिंगौनिया गौशाला के नाम ही रखा जावेगा एवं उसे अन्य किसी को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा। उक्त शपथ पत्र के साथ इन्द्राज किये गये दस्तावेज की प्रमाणित छाया प्रति भी संलग्न की जावेगी एवं वह न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने से पूर्व उनकी प्रतियां वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सज्जन राज सुराणा, श्री पूनम चन्द भण्डारी, श्री ललित शर्मा को उपलब्ध करवाई जावेगी।

Web Copy - Not Official Rajasthan High Court सत्यमेव जयते

श्री अशोक स्वामी, आयुक्त गौशाला, नगर निगम, जयपुर को निर्देश दिया जाता है कि वह आगामी तारीख पेशी पर गौशाला में विघुत सम्बन्धित नक्शा भी न्यायालय के समक्ष न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे।

बहस के दौरान विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुराना ने न्यायालय के समक्ष कथन किया कि हिंगौनिया गौशाला में कार्यरत कर्मकारों की समस्या काफी जटिल होती जा रही है, उन्हें गत तीन माह से उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है जिसके कारण वह असंतुष्ट है और यदि वह असंतुष्ट रहे तो इस न्यायालय द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों की क्रियान्वित समय पर नहीं हो सकेगी। इस पर श्री अशोक स्वामी, आयुक्त, गौशाला नगर निगम जयपुर ने न्यायालय के समक्ष कथन किया कि वह संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क कर आगामी तारीख पेशी तक कर्मकारों को उनकी मजदूरी का पैसा दिलवाने का भरसक प्रयास करेंगे।

श्री डी.के.जोशी ACF जो कि व्यक्तिश: न्यायालय में उपस्थित है, ने न्यायालय के समक्ष कथन किया कि उन्होनें

हिंगौनिया गौशाला में लगभग नौ हजार पौधे लगा दिये हैं तथा चिहिंत क्षेत्र में एक हजार पौधे और लगा रहे हैं एवं आवश्यकता हुई तो वह आवश्यकतानुसार और वृक्षारोपण गौशाला में करेवा देंगे।

प्रकरण दिनांक 14.9.2012 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किया जावे। उप निबन्धक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक एक प्रति आज ही नि:शुल्क श्री सज्जन राज सुराना, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री पूनम चन्द भण्डारी अधिवक्ता, श्री सुशील कुमार शर्मा अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री चन्दगीराम मीना उप जिलाधीश बस्सी जिला जयपुर, श्री अशोक स्वामी आयुक्त गौशाला नगर निगम जयपुर व श्री डी.के.जोशी ACF वन विभाग जयपुर को उपलब्ध करायेंगे।"

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

दिनांक 19.9.2012 को इस न्यायालय के समक्ष श्री चन्दगीराम एस.डी.ओ. बस्सी ने अपना एक शपथपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें हिंगौनिया गौशाला में नाम अंकित भूमि का वर्णन किया एवं अपने शपथपत्र के साथ जमाबन्दी भी प्रस्तुत की। प्रकरण को दिनांक 24.9.2012 को सूचीबद्व किये जाने का आदेश दिया गया।

दिनांक 28.9.2012 को इस प्रकरण को दिनांक 3.10.2012 को सूचीबद्व किये जाने का आदेश दिया गया एवं उक्त दिवस को सचिव, शहरी विकास एवं आवासन विभाग एवं सी.ई.ओ. जयपुर नगर निगम को व्यक्तिश: उपस्थित होने का आदेश दिया गया।

दिनांक 3.10.2012 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"यह प्रकरण दिनांक 28.9.2012 के आदेशानुसार आज न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किया गया है।

उक्त दिवस को इस न्यायालय ने सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर नगर निगम को दिनांक 3.10.2012 को व्यक्तिश: उपस्थित होने का निर्देश दिया था।

उन्होनें न्यायालय की भावना के अनुरुप कार्यवाही की है, जिससे उनकी उपस्थिति इस न्यायालय द्वारा माफ की

जाती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर की ओर से आदेश दिनांक 1.10.2012 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके अन्तर्गत गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया में करवाये जाने वाले कार्यों एवं की जाने वाले व्यवस्थाओं के बाबत निम्न कार्य करवाने की स्वीकृति जारी की है:-

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1.बची हुई चारदीवारी का कार्य (चार कार्य)
2.नाले व नाली का निर्माण कार्य (तीन कार्य)
3.रोड कार्य (तीन कार्य)
4.बोरिंग का कार्य
5.ओवर हैड वाटर टेंक (दो कार्य)
6.अण्डर ग्राउण्ड वाटर टेंक
7.वॉच टावर हारवेस्टिंग सिस्टम
8.रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम
9.पानी की सप्लाई हेतु पानी की लाईन का कार्य
10.कैटल शेड (6 कार्य) एवं गायों के खुले विचरण हेतु आवश्यक निर्माण कार्य
11.सामुदायिक शौचालय
12.लैबर रेस्ट रुम व फर्स्ट ऐड रुम
13.स्टाफ, डाक्टर, कम्पाउण्डर आदि के लिये रेस्ट रुम
14.रोड साईड बिजली कार्य (दो कार्य)
15.अन्य बिजली कार्य
16.सोलर सिस्टम (डीपीआर एवं कार्यो हेतु)
17.गोर बैस प्लान्ट (ऑपरेशन आऊटसोर्स)
18.एम्बुलेंस 2 नम्बर्स (ऑपरेशन आऊटसोर्स) विथ जीपीएस सिस्टम

उपरोक्त कार्यो हेतु 960 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। एक अन्य आदेश दिनांक 1.10.2012 के द्वारा गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया में केन्द्र का कार्य व्यवस्थित रुप से संचालित किये जाने की दृष्टि से केन्द्र की खाली भूमि पर रिजका, हरी घास, बाजरा व अन्य गायों के खाने योग्य चारे की फसल उगायी जाने हेतु संविदा/नीलामी आधार पर दिये जाने की स्वीकृति दी गयी है। साथ ही न्यायालय के आदेश की भावना को ध्यान में रखते हुए गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया एवं राज्य की अन्य गौशालाओं को स्वावलम्बी बनाये जाने की दृष्टि से मॉडल विकसित करने हेतु एक समिति बनायी गयी, जिसे निर्देश दिया गया कि वह न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये कमिश्नर श्री सज्जनराज सुराणा, श्री पूनमचन्द भण्डारी से परामर्श करेगी एवं आवश्यकतानुसार बैठक में आमंत्रित करेगी। यह भी निर्देश दिया गया कि उक्त समिति प्रदेश में संचालित अन्य गौशालाओं के लिये बनाई गई सोसायटी/ट्रस्ट के विधान व प्रक्रिया का अध्ययन कर, एक माह में अपनी रिपोर्ट मय

प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 1.10.2012 के अन्तर्गत अनुबंधकर्ता मैसर्स कल्पतरु होस्पिटेलिटी एण्ड फेसिलिटी सर्विसेज मुम्बई द्वारा श्रमिकों को बकाया भुगतान नहीं किये जाने से उनकी धरोहर राशि को जप्त कर 10 लाख रुपये के भुगतान हेतु समिति गठित कर कार्य में आ रही बाधा को दूर किया गया। इन समस्त आदेशों को रिकार्ड पर लिया जाता है, जिन्हें पत्रावली में संलग्न रखा जावे।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

प्रार्थी के अधिवक्तागण सर्व श्री सज्जनराज सुराणा एवं पूनमचन्द भण्डारी का कथन है कि विघुत कनेक्शन जो ऑपरेशन थियेटर व अन्य जगह होने हैं वह अभी तक नहीं किये गये हैं, न ही उसका नक्शा तैयार किया गया है। उनका कथन है कि गायों व बछड़ों की संख्या जो इस याचिका को प्रस्तुत करते समय लगभग 3000 थी वह अब बढ़कर 4500 हो गयी है। इसलिये सुचारु रुप से कार्य हेतु श्रमिकों की संख्या बढाये जाने का निर्देश दिया जावे।

नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जगरुप सिंह यादव न्यायालय के समक्ष वयक्तिश: उपस्थित हैं, जिन्होनें कथन किया कि वे व्यक्तिगत रुचि लेते हुए अपनी देख रेख में इस न्यायालय के आदेश एवं राज्य सरकार द्वारा पारित आदेशों की क्रियान्विति करायेंगे। उन्होनें कथन किया है कि न्यायालय के आदेश व भावना को ध्यान में रखते हुए उन्हें इन आदेशों की क्रियान्विति के लिये कम से कम छ: माह का समय प्रदान किया जावे। किन्तु वे विघुत कनेक्शन तीस दिवस की अवधि में करवा देंगे और तीस दिवस की अवधि में ऑपरेशन थियेटर वेटरनरी विभाग को संभला देंगे और उसके तुरन्त पश्चात ऑपरेशन थियेटर चालू करा देंगे।

इस प्रकरण को दिनांक 30.10.2012 को सूचीबद्व किया जावे। आगामी तारीख को पालना रिपोर्ट गौशाला कमिश्नर व्यक्तिश: उपस्थित होकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे एवं आगामी तारीख को अन्य अधिकारीगण को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिश: उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।"

इसके उपरान्त प्रकरण को दिनांक 23.11.2012 को सूचीबद्व किया गया। उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"यह प्रकरण आज पूर्व की आदेशिका के क्रम में सूचीबद्व हुआ है। प्रार्थी की ओर वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.आर.सुराना एवं अधिवक्ता श्री पी.सी.भण्डारी ने मुख्य रुप से यह कथन किया है कि गौशाला में विघुत एवं श्रमिकों की समस्या है। साथ ही उन्होनें यह भी जाहिर किया है कि सचिव, स्वायत्त शासन विभाग ने इस न्यायालय के समक्ष यह कथन किया था कि 9,60,00,000/- रुपये राज्य सरकार ने गौशाला हेतु जारी किये हैं किन्तु अभी तक स्वायत्त शासन विभाग ने उक्त राशि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम को स्थानांतरित नहीं की है। यदि यह राशि स्थानांतरित हो जाय तो वहां पर श्रमिकों व चारे की समस्य समाप्त हो सकती है। श्रीमती नयना सर्राफ एवं श्री सुशील शर्मा ने कथन किया कि वे विघुत की समस्या को दूर कराने के सम्बन्ध में विघुत विभाग के अधिकारी श्री कुजीलाल मीना से सम्पर्क कर समस्या को दूर करायेंगे। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुशील शर्मा का कथन है कि वे संबंधित स्वायत्त शासन विभाग से सम्पर्क कर 15 दिवस में राशि स्थानांतरित कराने का प्रयास करेंगे।

Web Copy - Not Official
Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते

विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता के इस कथन को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण को दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को सूचीबद्व किया जावे। यदि संबंधित अधिकारीगण सुचारु रुप से कार्य करने में असमर्थ रहते हैं तो श्री कुंजीलाल मीना एवं श्री ताराचन्द मीना आगामी तारीख को व्यक्तिश: न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर न्यायालय को यह अवगत करायेंगे कि वे क्योंकर ऐसा करने में असमर्थ हैं। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री लोकेश शर्मा की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र का जवाब भी आगामी तारीख को प्रस्तुत किये जाने का कथन किया गया है।

दिनांक 14.12.2012 को विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुशील शर्मा को निर्देश दिया गया कि वे आगामी तारीख को संबंधित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मय केस डायरी के न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखें एवं संबंधित भारसाधक अधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे हिंगौनिया गौशाला से गायों की चोरी के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे एवं वे यह भी रिपोर्ट करे कि गौशाला में 24 घंटे बिजली आती है या नहीं।"

प्रकरण को दिनांक 19.12.2012 को सूचीबद्व किये जाने का आदेश दिया गया।

इस मामले में दिनांक 21.12.2012 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"यह प्रकरण दिनांक 14.12.2012 को सूचीबद्व हुआ था। तत्समय मामले में 19.12.2012 की तारीख नियत की गयी थी एवं 19.12.2012 को पुलिस थाना कानोता के भारसाधक अधिकारी को व्यक्तिश: उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये थे। पूर्व तारीख को विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुशील शर्मा को भी निर्देश दिये गये थे कि वे आगामी तारीख को संबंधित अधिकारियों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखें।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

आज नगर निगम जयपुर के मुख्य अधिशाषी अधिकारी श्री जगरुप सिंह यादव, अधिकारीगण श्री अशोक सिंह एवं अशोक स्वामी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री यू.एम.सहाय व पुलिस थाना कानोता के भारसाधक अधिकारी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

नगर निगम जयपुर के मुख्य अधिशाषी अधिकारी श्री जगरुप सिंह यादव से न्यायालय ने यह पृश्न पूछा कि क्या उनके द्वारा हिंगौनिया गौशाला में गायों के लिये चारा उगाने, गायों को उठाने के लिये वाहन उपलब्ध कराने एवं गायों की देख रेख के लिये उपयुक्त मेनपॉवर लगाने की व्यवस्थाऐं कर दी गयी है तो श्री यादव ने कथन किया कि मेनपॉवर लगाने के अलावा सभी कार्यो की पत्रावलियां उनके द्वारा पास कर दी गयी है एवं जहां तक मेनपॉवर का सम्बन्ध है 25 गायों पर एक व्यक्ति की आवश्यकता होना आकलित करते हुए एक सप्ताह की अवधि में 50 व्यक्ति बढ़ा देंगे। विघुत विभाग के संबंधित अधिकारी को आगामी तारीख पेशी पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखेंगे, गायों को उठाने के लिये वाहनों की संख्या बढ़ाकर छ: कर देंगे।

पुलिस थाना कानोता के भारसाधक अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वे रोजनामचा में अपनी रवानगी एवं आमद की रपट डालकर प्रतिदिन गौशाला में दो बार, एक बार दिन में एवं एक बार रात्रि में, जाकर व्यवस्था देखेंगें ताकि वहां कोई आपराधिक गतिविधियां नहीं हो सके।

सर्व श्री सज्जन राज सुराणा, पी.सी.भण्डारी एवं ललित शर्मा ने इस न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित कराया कि गौशाला में से दूध देने वाली गायों को ले जाया जा रहा है एवं उनके बदले बिना दूध देने वाली गायों को शिफ्ट कर दिया जाता है। पुलिस थाना कानोता के भारसाधक अधिकारी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे गौशाला आयुक्त से सम्पर्क कर पूरी देख-रेख करेंगे।

श्री रमेशचन्द शर्मा, कार्यवाहक अधिशाषी अभियन्ता ने कथन किया कि वे 31 जनवरी, 2013 तक एलईडी लाईट्स लगवा देंगे। उन्होनें कथन किया कि दो हाई मास्क लाईट्स

लगायी जा चुकी है एवं 16 एलईडी लाईट्स बाड़ों में लगायी जानी है। उन्होनें यह भी कथन किया कि वेटरनरी अस्पताल में केबल बिछा दी गयी है, वहां डाक्टर्स मशील लगावें तो कनेक्शन मिल जावेगा एवं विघुत से संबंधित शेष रहा कार्य वे 31 जनवरी, 2013 तक पूर्ण करवा देंगे।

इसी बीच सर्व श्री सज्जन राज सुराणा, पी.सी.भण्डारी एवं ललित शर्मा ने इस न्यायालय के समक्ष एक अन्य प्रार्थना की कि नाहरगढ़ रेस्क्यू सेन्टर में शेरों को रखा गया है, जिनमें से देख-रेख के अभाव में दो शेरों की मृत्यु हो गयी है। उनका कथन है कि शेरों से वातावरण तथा प्रकृति के संतुलन में मदद मिलती है। उनकी प्रार्थना है कि आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित प्रधान मुख्य वन संरक्षक को इस बारे में भी समुचित निर्देश दिये जावें। श्री यू.एम.सहाय को निर्देश दिया जाता है कि वे आगामी तारीख को इस न्यायालय को सूचित करें कि नाहरगढ़ रेस्क्यू सेन्टर में कुल कितने शेर हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, उनकी क्या उम्र है एवं उनका केयर टेकर कौन है।

Web Copy - Not Official
Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.12.2012 को पारित आदेश में जवाब पेश करने हेतु दी गयी तारीख टंकण की त्रुटिवश 14.1.2013 हो गयी थी, जिसे दिनांक 15.1.2013 पढ़ा जावे।

इस प्रकरण को दिनांक 15.1.2013 को सूचीबद्व किया जावे। उक्त दिवस को आज उपस्थित अधिकारी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि न्यायालय उनकी आवश्यकता महसूस करेगी तो श्रीमती नयना सर्राफ को इस हेतु सूचित कर दिया जावेगा।"

दिनांक 15.1.2013 को प्रकरण को दिनांक 29.1.2013 को सूचीबद्व किये जाने का निर्देश दिया गया।

दिनांक 29.1.2013 को श्री रामावतार सिंह, अधिशाषी अभियंता (डीडी- 1) जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड ने इस न्यायालय के समक्ष अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें यह अंकित किया गया कि जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड गौशाला की बिलिंग कोड 2520 के अनुसार करेगी, जिसके अनुसार टेरिफ चार्ज घरेलू से 50 प्रतिशत है। इस पर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.आर.सुराना, विद्वान अधिवक्तागण सर्व श्री विजयसिंह पूनिया, ललित शर्मा, सुधीर तिवारी एवं राकेश चन्देल ने कथन किया कि हिंगौनिया गौशाला को नि:शुल्क विघुत दी जानी

चाहिये। इस पर विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र लोढ़ा ने कथन किया कि जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड हिंगौनिया गौशाला को नि:शुल्क उपलब्ध करा देगी किन्तु इस हेतु उन्हें इस सम्बन्ध में विधिवत प्रक्रिया किये जाने हेतु उचित समय दिया जावे। इस हेतु उन्हें उचित समय दिया गया।

Rajasthan High Court Web Copy Not Official सत्यमेव जयते

श्री अशोक स्वामी आयुक्त गौशाला ने प्रार्थना की कि उन्हें हिंगौनिया गौशाला में नियुक्त करने हेतु कर्मचारियों की सूची प्राप्त हुई है, जिन्हें वे तीन दिन की अवधि में गौशाला में लगा देंगे। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.आर.सुराना ने न्यायालय से प्रार्थना की कि रामसिंहपुरा में हिंगौनिया गौशाला से लगती हुई 200 बीघा गोचर भूमि रिक्त है, जिससे अतिक्रमण को मुक्त कराया जावे एवं भूमि गौशाला को सुपुर्द की जावे। इस पर विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुशील शर्मा ने प्रार्थना की कि 15.2.2013 के बाद वे भू-प्रबन्ध आयुक्त श्री एम.जी.मीना एवं एस.डी.ओ. बस्सी को बुलाकर भूमि की नाप करवायेंगे एवं आवश्यक कार्यवाही विधि अनुसार करायेंगे। यदि भूमि पर कोई अतिक्रमण हुआ तो वे उसे हटाने की कार्यवाही करायेंगे। श्री अशोक स्वामी ने कथन किया कि वर्ष 2013-14 में एम्बुलेन्स खरीद हेतु बजट पारित किया जाता है तो वे उसे लेप्स नहीं होने देंगे। श्री सुधीर कुमार तिवारी ने कथन किया कि वे डी.जी.जेल श्री ओमेन्द्र भारद्वाज को सलाह देंगे कि वे कैदियों से हिंगौनिया गौशाला में कार्य करावें। प्रकरण को दिनांक 20.2.2013 को सूचीबद्व किये जाने का आदेश दिया गया।

दिनांक 22.3.2013 को श्री जगरुपसिंह यादव, सीईओ नगर निगम जयपुर, श्री एम.एल.गुप्ता वित्तीय सलाहकार, नगर निगम जयपुर, श्री अशोक स्वामी गौशाला आयुक्त एवं डा. ए.आर.नियाजी जेल अधीक्षक न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। उक्त सभी ने श्री सुराना वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री पूनमचन्द भण्डारी, श्रीमती नयना सर्राफ एवं श्री सुशील शर्मा व श्री लोकेश शर्मा के साथ हिंगौनिया गौशाला में मौके पर जाकर समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। प्रकरण को दिनांक 10.4.2013 को सूचीबद्व किये जाने का आदेश दिया गया।

इसके उपरान्त प्रकरण को दिनांक 6.5.2013 को सूचीबद्ध किया गया। उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.आर.सुराना ने इस न्यायालय के समक्ष इस न्यायालय के आदेशानुसार कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 3.5.2013 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे इस पत्रावली के साथ संलग्न रखा जावे। इस रिपोर्ट की प्रतिलिपि संबंधित अधिवक्तागण को दिलाई गई। यह न्यायालय उनसे यह अपेक्षा करता है कि इस कमिश्नर रिपोर्ट के हर बिन्दु का जवाब वे आगामी तारीख तक पेश करेंगे। आगामी तारीख को इस न्यायालय के समक्ष सी.ई.ओ. नगर निगम जयपुर, निदेशक एनीमल हसबेण्डरी, एस.डी.ओ. बस्सी, थानाधिकारी कानोता एवं थानाधिकारी माणक चौक व्यक्तिश: उपस्थित रहें। श्री भगवानसहाय व अन्य की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का जवाब भी आगामी तारीख तक प्रस्तुत किया जावे। इस प्रकरण को दिनांक 14.5.2013 को सूचीबद्ध किया जावे।"

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 14.5.2013 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"विद्वान अधिवक्ता श्रीमती नयना सर्राफ ने प्रार्थना की है कि कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 3.5.2013 का जवाब प्रस्तुत करने हेतु उन्हें और समय दिया जावे। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.आर.सुराना ने न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट में कुछ तथ्य मुख्य रुप से उद्वरित किये हैं, जो काफी संवेदनशील हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पूर्व में सहमति के आधार पर पारित आदेशों की अभी पूर्ण रुप से क्रियान्विति नहीं हो पाई है विद्वान अधिवक्ता श्रीमती नयना सर्राफ ने कथन किया कि वे तथा उनके अधिकारीगण इस न्यायालय द्वारा सहमति के आधार पर पूर्व में पारित किये गये आदेशों की क्रियान्विति के लिये पूर्ण रुप से तत्पर हैं। वे इसके लिये एवं कमिश्नर रिपोर्ट का जवाब देने हेतु तीन सप्ताह का समय चाहते हैं। उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें इस हेतु तीन सप्ताह का समय दिया जाता है।

विद्वान अधिवक्ता श्री विजयसिंह पूनिया ने कथन किया है कि बारिश का मौसम निकट है, श्री टी.सी.वर्मा जिला वन अधिकारी को पदोन्नत किया जाकर अन्यत्र पदस्थापित

किया गया है एवं उनके स्थान पर श्री अक्षयसिंह पदस्थापित हुए हैं, जिन्हें गौशाला में पेड़ पौधे लगाने हेतु तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिये जावें। उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए श्री अक्षयसिंह को इस हेतु निर्देशित किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति श्रीमती नयना सर्राफ को दी जावे जिसे वे वन विभाग के संबंधित अधिकारी को प्रेषित करेंगी। आज जो अधिकारी पूर्व आदेशानुसार न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं उन्हें आगामी तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है। श्री जगरुपसिंह यादव की आज की हाजरी माफ की जाती है। उन्हें भी आगामी तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

न्यायालय इस पवित्र कार्य को पवित्र तरीके से करना चाहता है, इसीलिये सहमति के आधार पर पूर्व में आदेश पारित किये गये हैं ताकि ऐसा कोई कारण नहीं हो जिससे गौशाला की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़े।

संबंधित पक्षकारान श्री लोकेश शर्मा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का भी जवाब आगामी तारीख तक प्रस्तुत करें। संबंधित एस.डी.ओ. ने अतिरिक्त शपथपत्र पेश किया, जिसमें कुछ भूमि खातेदारान की एवं कुछ भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम होना बताया है। इस शपथपत्र की प्रतिलिपि वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र लोढ़ा की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री अंकित जैन को उपलब्ध कराई जावे। इस प्रकरण को दिनांक 08 जुलाई, 2013 को सूचीबद्व किया जावे।"

इसके उपरान्त प्रकरण को दिनांक 22.7.2013 को सूचीबद्व किया गया। उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"सभी पक्षकारों ने यह प्रार्थना की है एवं न्यायसंगत भी है कि दिनांक 28.7.2013 को सर्व श्री एस.आर.सुराना, पी.सी.भण्डारी, वीरेन्द्र लोढा एवं श्रीमती नयना सर्राफ हिंगौनिया गौशाला का निरीक्षण करें। श्रीमती नयना सर्राफ ने कथन किया है कि वे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर से भी प्रार्थना कर उन्हें भी साथ ले जायेंगी ताकि मौके पर ही छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण कराया जा सके।

इस प्रकरण को दिनांक 30.7.2013 को 2.00 पी.एम. पर सूचीबद्व किया जावे।"

इसके उपरान्त प्रकरण को दिनांक 30.7.2013 एवं फिर दिनांक 31.7.2013 को सूचीबद्व किया गया। तदुपरान्त प्रकरण को दिनांक 1.8.2013 को सूचीबद्व किया गया। दिनांक 1.8.2013 को विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.आर.सुराना ने इस न्यायालय के समक्ष कथन किया कि हिंगौनिया गौशाला के पास 382 बीघा गोचर भूमि रिक्त है, जिसके सम्बन्ध में निर्देश दिया जावे कि वह भूमि हमेशा हिंगौनिया गौशाला के उपयोग में ली जावे। इस पर न्यायालय ने यह आदेश दिया कि हिंगौनिया गौशाला के पास स्थित 382 बीघा गोचर भूमि को गोचर भूमि के रुप में रखा जावे एवं केवल हिंगौनिया गौशाला के उपयोग में लिया जावे। श्रीमती नयना सर्राफ अधिवक्ता ने कथन किया कि वे संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष इस आशय का प्रार्थनापत्र पेश करेगी कि हिंगौनिया गौशाला के पास स्थित 382 बीघा गोचर भूमि को गोचर भूमि के रुप में रखा जावे एवं केवल हिंगौनिया गौशाला के उपयोग में लिया जावे। प्रकरण को दिनांक 12.8.2012 को सूचीबद्व किये जाने का आदेश दिया गया।

Rajasthan High Court Web Copy Not Official सत्यमेव जयते

दिनांक 12.8.2013 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

> "आज वन विभाग की ओर से सर्व श्री यू.एम.सहाय पी.सी.सी.एफ. एवं वाई.के.डक सी.सी.एफ. उपस्थित हैं, जिन्होनें न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि उन्होनें हिंगौनिया गौशाला में 10,000 पेड़ लगवा दिये हैं एवं 3000 पेड़ और लगवाये जाने का कार्य जारी है, जो अगस्त माह के अन्त तक पूर्ण हो जावेगा। पशुपालन विभाग की ओर से उपस्थित श्री सरदारसिंह, संयुक्त निदेशक ने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि उन्होनें तकनीकी कर्मचारी व संबंधित वाहन पर चालक लगा दिये हैं ताकि चिकित्सा से संबंधित कार्य को सुचारु रुप से कराया जा सके। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से उपस्थित श्री शक्तिसिंह उपायुक्त ने न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना की है कि भूमि पर हुए कुछ अतिक्रमण हटा दिये गये हैं एवं शेष रहे अतिक्रमणों को 10-12 दिवस की अवधि में पूर्ण रुप से हटवा दिया जावेगा। जयपुर विघुत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से उपस्थित श्री एस.पी.शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि उन्होनें हिंगौनिया

गौशाला में 160 केवीए की क्षमता का ट्रांसफार्मर लगवा दिया है, जिससे गौशाला में विघुत से संबंधित कोई परेशानी नहीं हो सके।

गौशाला आयुक्त श्री अशोक स्वामी ने न्यायालय के समक्ष कथन किया कि कुछ अतिक्रमी गौशाला में आकर दंगे करते हैं, गौशाला की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं, इसी क्रम में उन्हें विभिन्न प्रकार की धमकियां मिल रही है इसलिये उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई जावे। इस हेतु गौशाला आयुक्त यदि पुलिस आयुक्त जयपुर को कोई प्रार्थनापत्र पेश करें तो पुलिस आयुक्त जयपुर को निर्देश दिया जाता है कि वे उन्हें नियमानुसार सुरक्षा प्रदान करावें एवं हिंगौनिया गौशाला की अचल सम्पत्ति की भी सुरक्षा की जावे।

इस प्रकरण को दिनांक 27.8.2013 को 2.00 पी.एम. पर सूचीबद्व किया जावे।

उप निबन्धक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की एक एक नि:शुल्क प्रति संबंधित समस्त अधिकारियों को उपलब्ध करावे एवं इस आदेश की एक प्रति विशेष संदेशवाहक के माध्यम से पुलिस आयुक्त जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करे।"

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

इसके उपरान्त प्रकरण को दिनांक 23.8.2013 को सूचीबद्व किया गया। उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.आर.सुराना एवं विद्वान अधिवक्ता श्रीमती नयना सर्राफ को दिलाई गई। वे उक्त प्रार्थनापत्र का जवाब पेश करने हेतु समय चाहते हैं। उन्हें प्रार्थनापत्र के जवाब हेतु समय दिया जाता है।

इस प्रकरण को नियत दिनांक 27.8.2013 को 2.00 पी.एम. पर सूचीबद्व किया जावे।"

इसके उपरान्त इस न्यायालय ने प्रकरण में दिनांक 7.11.2013 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

"आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री लोकेश शर्मा आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र संख्या 32373/5.8.2013,

33251/12.8.2013 एवं 46257/4.10.2013 को इस स्टेज पर इस स्वतंत्रता के साथ वापिस लेने की अनुमति चाहते हैं कि वे इन प्रार्थनापत्र में चाहे अनुतोष के सम्बन्ध में संबंधित न्यायालय में उपयुक्त कार्यवाही करेंगे। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को आवेदक की ओर से प्रस्तुत इन तीनों प्रार्थनापत्रों को वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित तीनों प्रार्थनापत्र इस स्टेज पर उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापिस लिये जाने के आधार पर निरस्त किये जाते हैं।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

इस न्यायालय को अधिवक्ता श्री पी.सी.भण्डारी ने यह अवगत कराया है कि मृत गायों का अंतिम संस्कार सही रुप से नहीं किया जा रहा है, इस हेतु गड्ढ़ा भी उपयुक्त साईज का नहीं बनाया जाता है एवं नमक भी नहीं डाला जाता है, जिससे वहां उपलब्ध गायों में संक्रमण फैल रहा है साथ ही संक्रमण के भय से दानदाता भी आना कम हो गये हैं। उन्होनें प्रार्थना की है कि इस हेतु प्रभावी आदेश पारित किया जावे ताकि संक्रमण को रोका जा सके। इस पर नगर निगम की अधिवक्ता श्रीमती नयना सर्राफ ने कथन किया है कि वे दिनांक 10.11.2013 को सभी संबंधित अधिवक्तागण को हिंगौनिया गौशाला लेकर जायेंगी एवं तत्पश्चात वस्तुस्थिति से आगामी तारीख को न्यायालय को अवगत करायेंगी।

इस न्यायालय ने पूर्व में राज्य के महाधिवक्ता श्री जी.एस.बापना को यह सुझाव दिया था कि हिंगौनिया गौशाला के पास ओपन जेल खोल दी जावे ताकि वहां रहने वाले बन्दी गायों की सेवा कर अपनी आत्मा को संतुष्टि प्रदान कर सकें एवं गौशाला का काम भी सुचारु रुप से चल सके। इस हेतु आज महाधिवक्ता श्री जी.एस.बापना ने यह कथन किया है कि राज्य सरकार ने इस मामले में जो कदम उठाये हैं एवं जो प्रगति अब तक हुई है उस हेतु वे राज्य के मुख्य सचिव एवं संबंधित विभाग के प्रमुख शासन सचिव से जानकारी कर आगामी तारीख को न्यायालय को अवगत करा देंगे।

सभी पक्षकारों की सहमति से इस प्रकरण को दिनांक 12.11.2013 को 2.00 पी.एम. पर सूचीबद्व किया जावे।"

दिनांक 12.11.2013 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"यह प्रकरण पूर्व में पारित आदेश दिनांक 07.11.2013 के अनुक्रम में आज सूचीबद्व हुआ है। नगर निगम के विद्वान अधिवक्ता श्रीमती नयना सर्राफ ने कथन किया कि वे

वस्तुस्थिति की जानकारी नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से ही दिलवायेंगी, इसलिये न्यायहित में उन्हें बुलाया जावे। न्यायहित में उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे कल दिनांक 13.11.2013 को प्रात: 10.30 बजे नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिश: उपस्थित रखें। इस प्रकरण को कल दिनांक 13.11 .2013 को प्रात: 10.30 बजे प्रथम वाद के रुप में सूचीबद्व किया जावे।"

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

दिनांक 13.11.2013 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"यह प्रकरण पूर्व में पारित आदेश दिनांक 12.11.2013 के अनुक्रम में आज सूचीबद्व हुआ है। नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जगरुपसिंह यादव एवं गौशाला आयुक्त श्री एम.पी.स्वामी उपस्थित हैं। उनके द्वारा इस न्यायालय के प्रश्नों का जवाब बिन्दुवार निम्नलिखित दिया है:-

1. गायों को दफनाये जाने के बारे में उन्होनें कथन किया कि गायों को उपयुक्त प्रकार से दफनाया जायेगा, गोचर भूमि में नहीं दफनाया जायेगा ताकि गायों में संक्रमण नहीं फैले।

2. गायों की खाघ सामग्री चारा/बाटा इत्यादि के बारे में उनका कथन है कि गायों की खाघ सामग्री चारा/बाटा की उपलब्धता में आईन्दा चूक नहीं होगी और ठेकेदार को इस हेतु पाबन्द किया जावेगा।

3. उन्होनें कथन किया कि गोचर भूमि के डिमार्केशन के लिये वे 2-3 दिवस की अवधि में आवेदन करेंगे एवं डिमार्केशन के उपरान्त उस पर बाउण्ड्री वॉल बनवाकर भूमि को सुरक्षित करेंगे।

4. बिजली व अन्य सुविधाओं के लिये सरकार से मिली दस करोड़ रुपये की राशि के सम्बन्ध में उनका कथन है कि बिजली के कार्य व अन्य कार्यो के लिये कार्यादेश (वर्क आर्डर) जारी कर दिये गये हैं एवं प्रगति की रिपोर्ट वे आईन्दा तारीख पेशी पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

आईन्दा तारीख को नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जगरुपसिंह यादव को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है। गायों को दफनाये जाने की समस्या के उपयुक्त निदान के लिये यदि नगर निगम कॉरकस प्लान्ट की स्थापना किया जाना उपयुक्त

समझे तो अपने विवेक अनुसार ऐसा प्लान्ट स्थापित करने के लिये स्वतंत्र है। प्रकरण को दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 को सूचीबद्व किया जावे।"

इसके उपरान्त प्रकरण में दिनांक 28.1.2014 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

"विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कथन किया कि उनके पास पत्रावली अभी आयी है, वे इसे देखना चाहते हैं। साथ ही हिंगोनिया गौशाला का निरीक्षण करना चाहते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.आर.सुराना के साथ वहां जाकर न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।

इस प्रकरण एवं संलग्न प्रकरण को दिनांक 10.2.2014 को सूचीबद्व किया जावे।"

दिनांक 10.2.2014 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"On being called by this court, Mr.N.M.Lodha, Advocate General puts in appearance on behalf of the State. He has requested to this court that he will visit 'Hingonia Goushala' personally because it is a religious work, and he ensures that he would try his level best to solve the problems in accordance with law.

Dr.Lal Singh, present today, is directed to file a detailed affidavit explaining as to how 400 cattles have been died.

On being called the C.E.O., Municipal Council, Jaipur, Ms.Saini Saraf, counsel appearing on behalf of Municipal Council informs that new C.E.O. Of Municipal Council, Jaipur Mr.Lal Chand Aswal, has joined/took charge today, therefore, he could not attend the court. She undertakes that on the next date, he will remain present in the court.

List this case on 28.2.2014 along with S.B.Civil Writ Pet. No.19815/2013 as it has not been listed today inspite of order by the coordinate bench of this case. Same be shown in cause list as well.

On that date, Mr.Lal Chand Aswal, CEO, Municipal Council, Jaipur will remain present, and Dr.Lal Singh, will file the affidavit as indicated above."

इस मामले में दिनांक 28.2.2014 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

श्री लालचन्द असवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिश: उपस्थित हैं, जिन्होनें कथन किया कि उन्होनें इस पद पर कुछ समय पूर्व ही ज्वाईन किया है, इसलिये उन्हें इस मामले में कुछ समय दिया जावे। उन्होनें विश्वास दिलाया कि वे समस्त कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। उन्होनें कथन किया कि हिंगौनिया गौशाला में बछड़े बहुत अधिक मात्रा में हो गये हैं, जिन्हें कृषि उपयोग हेतु काश्तकारों को नीलाम किये जाने की स्वीकृति दी जा सकती है ताकि वे केवल कृषि कार्य हेतु अपने विवेक पर बछड़ों को नीलाम कर सकें। उनकी यह प्रार्थना न्यायसंगत है। चूंकि श्री असवाल को वर्तमान पद पर ज्वाईन किये हुए कम ही समय हुआ है, जिससे उन्हें उपयुक्त समय दिया जाना चाहिये। वे हिंगौनिया गौशाला में जो बछड़े हैं उन्हें केवल कृषि कार्य हेतु काश्तकारों को अपने विवेक पर नीलाम किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आर्थिक स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग को आदेश दिनांक 22.2.2012 व 6.3.2012 के तहत निर्देश दिये गये हैं, इसलिये इस सम्बन्ध में पुन: आदेश दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। आदेश के अनुक्रम में कोई बजट राजस्थान सरकार के वित्त विभाग से मांगा जावे तो गौशाला की उपयोगिता को समझते हुए तुरन्त स्वीकृति जारी करेंगे। श्री असवाल कमिश्नर श्री सज्जन राज सुराणा को दूरभाष पर समय समय पर प्रगति की सूचना देते रहेंगे। पशुपालन विभाग के निदेशक को निर्देश दिया जाता है कि हिंगौनिया गौशाला में चिकित्सक व पैरा-मेडिकल स्टाफ की समुचित व्यवस्था करें। वे अपनी देख रेख में ऐसी व्यवस्था कराकर आगामी तारीख पेशी को न्यायालय को सूचित करें कि चिकित्सा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रहे।

उप निबन्धक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक नि:शुल्क प्रति श्री सज्जनराज सुराणा अधिवक्ता को, श्रीमती नयना सर्राफ अधिवक्ता को एवं आज उपस्थित समस्त अधिकारीगण को उपलब्ध करावे।

इस प्रकरण एवं संलग्न प्रकरण को दिनांक 30.4.2014 को

2.00 बजे सूचीबद्व किया जावे।"

दिनांक 30.4.2014 को प्रकरण को दिनांक 9.5.2014 को एवं दिनांक 9.5.2014 को प्रकरण को दिनांक 20.5.2014 को लगाये जाने का आदेश दिया गया। दिनांक 20.5.2014 को उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की प्रार्थना पर इस प्रकरण एवं संलग्न प्रकरण को दिनांक 22.5.2014 को प्रथम केस के रुप में सूचीबद्व किये जाने का आदेश दिया गया। दिनांक 22.5.2014 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

"This petition has been listed today for further orders.

Mr.Lodha, Advocate General is present in person along with Mr.Ashok Swami, Goshala Commissioner.

It has been stated by the Advocate General that out of 36 files/cases which are pending, 19 cases/files have been decided and work order has been placed, and in rest of the files, process is undergoing. It is also stated that so far as construction of open jail is concerned, a plan has been submitted and necessary sanction has been issued and very soon, work will be started. So far as other works in the Hingonia Goshala with regard to measurement of land, electric connection from Kanota side etc. are concerned, they will watch over it.

At this juncture, looking to the facts & circumstances of the case, it will be appropriate to issue direction to the Advocate General not to transfer Mr.Ashok Swami, Hingonia Commissioner without taking prior order/sanction from this court.

Ordered accordingly.

Mr.Lokesh Sharma, counsel for the applicant is directed to supply copy of his writ petition to the opposite parties.

List this case on 30.7.2014."

दिनांक 30.7.2014 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित

आदेश पारित किया गया:-

"इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित आयुक्त, गौशाला श्री अशोक स्वामी ने कथन किया है कि इस न्यायालय के आदेशानुसार 382 बीघा अतिरिक्त भूमि की चारदीवारी में विकास कार्य किये गये हैं, जिसमें खुली जेल की बाउण्ड्री का निर्माण कार्य कराया गया है, गायों के लिये शेड का निर्माण कराया गया है, विघुत सप्लाई एवं पानी की सप्लाई की व्यवस्था करायी गयी है।

उनके इस कथन की पुष्टि हेतु इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री श्यामसिंह को निर्देश दिया जाता है कि वे पुलिस थाना कानोता के भारसाधक अधिकारी को सूचना देने के उपरान्त उनके साथ दिनांक 11.8.2014 को हिंगौनिया गौशाला का दौरा करेंगे तथा गौशाला आयुक्त के द्वारा किये गये कथनों का सत्यापन करते हुए आगामी तारीख को इस न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। साथ ही हिंगौनिया गौशाला के उद्वार व सुचारु रुप से संचालन के सम्बन्ध में अपने सुझाव भी देंगे। इस प्रकरण को संलग्न प्रकरण के साथ चार सप्ताह बाद सूचीबद्व किया जावे।"

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण में दिनांक 1.9.2014 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री श्यामसिंह ने न्यायालय के समक्ष स्टेटस रिपोर्ट पेश की।

नगर निगम के उपस्थित अधिकारीगण से न्यायालय ने यह प्रश्न किया कि इस न्यायालय को विभिन्न समाचारपत्रों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि हिंगौनिया गौशाला में कराये जा रहे सिविल कार्य को किसी कारणवश रोक दिया गया है और वहां से सामान भी उठा लिया गया है तो नगर निगम के उपस्थित अधिकारीगण ने कथन किया कि उन्हें उपयुक्त जवाब देने के लिये एक दिवस का समय प्रदान किया जावे। उनकी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। प्रकरण को दिनांक 3.9.2014 को सूचीबद्व किया जावे। इसके साथ संलग्न रिट याचिका संख्या 19815/2013 को दिनांक 27.10.2014 को सूचीबद्व किया जावे।"

इसके उपरान्त प्रकरण में दिनांक 3.9.2014 को निम्नलिखित

आदेश पारित किया गया:-

नगर निगम जयपुर की ओर से इस न्यायालय के समक्ष पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जो निम्नानुसार है:-

A-माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट दिनांक 09.01.2014 के क्रम में मांगी गई बिन्दुवार रिपोर्ट की पूर्व में की गई रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न है।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

B-दिनांक 22.05.2014 को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अन्तर्गत निम्न कार्य कराये गये:-

i- 7 बाडों में शेड का कार्यादेश जारी होने पर कार्य प्रारम्भ करवा दिये गये थे। (वर्तमान में उक्त कार्य 60-70 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।)
ii- मीटिंग हॉल में शौचालय एवं रंग-रोगन कार्य प्रगतिरत है।
iii- अस्पताल के पीछे पौण्ड की दीवार/रिटनिंग वाल एवं सड़क का निर्माण कार्य।
iv- बाडा नं. 9में शेड निर्माण कार्य करवा दिया गया।
v- वार्ड नं.9 खेली, पाईप लाइन मरम्मत कार्य।
vi- सर्जिकल वार्ड (अस्पताल में) ए.सी. लगाने का कार्य।
vii- ए.वी.एल. बाडा से मोर्चरी तक सडक के प्रोटेक्शन का कार्य।
viii- पैथोलोजी लेब का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं मोर्चरी भवन, सर्जिकल वार्ड भवन का निर्माण प्रगतिरत है।
ix- बाडो में 3 स्थानों पर (बाडा नं. 9, 2, 6) डाक्टर रुम एवं लेबर रुम का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

C- दिनांक 23.07.2014 को माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत पालना रिपोर्ट के सम्बन्ध में:-
i- 382 बीघा भूमि में तारबन्दी का कार्य (आंशिक) कर दिया गया है। पक्की बाउण्ड्रीवाल की पत्रावली स्वीकृति की प्रक्रिया में है। पेयजल हेतु 5 बोरिंगों व 2 स्वीच रुम का निर्माण करवा दिया गया है। जिनमें विघुत कनेक्शन बाकी है।
ii- 382 बीघा भूमि में खुली जेल का निर्माण कार्य के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं। कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
iii- गायों के शेड निर्माण कार्य:- 7 बाडों में शेड का निर्माण कार्य प्रगतिरत है जो 60-70 प्रतिशत पूर्ण हो चुके है। बाडा नं. 9 में दो शेड का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। आगामी 1 – 1 ½ माह में शेडों को पूर्ण तैयार कर दिया जावेगा।

विशेष:- दिनांक 01.09.2014 को माननीय उच्च न्यायालय में

श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, आयुक्त (गौशाला) महोदय की उपस्थिति में जो कार्य प्रगतिरत है उन्हें जारी रखने तथा अति आवश्यक कार्यो को कराये जाने हेतु सख्त निर्देश प्रदान किये जिसकी अनुपालना में संलग्न सूची अनुसार कार्यवाही की जानी है।

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री रामचरन शर्मा ने कथन किया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ज्ञानाराम चौधरी की मां का देहान्त हो जाने से कल उनके बारहवें की रस्म है एवं वे परसों तक ड्यूटी पर आ जायेंगे एवं सोमवार को न्यायालय के समक्ष संतोषजनक जवाब दे सकेंगे। मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रकरण को मुल्तवी किया जाता है। प्रकरण को दिनांक 8.9.2014 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्व किया जावे। उस दिन नगर निगम के मुख्य कार्यवाही अधिकारी न्यायालय के समक्ष व्यक्तिश: उपस्थित रहें। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी पालना रिपोर्ट को पत्रावली में संलग्न किया जावे।

दिनांक 8.9.2014 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"इस न्यायालय के समक्ष यह प्रकरण आज सूचीबद्व हुआ है। इस मामले में मुख्य रुप से यह बात सामने आ रही है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित किये गये आदेशों की पूर्ण रुप से पालना नहीं हुई है। 382 बीघा भूमि जो नगर निगम को दिलायी गयी है उसकी बाउण्ड्री वॉल बनाने का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, बिजली तकनीकी खराबी के कारण 24 घंटे नहीं आ रही है। यह भी प्रकट हुआ है कि डाक्टर और पैथोलोजी स्टाफ कार्यरत नहीं है, जिनका पदस्थापन था उनका स्थानांतरण कर दिया गया है। इस समय हिंगौनिया गौशाला में लगभग 8500 गायें हैं, जिनके लिये बाड़ों की और आवश्यकता है।

इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित गौसेवक श्री राजेश तांबी ने इस न्यायालय के समक्ष समाचारपत्र राजस्थान पत्रिका के दिनांक 3.9.2014 के अंक की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें "पीएमओ ने गायों की मौत पर मांगा जवाब" शीर्षक से हिंगौनिया गौशाला में हो रही गायों की मौत के सम्बन्ध में पृष्ठ चार पर समचार प्रकाशित हुआ है।

यह भी प्रदर्शित किया गया है कि हिंगौनिया गौशाला में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की उपयुक्त रुप से पालना नहीं हो रही है। अन्य कई कमियां भी प्रकट हो रही है। इस पर नगर निगम जयपुर के मुख्य कार्यकारी

अधिकारी श्री ज्ञानाराम चौधरी ने इस न्यायालय को यह विश्वास दिलाया कि वे इसी सप्ताह में संबंधित अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत रुप से हिंगौनिया गौशाला जायेंगे एवं इस न्यायालय के आदेशों की पालना में जो कमियां रही है उन्हें पूर्ण करायेंगे। उन्होनें यह भी कथन किया है कि वे 382 बीघा भूमि की बाउण्ड्री वॉल यथाशीघ्र पूर्ण करायेंगे एवं आगामी तारीख को इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उनका यह भी कथन है कि खुली जेल का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट भी वे न्यायालय के समक्ष आगामी तारीख को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। प्रकरण को दिनांक 15.9.2014 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्व किया जावे। उस दिन नगर निगम के मुख्य कार्यवाही अधिकारी, एनीमल हसबेण्ड्री के निदेशक न्यायालय के समक्ष व्यक्तिश: उपस्थित रहें। इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी राजस्थान पत्रिका के दिनांक 3.9.2014 के अंक में पृष्ठ चार पर मुद्रित उपरोक्त वर्णित शीर्षकीय समाचार की प्रति को इस पत्रावली में संलग्न किया जावे।"

Web Copy - Not Official
Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते

दिनांक 15.9.2014 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"आज इस न्यायालय के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.आर.सुराना ने हिंगौनिया गौशाला के सम्बन्ध में सामूहिक निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की। उक्त रिपोर्ट की प्रति महाधिवक्ता श्री एन.एम.लोढ़ा को एवं नगर निगम की अधिवक्ता श्रीमती नयना सर्राफ को दिलाई गई। इस रिपोर्ट में मुख्य रुप से जिन बिन्दुओं को उठाया गया है उनके सम्बन्ध में विद्वान महाधिवक्ता ने दस दिवस का समय चाहा है। उनका कथन है कि उन्होनें पूर्व में भी हिंगौनिया गौशाला के कार्य को व्यक्तिगत रुप से लिया है। उनका कथन है कि चूंकि यह धार्मिक कार्य है और वे इस कार्य को निष्ठा से करेंगे एवं जो भी कमियां रही है उन्हें दूर करायेंगे। उन्हें इस हेतु कम से कम दस दिवस का समय दिया जावे।

प्रकरण को दिनांक 30.9.2014 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्व किया जावे। इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी सामूहिक निरीक्षण रिपोर्ट को पत्रावली में संलग्न रखा जावे।"

इसके उपरान्त प्रकरण में दिनांक 10.11.2014 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"इस मामले में कमिश्नर एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.आर.सुराना ने इस न्यायालय का ध्यान निम्न बिन्दुओं की ओर आकर्षित किया:-

1. एक नक्शे का न्यायालय को अवलोकन कराते हुए कथन किया गया कि गौशाला की भूमि पर कुछ भू-माफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया है, जिसे हटाया जाना चाहिये।

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. डाक्टरों की टीम सही रुप से कार्य नहीं कर रही है। सप्ताह में दो ही ऑपरेशन किये जाते हैं जबकि सर्जरी के चार डाक्टर कार्यरत हैं। एक्स-रे मशीन एवं सोनोग्राफी मशीन इत्यादि मशीनें सही रुप से संचालित नहीं है।

3. गौशाला में गायें अत्यधिक हो गयी है, जिनके लिये बाड़ों की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। बाड़ों की उपयुक्त व्यवस्था की जावे।

4. उचित लाईट की व्यवस्था, चारा व पीने के शुद्व पानी की व्यवस्था कराई जावे।

5. ऑपरेशन थियेटर व आई.सी.यू. जो बनाये गये हैं उनकी हालत बिगड़ गयी है, जिन्हें ठीक कराया जावे। प्रयोगशाला में आवश्यक उपकरणों को स्थापित कराया जावे।

6. नगर निगम के पास 16 करोड़ रुपये की रिटेन्डरिंग कर दी गयी है, यदि दिनांक 31.3.2015 तक उक्त राशि का उपयोग नहीं किया गया तो वह राशि लेप्स हो जावेगी, इस हेतु उपयुक्त कदम उठाये जावें।

7. जो रास्ता टूट गया है उसकी उपयुक्त मरम्मत कराई जावे।

इस न्यायालय द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री बी.एन.सान्दू को तलब कर उनका ध्यान इन बिन्दुओं की ओर दिलाया गया। उनसे अपेक्षा की जाती है कि इन बिन्दुओं की ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाते हुए इनका समाधान संबंधित विभागों के अधिकारियों से अविलम्ब करायेंगे। सभी ने मिलकर यह तय किया है कि वे दिनांक 16.11.2014 को विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री बी.एन.सान्दू के साथ मौके पर जाकर उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के निवारण करायेंगे। संयुक्त निदेशक जी.आर.बैरवा,

नगर निगम के सी.ई.ओ. या उनके नोमिनी, राज्य सरकार के संबंधित विभागों के अधिकारियों को 16.11.2014 को मौके पर पहुंचने हेतु सूचित करेंगे एवं अपनी रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष आगामी तारीख पर प्रस्तुत करेंगे। प्रकरण को दिनांक 28.11.2014 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्व किया जावे।"

दिनांक 28.11.2014 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

Web Copy - Not Official Rajasthan High Court सत्यमेव जयते

"आज यह प्रकरण इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2014 की अनुपालना में न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किया गया है। इस न्यायालय के समक्ष नगर निगम जयपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ज्ञानाराम चौधरी मय अन्य अधिकारियों के उपस्थित हैं, निदेशक, एनीमल हसबेण्डरी श्री राजेश मान मय अन्य अधिकारियों के उपस्थित हैं। इस न्यायालय के समक्ष नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ज्ञानाराम चौधरी ने निम्नलिखित कथन किये हैं:-

1. हिंगौनिया गौशाला की भूमि पर जो अतिक्रमण हैं उन्हें 15 दिवस की अवधि में हटवा दिया जावेगा। बाड़ों की दीवारों, लोहे के फाटकों व टूटी हुई केचों को एक माह की अवधि में रिपेयर करवा दिया जावेगा।

2. बीस बाड़े छः माह की अवधि में बनवा दिये जावेंगे। लगभग 10-15 दिन की अवधि में उक्त बाड़ों को बनवाये जाने के सम्बन्ध में टेण्डर जारी कर दिये जायेंगे।

3. चारा पानी का इन्तजाम सही तरीके से कराया जायेगा। श्रमिकों की संख्या को आवश्यकता के अनुसार बढ़ाते रहेंगे।

4. जो पानी निकालने के लिये मशीनें लगी हुई है उनकी सफाई व उनको रिपेयर एक माह की अवधि में करवा दिया जावेगा। जो गौपथ टूट गया है उसे भी ठीक करवा दिया जावेगा।

5. उन्होनें यह कथन किया है कि नगर निगम की एडवरटाईजिंग के लिये आई.एन.एस. ने यह सलाह दे रखी है कि नगर निगम की एडवरटाईजिंग प्रकाशित न की जाय। ऐसी सूरत में गौशाला का उत्थान करने में वे असमर्थ हैं क्योंकि नियमानुसार बिना प्रकाशन के टेण्डर जारी नहीं हो सकते हैं। यह न्यायालय श्री ज्ञानाराम चौधरी, मुख्य

कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम से यह अपेक्षा करता है कि वे संबंधित समाचार पत्र के प्रधान सम्पादक से सम्पर्क कर इस न्यायालय के आदेश की प्रति उनके समक्ष रखकर उनसे यह आग्रह करें कि चूंकि यह धार्मिक कार्य है, इसलिये इसमें टेण्डर प्रकाशन का जो भी नियमानुसार खर्चा होगा वह नगर निगम देने को तैयार हैं। संबंधित समाचार पत्र के प्रधान सम्पादक जिनके समक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस आदेश की प्रति रखेंगे उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे मानवता के आधार पर एवं गौशाला के उत्थान को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार टेण्डर प्रकाशित करेंगे एवं खर्चा नगर निगम से प्राप्त करेंगे, ऐसे खर्चे को नगर निगम उन्हें देगा।

Web Copy - Not Official Rajasthan High Court सत्यमेव जयते

6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी से न्यायालय यह अपेक्षा करता है कि जो भी गायें शहर में कूड़ा स्थानों पर, सड़कों पर या सार्वजनिक स्थानों पर मिले उन्हें पकड़कर हिंगौनिया गौशाला में दाखिल करावें तथा इस हेतु संबंधित पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करावें। उन गायों को छोड़ने का अधिकार शिकायत में दर्ज कराये गये अपराध को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित मजिस्ट्रेट को होगा।

7. नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि दूरभाष नगर 1962 हमेशा चालू रखा जावे।

8. जो भी दाना पानी गायों के लिये आवश्यक होगा वह यथासंभव दिलवाया जावेगा।

9. वे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की व्यवस्था का भी ध्यान रखेंगे तथा कोई कमी होगी तो पूर्ण करायेंगे।

10. उन्होनें कथन किया कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में समय समय पर पारित किये गये आदेशों की पालना करायेंगे। पूर्व में जनरेटर खरीद करने व लगाने का आदेश दिया था इसलिये पुन: आदेश देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होनें कथन किया कि पूर्व में पारित किये गये आदेशों की अक्षरश: पालना की जावेगी।

निदेशक, एनीमल हसबेण्डरी श्री राजेश मान ने यह कथन किया है कि वे दो एम्बुलेन्स खरीदने के लिये राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे, राज्य सरकार से आदेश प्राप्त होने के बाद एम्बुलेन्स खरीद की जावेगी। उन्होनें न्यायालय के समक्ष यह भी कथन किया है कि डिजिटल एक्सरे मशीन, ऑटो एनालाईजर व प्रयोगशाला से संबंधित उपकरण दो माह की अवधि में रिप्लेस कर दिये जावेंगे ताकि अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकें।

इस प्रकरण को दिनांक 16.1.2015 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्व किया जावे। उप निबन्धक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक एक प्रति सभी संबंधित को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जावे।"

दिनांक 16.1.2015 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

"This petition has been listed today for taking necessary steps upon the points mentioned in the order dated 28.11.2014 passed by this court for necessary compliance.

Mr.SR Surana, Mr.PC Bhandari and Mr.Vimal Choudhary, learned Senior counsels for the petitioner assisted by Mr.SK Yadav, Court Commissioner has requested to this court that necessary compliance of order dated 28.11.2014 has not been made by the present Chief Executive Officer, Nagar Nigam, Jaipur. It is further requested that the Director, Animal Husbandry has also not completed the work relating to animal husbandry within the specified period as ordered.

Mr.Gyana Ram Choudhary, CEO, Nagal Nigam, Jaipur is present in person along with Mr.BN Sandhu, AAG as also Ms.Naina Saraf, counsel for Nagar Nigam, Jaipur.

This Court has asked Mr.Choudhary as to why the order dated 28.11.2014 has not been complied with, and now in how much time and in what manner, same shall be complied with, to which, he replied that some more time may be given for necessary compliance.

Therefore, looking to the above facts & circumstances of the case, Mr.Gyana Ram Choudhary, CEO, Nagar Nigam, Jaipur is directed to file affidavit on the points mentioned in the order dated 28.11.2014.

Mr.J.R.Bairwa, Joint Director, Animal Husbandry who is present on behalf of Mr.Rajesh Man, Director, Animal Husbandry has made statement before this court that very soon necessary work will be completed, hence he is also directed to file affidavit of Mr.Rajesh Man, Director regarding the compliance of the points relating to animal husbandry as mentioned in order dated 28.11.2014.

Two weeks' time is granted for filing the necessary

affidavits to Mr.Choudhary, CEO as also Mr.Bairwa, Joint Director.

Mr.BN Sandhu, AAG shall ensure that before filing of affidavits by both the authorities i.e. CEO and Director, copies of same shall be supplied to the opposite counsels and other counsel relating to this case.

Ms.Naina Saraf, counsel for Nagar Nigam, Jaipur is also directed to remain present along with the Incharge of Telephone No.1962 which is allotted for information regarding animals in the city.

List this case on 4.2.2015 for filing affidavits. The Deputy Registrar (Judl.), Raj. High Court Bench, Jaipur is directed to supply copy of this order to all the concerned advocates appearing in this case."

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

दिनांक 4.2.2015 को उभयपक्ष एवं सीईओ नगर निगम जयपुर के द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना की गयी कि वे दिनांक 14.2.2015 को प्रात: 9 बजे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.आर.सुराना के साथ मौके पर निरीक्षण कर समस्याओं को सुलझायेंगे। प्रकरण को दिनांक 3.3.2015 को सूचीबद्व किये जाने का आदेश दिया गया।

इसके उपरान्त दिनांक 16.3.2015 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"यह प्रकरण लगभग पांच वर्ष की अवधि से इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इस मामले में इस न्यायालय ने सुनवाई के उपरान्त अंतिम आदेश पारित कर दिया था, जिसकी पालना के लिये यह प्रकरण विभिन्न तारीखों को नियत किया जाता रहा है।

हमें यह अंकित करते हुए अत्यन्त खेद हो रहा है कि इस न्यायालय के समक्ष विभिन्न तारीखों को संबंधित अधिकारियों के द्वारा अण्डरटेकिंग देने के उपरान्त भी न्यायालय के आदेशों की अक्षरश: पालना नहीं हो रही है। नगर निगम के पास लगभग 1000 बीघा भूमि थी, जिसमें से लगभग 250 बीघा भूमि ही नगर निगम के कब्जे में थी एवं शेष भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था, जिससे विधि अनुसार अतिक्रमियों का कब्जा हटाते हुए शेष भूमि पर

नगर निगम को कब्जा दिलाया गया। नगर निगम ने उक्त भूमि पर बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कराया, कुए खुदवाये एवं अन्य कार्य कराये। किन्तु आज परिस्थितियां यह है कि आवारा कुत्ते डण्डा उंघालकर अन्दर प्रवेश कर गायों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी आंखे फोड़ देते हैं, कान, नाकों को चोटिल करते हैं। जबकि न्यायालय ने इस हेतु भी विभिन्न तारीखों पर अपने आदेश पारित किये हैं। नगर निगम ने उक्त भूमि पर घास उगाये जाने के बारे में आज तक उपयुक्त व्यवस्था नहीं की है ताकि वहीं उगायी गयी घास की आपूर्ति गायों को की जा सके, जिससे नगर निगम का खर्चा बच सके। गायों से उत्पन्न की जा सकने वाली आय पर भी ध्यान नहीं दिया है ताकि गौशाला का खर्चा बचाया जा सके। इस न्यायालय ने विभिन्न तारीखों पर पशुपालन के संबंधित अधिकारियों को बाड़ों को ठीक करने के बारे में भी निर्देश दिये थे। इस न्यायालय द्वारा विभिन्न तारीखों को गौशाला के विकास एवं सुचारु रुप से संचालन के लिये भी निर्देश दिये थे। किन्तु इस न्यायालय के आदेशों की प्रभावी रुप से पालना हुई हो, ऐसा नगर निगम की ओर से नहीं बताया जा सका है। गौशाला में हो रही गंदगी की ओर से उनका ध्यान दिलाया गया।

Web Copy - Not Official Rajasthan High Court सत्यमेव जयते

इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित गौसेवक श्री राजेश तांबी ने बताया कि मुख्य रोड़ से हिंगौनिया गौशाला तक जाने वाली सड़क में जगह जगह पर गढ्ढे हो गये हैं, जिससे हिंगौनिया गौशाला पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर श्री नाहटा ने कथन किया कि वे इस सम्बन्ध में आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को न्यायालय की भावना से अवगत करायेंगे ताकि हिंगौनिया गौशाला पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

इस न्यायालय ने आज उपस्थित नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ज्ञानाराम चौधरी से यह पूछा कि हिंगौनिया गौशाला को किस प्रकार विकसित किया जा रहा है तथा उसे किस प्रकार आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इस पर उन्होनें सुझाव दिया कि कृषकों एवं राज्य सरकार के संबंधित विभागों जैसे पशुपालन विभाग इत्यादि के साथ तालमेल करके एवं खुली जेल को गति प्रदान करने के उपरान्त हिंगौनिया गौशाला के सुचारु रुप से संचालन की व्यवस्था की जा सकती है।

इस न्यायालय ने महापौर को भी तलब किया। महापौर श्री निर्मल नाहटा आज इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिश: उपस्थित हैं। उन्होनें प्रार्थना की कि वे इस न्यायालय की भावना के अनुरुप कार्य करना चाहते हैं, इस पवित्र कार्य को पवित्र रुप से करना चाहते हैं, किन्तु इस हेतु उन्हें कम से कम दो माह का समय प्रदान किया जावे

ताकि वे पशुपालन विभाग, कृषि विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों से सम्पर्क कर हिंगौनिया गौशाला की स्थिति को सुदृढ करने, इसे सुचारु रुप से संचालित करने एवं आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होनें कथन किया कि खुली जेल को तीव्र गति प्रदान करने के लिये भी वे संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क करेंगे। इन कार्यो हेतु वे भिन्न भिन्न तारीखों को हिंगौनिया गौशाला पहुंचकर मीटिंग करेंगे एवं परिणाम से न्यायालय को आगामी तारीख पर अवगत करायेंगे। उन्होनें कथन किया कि वे माह अप्रैल, 2015 के प्रथम सप्ताह में अधिकारियों को वहां लेकर जायेंगे। वे संबंधित अधिकारियों को एवं इस मामले के कोर्ट कमिश्नर श्री सज्जनराज सुराणा, श्री पी.सी.भण्डारी इत्यादि को सूचना देकर वहां मीटिंग करेंगे।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

उनकी प्रार्थना स्वीकार की जाती है। इस प्रकरण को दिनांक 18 मई, 2015 को सूचीबद्व किया जावे। उप निबन्धक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक एक प्रति इस मामले से संबंधित समस्त अधिवक्तागण को नि:शुल्क उपलब्ध करावे।"

दिनांक 18.5.2015 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"श्री सज्जनराज सुराणा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं कोर्ट कमिश्नर मय श्री एस.के.यादव अधिवक्ता के उपस्थित है। MS शैफाली शर्मा आवेदक की ओर से उपस्थित है। इसके अतिरिक्त पक्षकारान की ओर से आज कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं है।

यह अत्यन्त खेद का विषय है कि नगर निगम की ओर से आज इस न्यायालय के समक्ष कोई उपस्थित नहीं है, जबकि गत तारीख पेशी को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए महापौर श्री निर्मल नाहटा ने प्रार्थना की थी कि वे इसे न्यायालय की भावना के अनुरुप कार्य करना चाहते हैं, इस पवित्र कार्य को पवित्र रुप से करना चाहते हैं, किन्तु इस हेतु उन्हें कम से कम दो माह का समय प्रदान किया जावे ताकि वे पशुपालन विभाग, कृषि विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों से सम्पर्क कर हिंगौनिया गौशाला की स्थिति को सुदृढ करने, इसे सुचारु रुप से संचालित करने एवं आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करेंगे। उन्होनें यह भी कथन किया था कि खुली जेल को तीव्र गति प्रदान करने के लिये भी वे संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क करेंगे। इन कार्यो हेतु वे भिन्न भिन्न तारीखों को हिंगौनिया गौशाला पहुंचकर मीटिंग करेंगे एवं परिणाम से न्यायालय को आगामी तारीख पर अवगत करायेंगे।

श्री सुराणा ने इस न्यायालय का ध्यान विशेष रुप से इस ओर दिलाया कि गायों के बाड़ों में टनल से कुत्ते बाड़ों में घुस जाते हैं, जो गायों को नोचतें है, कौवे आकर गायों की आंखे फोड़ जाते हैं, गायों को घायल कर जाते हैं। यह अत्यन्त ही हृदय विदारक दृश्य होता है। श्री सुराणा ने कथेन किया कि गायों की ऐसी दशा देखकर उनकी आत्मा तड़प उठती है और नगर निगम के अधिकारियों के सहयोग के बिना वे स्वयं को असहाय महसूस करते हैं। उन्होनें कथन किया कि इस न्यायालय ने अनेकों अवसरों पर नगर निगम के अतिरिक्त कृषि विभाग, पशुपालन विभाग इत्यादि के अधिकारियों को भी उपयुक्त निर्देश जारी किये हैं किन्तु उनकी भी अक्षरश: पालना नहीं हो पायी है।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित विद्वान लोक अभियोजक श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत को निर्देश दिया जाता है कि वे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर, निदेशक स्थानीय निकाय, निदेशक कृषि विभाग, निदेशक पशुपालन विभाग एवं भारसाधक अधिकारी पुलिस थाना कानोता को आगामी तारीख को इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिश: उपस्थित होने के लिये सूचित करें।

प्रकरण को दिनांक 21.5.2015 को प्रात: 10.00 बजे न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किया जावे।"

दिनांक 21.5.2015 को इस न्यायालय के समक्ष श्री आशुतोष पेडणेकर, आयुक्त, जयपुर नगर निगम ने प्रार्थना की कि वे दिनांक 24.5.2015 को प्रात: 9.00 बजे समस्याओं की जानकारी के लिये आज उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं संबंधित एस.एच.ओ. के साथ हिंगौनिया गौशाला जायेंगे एवं अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.5.2015 को प्रस्तुत करेंगे। उस समय श्री श्याम आर्य अतिरिक्त महाधिवक्ता भी वहां उपस्थित रहेंगे एवं वे भी अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। प्रकरण को दिनांक 26.5.2015 को सूचीबद्व किये जाने का आदेश दिया गया।

दिनांक 26.5.2015 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"यह प्रकरण इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.5.2015 के अनुक्रम में आज न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किया गया है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर ने इस न्यायालय के समक्ष कथन किया कि उन्होनें अभी हाल ही में नगर निगम ने जोईन किया है। इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित गौशाला आयुक्त श्री अशोक स्वामी ने कथन किया कि ऑपरेशन थियेटर के लिये पूर्ण व्यवस्था की जावेगी, वाटर टैंक बना दिया जायेगा। गायों के लिये बांटे की फाईल के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस न्यायालय को यह विश्वास दिलाया कि वे उक्त फाईल को शीघ्र क्लीयर करेंगे। वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिये भी शीघ्र कार्यवाही करेंगे। सी.सी.टी.वी. केमरों के सम्बन्ध में आदेश पारित कर दिये गये हैं, कुट्टी की मशीन को ठीक करा देंगे एवं बाड़ो में कुत्तों का प्रवेश नहीं हो इस हेतु अवरोधक तैयार करायेंगे। वन विभाग की ओर से उपस्थित अधिकारी श्री एम.के.अग्रवाल ने कथन किया कि वे गौशाला में इस प्रकार के पेड़ लगवायेंगे ताकि गायें उनके नीचे बैठ सकें।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने ओपन जेल के बारे में कथन किया गया है कि इस हेतु टेण्डर हो गये हैं। आगामी तारीख को ठेकेदार का नाम न्यायालय को बतायेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ओपन जेल कितने दिन में पूर्ण रुप से तैयार हो जावेगी। उन्होनें यह भी कथन किया कि गौशाला के कार्य में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आयेगी तथा गौशाला से संबंधित कार्यो की पत्रावली वे शीघ्र क्लीयर करेंगे तथा गौशाला के कार्य की प्रगति वे स्वयं अपनी देख रेख में करायेंगे। उन्होनें यह भी कथन किया कि किस प्रकार से राशि जनरेट की जानी है इस हेतु भी वे विचार करेंगे।

पुलिस भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना, कानोता ने कथन किया है कि उनके समक्ष रिपोर्ट आने पर वे भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटवाकर भूमि नगर निगम के सुपुर्द करेंगे। उन्होनें यह भी कथन किया कि वे रोजनामचे में रपट डालकर रोजाना किसी न किसी व्यक्ति को गौशाला में भेजकर राउण्ड करवायेंगे तथा रोजनामचा को न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर पेश करेंगे।

श्री एम.के.अग्रवाल, डिप्टी कंजरवेटर आफ फोरेस्ट को निर्देश दिये जाते हैं कि वे बारिश आने से पहले गौशाला में पौधारोपण करावें एवं बड़े बड़े पौधे लगवायें। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे जयपुर विकास प्राधिकरण की सहायता से पौधारोपण करावें।

MS संजीता बिश्नोई, अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निकाय ने कथन किया कि वे गौशाला के लिये आर्थिक सहायता की मांग आने पर उसे सरकार से पास कराने का प्रयत्न करेंगी।

श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित किये गये आदेशों के अनुसार सड़कों की मरम्मत कराने व नयी सड़क बनाने हेतु पालना के लिये आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को सूचित करेंगे और पालना रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष आगामी तारीख को प्रस्तुत करवायेंगे।

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस प्रकरण को दिनांक 28 जुलाई, 2015 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जावे। आगामी तारीख को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर को एवं अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निकाय को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है, आज उपस्थित शेष अधिकारीगण आगामी तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

मेयर की ओर से इस न्यायालय के समक्ष उपस्थिति को माफ किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे स्वीकार करते हुए मेयर को उपस्थिति से मुक्ति प्रदान की जाती है।

इसके उपरान्त विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सज्जन राज सुराना की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर इस प्रकरण को दिनांक 17.7.2015 को सूचीबद्ध किया गया। उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा यह आदेश दिया गया कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित किये गये आदेशों की परिपेक्ष्य में वस्तुस्थिति की जानकारी के लिये पक्षकारों के अधिवक्तागण एवं सीईओ नगर निगम जयपुर को निर्देश दिया जाता है कि वे दिनांक 18.7.2015 को प्रात: 9.00 बजे मौके पर जावें। तत्समय इस मामले में आज उपस्थित समस्त अधिवक्तागण भी मौके पर जावें। तत्समय मेयर एवं सीईओ नगर निगम जयपुर भी मौके पर उपस्थित रहें। प्रकरण को दिनांक 22.7.2015 को सूचीबद्ध किये जाने का आदेश दिया गया।"

दिनांक 22.7.2015 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"इस प्रकरण में आज वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.आर.सुराना ने इस न्यायालय के निर्देशानुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इस न्यायालय के आदेश दिनांक 26.5.2015 के अनुसार इस प्रकरण को न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.7.2015 को सूचीबद्व किया जाना था, किन्तु सभी संबंधित अधिवक्तागण की विशेष प्रार्थना पर प्रकरण को दिनांक 17.7.2015 को सूचीबद्व कराया गया। दिनांक 17.7.2015 को सभी अधिवक्तागण ने यह स्वीकार किया कि दिनांक 18.7.2015 को सभी अधिवक्तागण हिंगौनिया गौशाला जायेंगे एवं मौके की रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करायेंगे। इसी क्रम में श्री सुराना ने इस न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट मय फोटोग्राफ्स के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है, जिसे रिकार्ड पर लिया जाता है।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पी.सी.भण्डारी ने मुख्य रुप से इस न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि गायों के लिये घास आदि उगाने के लिये नगर निगम को उपयुक्त निर्देश दिये जावें। उनका कथन है कि 16 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग दिनांक 31.3.2015 तक करना था लेकिन इस राशि का उपयोग नहीं किया गया। गौशाला के कार्य के लिये करोड़ों रुपये की राशि का आवंटन किया गया किन्तु इसका उपयोग नहीं हो रहा है। उनका कथन है कि इस काम के लिये राज्य सरकार ने गौ-सेवा आयोग बनाया हुआ है, जिसके चेयरमेन श्री अश्विनी भगत हैं एवं गौ-पालन विभाग है, जिसके निदेशक श्री औंकारमल सैनी हैं, जिनके पास लगभग 150 करोड़ रुपये की राशि इस कार्य हेतु है, जिन्हें भी न्यायालय के समक्ष बुलाया जावे।

श्री जे.एम.सक्सैना अतिरिक्त महाविधवक्ता एवं नगर निगम की ओर से श्रीमती नयना सर्राफ अधिवक्ता उपस्थित हैं, जिन्होनें कथन किया कि वे इस पवित्र कार्य को पवित्र तरीके से करना चाहते हैं। उनका कथन है कि मृत गायों के निस्तारण की मुख्य रुप से समस्या आ रही है। चैनपुरा ग्राम में कारकस प्लान्ट लगा हुआ है। इस न्यायालय के समक्ष नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित हैं, जिन्होनें कथन किया कि वे कल ही कारकस प्लान्ट जाकर देखेंगे कि इस प्लान्ट को चालू करने में क्या असुविधा हो रही है और आगामी तारीख को इस न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे।

इस प्रकरण को दिनांक 24.7.2015 को 2.00 बजे सूचीबद्व किया जावे। उक्त दिवस को आज उपस्थित सभी अधिकारीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे। मेयर यदि उक्त दिवस को जयपुर में उपस्थित नहीं हो तो उस परिस्थिति में उन्हें इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिश: उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जे.एम.सक्सैना को निर्देश दिया जाता है कि वे आगामी तारीख को गौ-सेवा आयोग के चेयरमेन श्री

अश्विनी भगत एवं गौ-पालन विभाग के निदेशक श्री औंकारमल सैनी को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिश: उपस्थित रखें। उप निबन्धक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक एक प्रति सभी संबंधित अधिवक्तागण को आज ही नि:शुल्क उपलब्ध करावें ताकि आदेश की अक्षरश: पालना हो सके।"

इसके उपरान्त इस न्यायालय के द्वारा इस मामले में दिनांक 24.7.2015 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

"इस न्यायालय के आदेश दिनांक 22.7.2015 के अनुक्रम में यह प्रकरण आज सूचीबद्व किया गया है।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.आर.सुराना कोर्ट कमिश्नर इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, जिन्होनें अपनी रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे रिकार्ड पर लिया जाता है।

नगर निगम जयपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री आशुतोष ए.टी.पेडणेकर ने इस न्यायालय के समक्ष चैनपुरा स्लॉटर हाउस स्थित कारकस प्लान्ट के बारे में अपना संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें यह अंकित किया गया है कि चैनपुरा स्लॉटर हाउस का कुल क्षेत्र 91 बीघा है, जिसमें स्लॉटर हाउस के साथ साथ कारकस प्लान्ट भी है। कारकस प्लान्ट के लिये अलग से भूमि निश्चित है, जो लगभग 3 बीघा में है। उक्त प्लान्ट जनवरी 2001 में नगर निगम, जयपुर द्वारा बनवाया जाकर संचालन के लिये संविदा पर दिया गया था। जो कि समय समय पर खराब होने पर नये संविदाकारों को दुरुस्तीकरण एवं संचालन के लिये दिया गया था, जो अंतिम बार वर्ष 2010-11 में दिया था।

उक्त कारकस प्लान्ट को अपग्रेडेशन करने हेतु वर्ष 2013-14 में निविदा निकाली गई। लेकिन उनमें मात्र एक निविदा आने पर राज्य सरकार को निर्णय हेतु भेजा गया था जो निर्णय लंबित है। उक्त निविदा मात्र कारकस प्लान्ट के अपग्रेडेशन के लिये थी जबकि गांव वालों की आपत्ति एवं पर्यावरण की दृष्टि से ई.टी.पी. प्लान्ट का अपग्रेडेशन व न्यूरोकार्बन फिल्टर चिमनी भी लगाया जाना आवश्यक है। कारकस उपयोगिता प्लान्ट जिसका निविदा जारी की जा चुकी है तथा ई.टी.पी. प्लान्ट का संशोधन व आधुनिकीकरण वं न्यूरोकार्बन फिल्टर चिमनी में लगभग 3.5 करोड़ रुपये व्यय होने की संभावना है। उक्त प्लान्ट में 24 घंटे में 72 मृत पशुओं के निस्तारण की क्षमता होगी, जो जयपुर शहर की वर्तमान मृत पशुओं की संख्या को देखते हुए पर्याप्त है।

जून 2013 में स्थानीय नागरिकों के विरोध के कारण चैनपुरा कारकस प्लान्ट पर मृत पशुओं का निस्तारण बन्द कर दिया गया। इस विवरण रिपोर्ट को भी इस प्रकरण में रिकार्ड पर लिया जाता है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस न्यायालय से यह निवेदन किया कि उनके पास 3.5 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध नहीं है, जो राज्य सरकार से उन्हें दिलाई जावे ताकि उक्त प्लान्ट को चालू कराया जा सके। उनकी इस प्रार्थना पर इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्तागण सर्व श्री जे.एम.सक्सैना, बी.एन.सान्दू एवं श्याम आर्य ने विश्वास दिलाया कि वे राज्य सरकार से इस बारे में वार्ता करके राशि दिलाने का भरसक प्रयास करेंगे। इस हेतु प्रमुख सचिव श्री मनजीत सिंह को आगामी तारीख को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

गौ सेवा आयोग के चेयरमेन श्री अश्विनी भगत एवं गौ पालन विभाग के सचिव श्री औंकारमल सैनी इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, जिनके द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दिये गये विवरण से यह न्यायालय संतुष्ट नहीं है, जिससे उक्त दोनों अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आगामी तारीख को अपना शपथपत्र इस न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत करें कि उन्हें वर्ष 1995 से अब तक कितनी राशि दानदाताओं से, राज्य सरकार से एवं केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई एवं कहां कहां खर्च की गयी। वे अपना शपथपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व उसकी एक एक प्रति अधिवक्ता श्री पी.सी.भण्डारी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.आर.सुराना को उपलब्ध करावें।

नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वे अनुपयुक्त हुए वाहनों को उपयोगी बनवाने के सम्बन्ध में कार्यवाही इस न्यायालय को आगामी तारीख को सूचित करेंगे। प्रकरण को दिनांक 30.7.2015 को 2.00 बजे सूचीबद्व किया जावे। उक्त दिवस को आज उपस्थित समस्त अधिकारीगण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिश: उपस्थित रहेंगे। उप निबन्धक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक एक प्रति सभी संबंधित अधिवक्तागण को आज ही नि:शुल्क उपलब्ध करावें।

दिनांक 30.7.2015 को इस न्यायालय के समक्ष श्री मनजीत सिंह, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने उपस्थित होकर यह अवगत कराया कि उन्होनें नगर निगम जयपुर को 3.50 करोड़ रुपये दे दिये हैं, जिसके सम्बन्ध में श्री आशुतोष पेडणेकर सीईओ नगर निगम जयपुर दिनांक 3.8.2015 को न्यायालय के समक्ष कथन करेंगे कि चैनपुरा स्थित कॉरकस प्लान्ट कितनी अवधि में

शुरु हो जावेगा।

श्री अजय गुप्ता, निदेशक, पशुपालन विभाग ने कथन किया कि वे हिंगौनिया गौशाला के लिये 13 संविदा श्रमिक (9 पशुधन परिचारक एवं 4 चौकीदार) नियुक्त करेंगे। उन्होनें कथन किया कि उन्होनें चार स्वीपर्स नियुक्त कर दिये हैं। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे उन स्वीपर्स के संबंध में विधि अनुसार कार्यवाही करें जो वहां काम नहीं कर रहे हैं एवं अन्य स्वीपर्स की सेवाऐं लें। श्री अश्वनी भगत, सचिव, पशुपालन विभाग ने अपना एक शपथपत्र प्रस्तुत किया।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.आर.सुराना ने कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसकी प्रति विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता एवं जयपुर नगर निगम के विद्वान अधिवक्ता श्रीमती नयना सर्राफ को दिलाई गई। जिन्होनें जवाब के लिये समय चाहा। दोनों पक्षों को जवाब एवं काउन्टर शपथपत्र प्रस्तुत करने हेतु चार सप्ताह का समय दिया गया।

प्रकरण को दिनांक 3.8.2015 को सूचीबद्व किये जाने का आदेश दिया गया।"

दिनांक 3.8.2015 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"इस न्यायालय के आदेश दिनांक 30.7.2015 के अनुक्रम में यह प्रकरण आज सूचीबद्व किया गया है।

आज नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को न्यायालय के समक्ष यह बताना था कि कारकस प्लान्ट के लिये जो राशि 3.50 करोड़ रुपये श्री मनजीत सिंह, प्रमुख सचिव ने नगर निगम को रिलीज की है उस राशि का क्या उपयोग किया गया। इस हेतु अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जे.एम.सक्सैना ने कथन किया कि कारकस प्लान्ट को चालू कराने के लिये तकनीकी व्यक्ति को बुलाया गया है जो आज जयपुर पहुंचेगा एवं कारकस प्लान्ट के बारे में वे 2-3 दिन में स्थिति से अवगत करा देंगे।

श्री एस.आर.सुराना वरिष्ठ अधिवक्ता ने कथन किया कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 28.11.2014 की अनुपालना नगर निगम व अन्य अधिकारियों द्वारा नहीं की गयी है, जिस हेतु उन्हें अवमानना का नोटिस जारी किया जावे या इस हेतु उनका कथन लिया जावे कि वे कब तक उक्त आदेश की पालना कर देंगे। इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जे.एम.सक्सैना ने कथन किया कि वे आदेश

दिनांक 28.11.2014 की प्रति निकलवाकर न्यायालय को अवगत करा देंगे कि उक्त आदेश की पालना कितनी अवधि में हो जावेगी।

इस न्यायालय को यह अवगत कराया गया कि हिंगौनिया गौशाला में कम वोल्टेज की विघुत सप्लाई के कारण एक्सरे आदि का कार्य नहीं हो पाता है। इस पर नगर निगम के आयुक्त श्री अशोक स्वामी ने कथन किया कि वहां पर 160 के.वी. के जनरेटर की आवश्यकता है। इस पर श्रीमती नयना सर्राफ ने कथन किया कि इस सम्बन्ध में वे आगामी तारीख को जवाब देंगी। श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे श्री एस.आर.सुराना वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ हिंगौनिया गौशाला का दौरा करें।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

श्री एस.आर.सुराना ने न्यायालय को अवगत कराया कि हिंगौनिया गौशाला में डाक्टर्स के अनुरुप कम्पाउण्डर उपलब्ध नहीं है। इस पर निदेशक, एनीमल हसबेण्डरी जो आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, ने कथन किया कि वे आगामी तारीख को इस न्यायालय के समक्ष कम्पाउण्डर्स की सूची पेश करेंगे ताकि हिंगौनिया गौशाला में कम्पाउण्डर्स की कमी की पूर्ति की जा सके।

इस प्रकरण को दिनांक 12.8.2015 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्व किया जावे। श्री जे.एम.सक्सैना अतिरिक्त महाधिवक्ता से अपेक्षा की जाती है कि वे आगामी तारीख को निदेशक, कृषि विभाग से वार्ता कर न्यायालय को अवगत करावें कि हिंगौनिया गौशाला की जमीन पर कृषि के लिये क्या उपयोगी कार्य किया जा सकता है, वे न्यायालय की संतुष्टि के लिये आगामी तारीख को निदेशक, कृषि विभाग को भी व्यक्तिश: उपस्थित रखें। नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की आज की उपस्थिति माफ की जाती है। श्री अश्विनी भगत न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, उन्हें आगामी तारीख पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है। आज उपस्थित शेष अधिकारीगण आगामी तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें।

उप निबन्धक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश एवं आदेश दिनांक 28.11.2014 की एक एक प्रति अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जे.एम.सक्सैना को उपलब्ध करावें एवं आज के आदेश की प्रति श्री एस.आर.सुराना कोर्ट कमिश्नर एवं अन्य समस्त संबंधित को उपलब्ध कराई जावें। ये समस्त प्रतियां नि:शुल्क आज ही उपलब्ध कराई जावें।"

दिनांक 12.8.2015 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"इस न्यायालय के आदेश दिनांक 3.8.2015 के अनुक्रम में यह प्रकरण आज सूचीबद्व किया गया है।

कृषि विभाग के सचिव श्री कुलदीप रांका न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, जिन्होनें हिंगौनिया गौशाला में चारा उत्पादन के सम्बन्ध में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे रिकार्ड पर लिया जाता है। उन्होनें कथन किया कि वे नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से इस बारे में बातचीत कर इस न्यायालय को आगामी तारीख को अवगत करायेंगे। इस हेतु उन्हें समय दिया जावे। वे नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जगमोहन सक्सैना के कार्यालय में मीटिंग करके आगामी तारीख को न्यायालय को अवगत करावें।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

निदेशक, पशुपालन विभाग की ओर से इस न्यायालय के समक्ष कार्यालय आदेश दिनांक 11.8.2015 की एक प्रति प्रस्तुत की गयी, जिसे भी इस पत्रावली में संलग्न किया जावे। इस आदेश के तहत 15 व्यक्तियों को हिंगौनिया गौशाला में पदस्थापित किया गया है। इन व्यक्तियों का स्थानांतरण न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे। लेबोरेट्री व ऑपरेशन थियेटर के बारे में कथन किया कि वे तीन माह की अवधि में कार्य को पूर्ण करा देंगे।

इस प्रकरण को दिनांक 24.8.2015 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्व किया जावे। उस दिन नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें एवं न्यायालय को कारकस प्लान्ट के बारे में वस्तुस्थिति से अवगत करावें। निदेशक, पशुपालन विभाग को उस दिन उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है।"

इसके उपरान्त प्रकरण को दिनांक 15.10.2015 को लगाये जाने का आदेश दिया गया। दिनांक 15.10.2015 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"इस प्रकरण को आज 2.00 बजे न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किया गया।

श्री भगवतसिंह देवल को तीन माह पूर्व ही नगर निगम ने हिंगौनिया गौशाला में कमेटी के चेयरमेन के रुप में

नियुक्त किया है, जो आज न्यायालय के समक्ष व्यक्तिश: उपस्थित हैं। उन्होनें इस न्यायालय के समक्ष हिंगौनिया गौशाला की वास्तविक स्थिति का वर्णन किया। उन्होनें इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह प्रकट किया कि हिंगौनिया गौशाला में गायों को बचाने के लिये किसी भी प्रकार का कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया जा रहा है। उनका कथन है कि उन्होनें हिंगौनिया गौशाला को सुचारु रुप से चलाने के लिये संबंधित अधिकारियों को कई बार सुझाव दिये हैं लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। उन्होनें कथन किया कि विवश होकर उन्हें न्यायालय के समक्ष यह उल्लेख करना पड़ रहा है कि वहां पर घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है, कोई भी प्रभावशाली कदम नगर निगम के द्वारा नहीं उठाया जा रहा है। उनका कथन है कि गायों की मृत्यु दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, गायों को चारा भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो रहा है, गायें भूख से बिलख रही है।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

यह न्यायालय कोई विपरीत आदेश पारित करने से पूर्व अपनी संतुष्टि के लिये यह निर्देश दे रहा है कि आगामी तारीख पेशी को इस न्यायालय के समक्ष वे अपना शपथपत्र प्रस्तुत करें ताकि उसके सम्बन्ध में उपयुक्त कार्यवाही की जा सके।

इस न्यायालय के समक्ष श्री श्रीचंद उप निरीक्षक उपस्थित हैं जो आज पुलिस थाना कानोता के भारसाधक अधिकारी भी हैं। उन्होनें कथन किया कि गायों की तस्करी के सम्बन्ध में पुलिस थाना कानोता पर दर्ज हुई प्राथमिकी संख्या 589/2015 के वे अनुसंधान अधिकारी हैं। उन्होनें कथन किया कि उक्त प्राथमिकी के मामले में अनुसंधान जारी है तथा वे आगामी तारीख पेशी को इस न्यायालय को अनुसंधान की प्रगति की रिपोर्ट वे अवगत करायेंगे। उन्हें यह निर्देश दिया जाता है कि वे गौशाला में रात्रि 12 बजे एवं दोपहर 12 बजे प्रतिदिन जावें एवं उस समय वहां कौन कौन उन्हें उपस्थित मिले इसके सम्बन्ध में अपनी रोजनामचा रपट अंकित करें एवं आगामी तारीख पेशी को उक्त प्राथमिकी के अनुसंधान की प्रगति की रिपोर्ट के साथ उक्त रोजनामचा रपट की प्रति भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

डा. हरेन्द्रसिंह, उपायुक्त, हिंगौनिया गौशाला ने न्यायालय के समक्ष कथन किया कि वे हिंगौनिया गौशाला में सुचारु रुप से कार्य करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, अभी उन्हें पदस्थापित हुए करीब एक माह हुआ है। उन्होनें कथन किया कि न्यायालय के आदेशों के तत्परता से पालन के लिये उन्हें कुछ समय दिया जावे। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें।

श्री एस.आर.सुराना वरिष्ठ अधिवक्ता एवं श्री पी.सी.भण्डारी अधिवक्ता ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10.11.2014 की ओर ध्यान दिलाया एवं मुख्य रुप से अजय गुप्ता के शपथपत्र की ओर ध्यान दिलाया एवं संयुक्त रुप से प्रार्थना की कि आयुक्त नगर निगम श्री आशुतोष ए.टी.पेडणेकर को व्यक्तिश: न्यायालय के समक्ष बुलाया जावे तथा उन्हें इस न्यायालय की भावना से अवगत कराया जावे तथा श्री अजय गुप्ता को भी व्यक्तिश: बुलाया जावे।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

डा. हरेन्द्रसिंह ने न्यायालय के समक्ष कथन किया कि वे वैशाली नगर रहते हैं किन्तु अब वे प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक हिंगौनिया गौशाला कार्यालय में रहेंगे।

श्री भगवतसिंह देवल को निर्देश दिया जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कार्यालय से जो कमेटी आयी थी उसकी रिपोर्ट की प्रति वे संबंधित गौपालन विभाग से प्राप्त कर इस न्यायालय के समक्ष आगामी तारीख पेशी को प्रस्तुत करें, ताकि इस न्यायालय को वहां की स्थिति की जानकारी मिल सके।

इस प्रकरण को दिनांक 18.11.2015 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्व किया जावे। उप निबन्धक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक एक प्रति सभी संबंधित को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जावे।

इसके उपरान्त प्रकरण को दिनांक 5.11.2015 को सूचीबद्व किया गया। उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा श्री मनजीत सिंह प्रमुख सचिव, शहरी विकास एवं आवासन विभाग को 2.00 बजे उपस्थित होने का निर्देश दिया। उन्होनें इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना की कि उन्हें हिंगौनिया गौशाला की समस्याओं के स्थाई समाधान के लिये 15 दिन का समय दिया जावे। उनका कथन है कि भविष्य में गायों के घास एवं बांटे की कमी नहीं आने दी जावेगी।"

दिनांक 19.11.2015 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"इस प्रकरण में आज वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार गुप्ता ने इस न्यायालय के समक्ष सशपथ कथन किया कि हिंगौनिया गौशाला की हालत को हर स्तर पर सुधारा जायेगा। उन्होनें प्रार्थना की कि इस प्रकरण को पूर्व में नियत दिनांक 24.11.2015 को 2.00 बजे सूचीबद्व किया जावे।

प्रकरण को दिनांक 24.11.2015 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्व किया जावे। उस दिन श्री मंजीत सिंह, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आयुक्त नगर निगम न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें।"

दिनांक 24.11.2015 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

"इस प्रकरण को आदेश दिनांक 19.11.2015 के अनुक्रम में आज सूचीबद्व किया गया है। श्री मंजीत सिंह, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, श्री आशुतोष ए.टी.पेडणेकर, आयुक्त, नगर निगम, श्री अजय गुप्ता, निदेशक, एनीमल हसबैण्ड्री न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

श्री मंजीत सिंह, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग ने न्यायालय के समक्ष कथन किया कि उन्होनें हिंगौनिया गौशाला का दौरा किया है, जिसमें उन्होनें कई कामों को संतोषजनक पाया है लेकिन कुछ कामों में सुधार की आवश्यकता है। उन्होनें कथन किया कि वे एक टीम बनाकर नागौर, पथमेड़ा व अन्य गौशालाओं में भेजेगें एवं रिपोर्ट प्राप्त करेंगे, तत्पश्चात अपनी संतुष्टि के बाद कोई ठोस कदम उठायेंगे ताकि समस्याओं का स्थाई समाधान किया जा सके और चिरकाल तक हिंगौनिया गौशाला सुचारु रुप से चलती रहे। उन्होनें इस न्यायालय के समक्ष यह भी कथन किया है कि गाय ही नहीं अपितु गाय का मूत्र एवं गोबर भी मानव जीवन के लिये उपयोगी है।

आयुक्त नगर निगम ने कथन किया कि 1400 बीमा भूमि उनके कब्जे में है, आस पास की गोचर भूमि को भी खाली रखा जायेगा ताकि वह भूमि गायों व पशुओं के काम में आ सके, किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण होगा तो उसे नियमानुसार हटवाया जायेगा। सेन्चुरी की स्थापना के सम्बन्ध में उन्होनें कथन किया कि वे इस बारे में मालुम करने के उपरान्त आगामी तारीख पेशी को अपना कथन करेंगे। उन्होनें कथन किया कि गायों की बीमारी का मुख्य कारण पॉलीथीन की थैलियां है। उन्होनें कथन किया कि पॉलीथीन की थैलियों को बन्द करने के लिये दिनांक 1.12.2015 से 15.12.2015 तक अभियान चलाया जायेगा और यदि कोई फैक्ट्री अवैध रुप से प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय में लिप्त पाई गई तो उसके खिलाफ विधि की अपेक्षित अपेक्षाओं के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री अजय गुप्ता, निदेशक, एनीमल हसबेण्डरी से पूछा गया कि हिंगौनिया गौशाला में कितने डाक्टरों की आवश्यकता है तो उन्होनें कथन किया कि वहां इस समय 17 डाक्टर कार्यरत हैं, वहां इतने ही डाक्टर आवश्यक हैं क्योंकि वहां पर दुर्घटनाग्रस्त गायें भी आती है। वहां मशीनें वगैरह लग जायेगी, पार्ट्स मंगवा लिये जायेंगे एवं उनका रीटेण्डरिंग करवाया जावेगा। उन्होनें इस न्यायालय से प्रार्थना की कि वे कुछ कर्मचारियों को किसी कारण से बदलना चाहें तो उन्हें बदलने की स्वतंत्रता प्रदान की जावे। उनकी यह प्रार्थना स्वीकार की जाती है। उन्होनें एक प्रार्थनापत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे रिकार्ड पर लिया जाता है। डा. हरेन्द्रसिंह हिंगौनिया गौशाला में दिन में एक बार जायेंगे अधिकांश समय वहां रहेंगे एवं आवश्यक होने पर आयुक्त नगर निगम के निर्देश पर कार्य करेंगे।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

श्री मंजीतसिंह ने न्यायालय को यह विश्वास दिलाया कि वे आगामी तारीख पेशी को इस न्यायालय के समक्ष हिंगौनिया गौशाला को सुचारु रुप से चलाने के लिये तथ्य रखेंगे। उन्हें न्यायालय के समक्ष उपस्थिति से छूट दी जावे, उन्हे बुलाये जाने पर वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे। उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया जाता है। किन्तु आयुक्त नगर निगम आगामी तारीख पेशी को राज्य सरकार की भावना को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर रखेंगे।"

दिनांक 6.1.2016 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"विपक्षी नगर निगम के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के.गुप्ता ने इस न्यायालय के समक्ष कथन किया कि आज नगर निगम के सी.ई.ओ. अपने व्यक्तिगत कार्य से अलवर गये हुए हैं, इसलिये उनकी उपस्थिति क्षमा की जावे। इस हेतु उनकी ओर से एक प्रार्थनापत्र भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार किया जाता है। उक्त प्रार्थनापत्र को पत्रावली में संलग्न किया जावे।

इस प्रकरण को दिनांक 18.1.2016 को सूचीबद्व किया जावे। उस दिन नगर निगम की ओर से आज उपस्थित अधिकारीगण भी उपस्थित रहेंगे।"

दिनांक 18.1.2016 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"यह प्रकरण इस न्यायालय के आदेश दिनांक 6.1.2016 के अनुक्रम में आज न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किया गया है।

श्री सज्जनराज सुराणा वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि लगभग दस हजार गायों के लिये कम से कम 125 बाड़ों की आवश्यकता है। उनके इस कथन की पुष्टि हेतु हमने डा. जी.आर. बैरवा पशुपालन विभाग से पूछा तो उन्होनें प्रकट किया कि एक गाय के लिये 3 फीट x 8 फीट का स्थान बांधने के लिये चाहिये न कि उसे घूमने के लिये, इस प्रकार एक गाय को लगभग 24 फीट स्थान की आवश्यकता होने से कम से कम 400 बाड़ों की आवश्यकता है। श्री सुराना ने यह भी कथन किया कि बीमार गायों को अलग बाड़े में रखा जाना चाहिये, बाड़ों की जो जाली लगी हुई है वह टूट गयी है, उससे दिनांक 15.1.2016 को कौवे व कुत्ते घुस गये एवं 5-6 गायों की आंखें फोड़ दी। उनका कथन है कि सुधार के प्रस्ताव लम्बे समय से चल रहे हैं और गायों की आंखे फोड़ी जा रही है, जो चिन्ताजनक स्थिति है। उन्होनें कुछ फोटोज का भी न्यायालय को अवलोकन कराया। श्री सुराना ने यह भी कथन किया कि भूसा व चारा गायों के लिये पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रहा है। एनीमल हसबेण्डरी विभाग के उप निदेशक श्री आर.पी.सिंह सेवानिवृत हो गये हैं और उनके स्थान पर किसी वरिष्ठ अधिकारी को पदस्थापित नहीं किया गया है, उनके स्थान पर किसी वरिष्ठ अधिकारी को पदस्थापित किया जाना चाहिये। उन्होनें कथन किया कि एनीमल हसबेण्डरी विभाग को निर्देश दिया जावे कि टेस्ट के लिये किट्स उपलब्ध नहीं है, जो तुरन्त मंगायी जानी चाहिये। उनका यह भी कथन है कि गायों की बायोग्राफी कम्प्युटराईज की जावे ताकि गायों के बीमार होने पर उन्हें उपयुक्त उपचार मिल सके। गायों के लिये आर्थोपेडिक के डाक्टर भी नहीं है जबकि अधिकांश गायों की टांगे टूटी हुई है, जिसके लिये उचित आदेश देकर समुचित व्यवस्था कराई जावे।

इस न्यायालय ने न्यायहित में अधिवक्ता श्री ए.के.जैन को तलब किया एवं इस न्यायालय द्वारा उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे आगामी तारीख से पूर्व हिंगौनिया गौशाला का निरीक्षण करके वस्तुस्थिति से न्यायालय को अवगत करायेंगे एवं अपने सुझाव देंगे कि किस प्रकार से समस्याओं का निराकरण कराया जा सकता है।

नगर निगम के अधिवक्ता श्री ए.के.गुप्ता ने भी इस न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि उनका मकसद भी

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस न्यायालय के आदेशों की क्रियान्विति कराना है। हिंगौनिया गौशाला में जो भी आवश्यकता होगी जैसे 100 बाड़ों को बनाने या अन्य जो भी राज्य सरकार से संबंधित कार्य होंगें उन्हें क्रियान्वित कराने के लिये वे आगामी तारीख को इस न्यायालय को अवगत करायेंगे। श्री सुराना ने कथन किया कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कार्यालय से भी कमेटी आयी थी, जिसकी रिपोर्ट जिलाधीश महोदय के पास है, जिसे तलब कराया जावे ताकि कोई कमी हो जो उसे पूरा कराया जा सके। श्री सुराना ने यह भी कथन किया कि ओपन जेल अभी तक नहीं खोली गयी है।

Web Copy - Not Official Rajasthan High Court सत्यमेव जयते

श्री मनोज शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, जिन्होनें ओपन जेल के सम्बन्ध में यह कथन किया कि राज्य सरकार ने अब तक ओपन जेल पर 1,80,00,000/- रुपये खर्च किये हैं, लगभग 4 करोड़ रुपये और मांगे गये हैं, कुल 6 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की गयी थी। ओपन जेल में लगभग 250-300 कैदी रहते हैं, जो गायों की सेवा को सुनिश्चित कर सकेंगे और इस प्रकार पुण्य भी प्राप्त कर सकेंगे, यह कार्य नगर निगम के लिये अपने आप में एक वरदान साबित होगा।

थानाधिकारी, पुलिस थाना कानोता को निर्देश दिया जाता है कि वे हिंगौनिया गौशाला में समय समय पर अपनी देख रेख करावें एवं अपनी रिपोर्ट आगामी तारीख पेशी को न्यायालय के समक्ष पेश करें। आज उपस्थित समस्त अधिकारी आगामी तारीख पेशी को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें।

श्री ए.के.गुप्ता अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे राज्य सरकार के संबंधित विभागों से सम्पर्क स्थापित करके आगामी तारीख पेशी को इस न्यायालय के समक्ष न्यायहित में अपनी सृजनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकरण को दिनांक 15.2.2016 को सूचीबद्व किया जावे। उप निबन्धक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस पत्रावली में हुए समस्त आदेश/आदेशिकाओं की एक एक छाया प्रति नि:शुल्क सभी संबंधित पक्ष को उपलब्ध करावें।"

इसके उपरान्त प्रकरण को दिनांक 29.1.2016 को सूचीबद्व किया गया। उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"इस प्रकरण को कल श्री एस.आर.सुराना वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री पी.सी.भण्डारी एवं श्री अजय कुमार जैन अधिवक्तागण के

द्वारा की इस प्रार्थना पर आज सूचीबद्व किये जाने का आदेश दिया गया कि उन्होनें हिंगौनियां गौशाला का विजिट किया, जिसमें अत्यन्त दयनीय स्थिति पायी, इसलिये इस प्रकरण में कोई सख्त आदेश पारित किया जावे ताकि हिंगौनिया गौशाला में हो रही अनियमितताओं को दूर किया जा सके।

आज श्री एस.आर.सुराना वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री पी.सी.भण्डारी एवं श्री अजय कुमार जैन अधिवक्तागण इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। कल इस न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिया गया था कि प्रमुख शासन सचिव श्री मनजीत सिंह एवं नगर निगम के सी.ई.ओ. श्री आशुतोष ए.टी.पेडणेकर भी इस न्यायालय के समक्ष दोपहर 2.00 बजे उपस्थित रहें।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

नगर निगम के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार गुप्ता ने प्रार्थना की है कि जयपुर शहर को स्मार्ट सिटी घोषित किये जाने के कारण उक्त अधिकारीगण केन्द्र सरकार के विभिन्न सचिवों के साथ हो रही वीडियो कांफेंसिंग के जरिये मीटिंग में व्यस्त होने से आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके हैं, उन्हें 2-3 दिन का समय दिया जावे। उन्होनें इस न्यायालय को विश्वास दिलाया कि वे आगामी तारीख को इन दोनों अधिकारियों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखेंगे।

श्री पी.सी.भण्डारी ने हिंगौनिया गौशाला में व्याप्त अनियमितताओं की ओर इस न्यायालय का ध्यान दिलाया, जिनमें मुख्य रुप से उन्होनें यह बताया कि बिजली के वायर खुले पड़े हुए हैं, चिकित्सकों द्वारा सही रुप से चिकित्सा नहीं की जा रही है, बाड़ा नम्बर 9बी, 4 व 10 में कुत्तों का प्रवेश निरन्तर जारी है, कुट्टी की व्यवस्था एवं टैगिंग की व्यवस्था नहीं की गयी है। इस पर नगर निगम के विद्वान अधिवक्ता श्री गुप्ता ने इस न्यायालय को यह विश्वास दिलाया कि श्री भण्डारी उन्हें समस्याऐं लिखित में दे दें, उनका निराकरण कराया जावेगा।

श्री अजय कुमार जैन अधिवक्ता ने इस न्यायालय को यह विश्वास दिलाया कि वे माननीया मुख्यमंत्री महोदया के सचिव श्री तन्मय कुमार को इस प्रकरण से अवगत करायेंगे ताकि इस पावन सुधा का संचालन शीघ्र व सुचारु रुप से कराया जाय।

अत: निर्देश दिया जाता है कि आगामी तारीख को प्रमुख शासन सचिव श्री मनजीतसिंह, नगर निगम के सी.ई.ओ. श्री आशुतोष ए.टी.पेडणेकर, पशुपालन विभाग के संबंधित अधिकारीगण एवं एस.एच.ओ. कानोता इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 4.2.2016 को दोपहर 2.00 बजे उपस्थित रहें। प्रकरण को दिनांक 04.2.2016 को दोपहर

2.00 बजे सूचीबद्व किया जावे। उप निबन्धक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक एक नि:शुल्क प्रति संबंधित अधिवक्तागण को उपलब्ध करावें।"

इसके उपरान्त प्रकरण को दिनांक 2.2.2016 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किया गया। उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

"The matter has come up on an application No. 5961 dated 2.2.2016 filed by Mr. S.R. Surana, Sr. Advocate, High Court Commissioner, Hingonia Goshala, Jaipur for sending the matter to the Anti Corruption Department, Rajasthan, Jaipur for appropriate motion of law.

This Court appointed Mr. S.R. Surana, Sr. Advocate as a Commissioner of Hingonia Goshala, Jaipur and directed him to inspect Hingonia Goshala, Jaipur and submit a factual report with regard thereto. In pursuance of the aforesaid directions Mr. S.R. Surana, Sr. Advocate inspected Hingonia Goshala, Jaipur on 31.1.2016 at 8:00 AM. Thereafter, he submitted the aforesaid application before this Court mentioning therein that during the course of inspection he taken the sample of Kutti Bhusa in presence of Dr. Kaushik in Bada No. 3 and found that there was great dust in Kutti Bhusa which is injurious to the health of the cattle. It has been further mentioned in the aforesaid application that this Kutti Bhusa has been supplied by the Thekedar at Hingonia Goshala, Jaipur and for the same a huge amount has been paid by the Municipal Corporation, Jaipur to the Thekedar. It has been further mentioned in the aforesaid application that as per the statement of Dr. Chirania, who is presently posted as Dy. Commissioner with the Hingonia Goshala and present at the relevant time, directed Dr. Padam Chand, Dy. Director to come and seal the said Kutti Bhusa of these substances in bags. Thereafter, two bags have been

sealed by Dr. Padam Chand, Dy. Director, Hingonia Goshala, Jaipur. It has also been mentioned in the aforesaid application that in this manner Thekedar with malafide intention has caused wrongful loss to the Municipal Corporation, Jaipur and got wrongful gain to him.

In the interest of justice, this Court called Mr. B.N. Sandhu, Addl. Advocate General to ask the Director General of Police, Anti Corruption Department, Jaipur, either to appear in person or direct any competent person / Officer of his office to appear on his behalf today at 2:00 P.M.

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

Mr. M.N. Dinesh, Inspector General of Police along-with Mr.Bajrang Singh Shekhawat, Addl. S.P, Anti Corruption Department are present in person. Mr. M.N. Dinesh has submitted before the Court that criminal cases are pending before the Anti Corruption Department related to Hingonia Goshala, Jaipur for the last several years but due to prosecution sanction not being granted by the State Government, the challans in the cases could not be filed by the Anti Corruption Department cases, before the competent court within the time.

In the interest of justice, the Court is of the view to direct Mr. M.N. Dinesh, Inspector General of Police, Anti Corruption Department, Jaipur that he should either make a preliminary inquiry in the matter regarding Hingonia Goshala, Jaipur or direct any person who is much competent to make a preliminary enquiry in the matter, under his supervision. This matter has already been posted for 4.2.2016, on that date, Mr. M.N. Dinesh, Inspector General of Police, Anti Corruption Department, Jaipur need not to appear before this Court. However, if on the further date/s the presence of Mr. M.N. Dinesh is required by this Court, Mr. B.N. Sandhu, learned Addl. Advocate General shall inform him about the same. It is expected from Mr. M.N. Dinesh, Inspector General of Police, Anti Corruption

Department to make a preliminary enquiry in the light of the orders passed by this Court.

The Dy. Registrar (Judicial) of this Court is directed to furnish copies of all the papers which includes complete order-sheets and case file either to Mr. M.N. Dinesh or any officer which is subordinate to him, free of costs."

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 4.2.2016 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"यह प्रकरण आदेश दिनांक 29.1.2016 के अनुक्रम में आज सूचीबद्व किया गया है। किन्तु दिनांक 2.2.2016 को इस न्यायालय के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.आर.सुराना ने एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर सुनकर आदेश दिनांक 2.2.2016 को पारित किया गया। इसके उपरान्त प्रकरण आज सूचीबद्व हुआ है।

इस न्यायालय के समक्ष प्रमुख शासन सचिव श्री मनजीतसिंह, सी.ई.ओ. नगर निगम श्री आशुतोष ए.टी.पेडणेकर, डा. हरेन्द्रसिंह उपायुक्त, श्री मनोज शर्मा एक्जीक्युटिव इंजीनियर, निदेशक पशुपालन विभाग, श्री आर.के. शर्मा इन्चार्ज हिंगौनिया गौशाला एवं एस.एच.ओ. कानोता उपस्थित हैं।

दोनों पक्षों की सहमति से मुख्य रुप से यह तय हुआ है कि बायो गैस प्लान्ट, ओपन जेल, घास लगाने के बारे में, 382 बीघा भूमि की लेवलिंग के बारे में, गौशाला के आस पास की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटवाने के बारे में, गोचर भूमि के बारे में, 400 बीघा भूमि की नाप करवाने के बारे में एवं ट्यूबवेल चालू करवाने के बारे में श्री मनजीत सिंह, श्री आशुतोष ए.टी. पेडणेकर एवं आज उपस्थित अन्य अधिकारीगण दिनांक 14.2.2016 को प्रात: 9.00 बजे हिंगौनिया गौशाला जायेंगे, समस्याओं के निराकरण हेतु मौके पर ही निर्णय लेंगे एवं आगामी तारीख को इस न्यायालय को सूचित करेंगे।

श्री ए.के.जैन अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसे इस प्रकरण में रिकार्ड पर लिया जाता है। उक्त रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि उन्होनें माननीया मुख्यमंत्री महोदया के सचिव श्री तन्मय

कुमार के समक्ष इन समस्त बिन्दुओं को रखा है। श्री जैन ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से इस न्यायालय को यह बताया है कि सरकार स्वयं भी इस कार्य को करने के लिये अग्रसर है तथा उन्होनें लिखित रुप से यह अभिकथन किया है कि गौशाला को और उन्नत करने के लिये वे क्या कर सकते हैं इसके लिये आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

श्री सुराना ने 400 बीघा भूमि की नाप करवाने के बारे में जोर दिया है। इस हेतु सर्व श्री मनजीतसिंह, आशुतोष ए.टी.पेडणेकर एवं अजय कुमार जैन ने यह विश्वास दिलाया है कि वे संबंधित विभाग से मशीन मंगवाकर भूमि की नाप करवायेंगे। श्री आशुतोष ए.टी.पेडणेकर ने इस न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना की है कि चूंकि यह धर्म का काम है इसलिये भू-प्रबन्ध विभाग को उन्हें मशीन नि:शुल्क उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जावे। उनकी उक्त प्रार्थना न्यायसंगत है। अत: आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग को निर्देश दिया जाता है कि हिंगौनिया गौशाला में 400 बीघा भूमि की नाप कराये जाने हेतु मशीन नगर निगम को उनकी सुविधा के अनुसार भूपि की नाप होने तक नि:शुल्क उपलब्ध करावें।

Web Copy - Not Official Rajasthan High Court सत्यमेव जयते

दोनों पक्षों की सहमति से प्रकरण को दिनांक 25.2.2016 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्व किया जावे। आगामी तारीख को श्री मनजीतसिंह एवं श्री आशुतोष ए.टी.पेडणेकर को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है। वे अपनी रिपोर्ट किसी अधिकारी के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करावें।"

इसके उपरान्त प्रकरण दिनांक 29.2.2016 को सूचीबद्व हुआ। उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"The matter comes up on an application filed for necessary orders today.

Mr.S.R.Surana, Court Commissioner, along with Mr.Poonam Chand Bhandari and Vijay Singh Poonia, have requested to this court that upon near about 382 or 400 bighas of land lying in Hingonia Goshala, encroachers are making encroachment over that land. A direction should have been issued to Mr.AK Gupta, who is right now representating the Municipal Corporation, and at this stage, under the direction of this court, will represent the JDA as well, to comply the following directions as early as possible:

(iv)Mr.A.K.Gupta undertakes that he will try to measure the gochar land of 400/382 bighas of land at Hingonia Goshala with help of SDO, Bassi, Officials of JDA and other authorities of Settlement Department of Municipal Corporation, Jaipur and submit the report by next date;

(v)Mr.Gupta, further undertakes that he will try his level best to complete the electricity work by issuing direction to Mr.Mahesh Sharma, Executive Engineer, Municipal Corporation, Jaipur who is managing all the electricity problem, and submit the report by next date;

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

(vi)further he undertakes that he will try to provide relevant machinaries i.e. 10 JCBs, dumpers, rollars, crushers etc for leveling the gochar land of Hingonia Goshala;

(vii)this court in the midst of arguments, put a question to Mr.Harendra Singh, Deputy Commissioner, as to how many labourer can work upon how many cows, to which, he replied that one labourer is needed for 20 cows; therefore in that context, Mr.A.K.Gupta is directed to provide and manage sufficient labourers for caring the cows in Hingonia Goshala;

(viii)further, in the midst of arguments, a copy of application has been served upon Mr.B.S.Chhaba, Asstt. Solicitor General of India who has been called by this court for providing basic and necessary services of broad band etc at Hingonia Goshala, to which, he undertakes that he will try his level best for doing the needful;

(ix)further Mr.AK Gupta, counsel for Municipal Corporation is directed to get sanction of minimum of Rs.10.0 crores for betterment of Hingonia Goshala, to which he replied that budget process is going on, and he will try to get sanction of the entire amount in this budget and for that purpose he will personally request to the Finance Secretary as also other authorities of the State Government;

(x)since the construction of carcass plant is going on at Hingonia Goshala, therefore, Mr.Gupta is directed to submit the progress report of the construction of carcass plant by the next date;

(xi)Since the illegal encroachments over the land of Hingonia Goshala are being made and have not been removed till now, therefore, for that purpose, Mr.Gupta, is directed to talk to the concerned Commissioner or any authority of Municipal Corporation for removing such illegal encroachments within fifteen days from today and submit the report by next date;

(xii)further Mr.Gupta undertakes to complete the construction of road over 382 bighas of land and

nearby Hingonia Goshala;

(xiii)On the last date, this court has suggested for starting the open jail, but it has come to the notice of this court that State Government and Municipal Corporation are not doing work expeditiously and properly and matter is subjudiced before the State Government. In this respect, Mr.A.K.Gupta, submits that they have no fund for that purpose, and until & unless fund is not released in favour of Municipal Corporation, open jail could not be started, but even then, he will try his level best to talk to higher authorities i.e. Home Commissioner etc. etc. in this regard;

(xiv)Mr.Khemraj, Asstt. Conservator of Forest, JDA, Jaipur is present in person, he is directed to maintain the greenary at Hingonia Goshala and submit the report through Mr.A.K.Gupta by next date;

(xv)Mr.A.K.Gupta further undertakes to direct the concerned authorities to maintain the complaint register at Hingonia Goshala;

(xvi)The Inspector General of Police (ACD), Jaipur is directed to submit the progress report regarding enquiry/investigation, and he is further directed to monitor upon all the work and expenses to be incurred on Hingonia Goshala as directed earlier by this court; and further more, he is also directed to submit the progress report on the next date either appearing personally before this court or by sending any representative or subordinate on his behalf;

The Deputy Registrar (Judl.) of this court is directed to furnish copy of this order free of cost to Mr.A.K.Gupta, Advocate as also other Advocates and Officers present in court today for doing the needful by the next date.

List this case on 31.3.2016 as jointly prayed for."

दिनांक 31.3.2016 को को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"इस मामले में भूमि की नाप कराने के सम्बन्ध में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर के आदेश दिनांक 31.3.2016 की प्रति श्री अशोक कुमार योगी, उपखण्ड अधिकारी, बस्सी ने इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर पेश की। उन्होनें यह अभिकथन किया कि हिंगौनिया गौशाला की लगभग 482 बीघा भूमि की नाप कराने का काम वे दिनांक 6.4.2016 से आरम्भ करवा देंगे, जो कार्य बीस दिवस में पूर्ण करवा लेंगे एवं तदोपरांत इस न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट पेश करेंगे।

जिलाधीश महोदय ने अपने आदेश में आयुक्त भू-प्रबंध विभाग, राजस्थान, जयपुर को निर्देशित कर दिया है लेकिन फिर भी न्यायहित में भूमि की नाप को सुनिश्चित कराने के लिये उपखण्ड अधिकारी, बस्सी को निर्देश दिया जाता है कि वे आयुक्त, भू-प्रबंध विभाग को इस आदेश की एक प्रति देकर यह सूचित करें कि हर सूरत में 6.4.2016 तक भूमि की नाप हेतु ई.डी.एम. मशीन उपलब्ध करावें ताकि वे इस न्यायालय के आदेश की पालना बीस दिवस में कर अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकें।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

इस न्यायालय ने पूर्व में इस मामले में यह आदेश दिया है कि हिंगौनिया गौशाला में ओपन जेल खोली जावे ताकि कैदी गायों की सेवा का पवित्र कार्य कर सकें। किन्तु इस आदेश की पूर्ण रुप से पालना नहीं हुई है। श्री ए.के.गुप्ता अधिवक्ता एवं श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत प्रमुख सचिव गृह को सूचित करें कि वे आगामी तारीख को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें।

इस प्रकरण को दिनांक 29.4.2016 को सूचीबद्व किया जावे। उप निबन्धक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक एक प्रति सभी संबंधित को नि:शुल्क उपलब्ध करावें।"

इसके उपरान्त इस प्रकरण को दिनांक 20.4.2016 को सूचीबद्व किया गया। उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"आज विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस.आर.सुराना ने मौखिक रुप से इस न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना की कि हिंगौनिया गौशाला में लगभग 250-300 गायों की मृत्यु हो चुकी है, जिसके कारण भी पता नहीं है। इस मृत्यु दर के समाचार लगातार मीडिया में प्रकाशित भी हो रहे हैं। इस पर न्यायालय ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए श्री आशुतोष ए.टी.पेडणेकर आयुक्त नगर निगम, कुंवर राष्ट्रदीप सिंह उपायुक्त पुलिस, श्री हरेन्द्रसिंह उपायुक्त नगर निगम, श्री पदमसिंह, उप निदेशक एनीमल हसबेण्डरी, डा. पी.सारस्वत एडीशनल डायरेक्टर एनीमल हसबेण्डरी, श्री जी.आर.बैरवा, जोईन्ट डायरेक्टर एनीमल हसबेण्डरी को तलब किया, जो आज न्यायालय के समक्ष व्यक्तिश: उपस्थित हैं।

आयुक्त नगर निगम श्री पेडणेकर ने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि वे गायों के लिये चारा, पानी और उपचार की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस न्यायालय ने

विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जी.एस.गिल को भी तलब किया, जो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। उन्होनें कथन किया कि वे इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 31.3.2016 के अनुक्रम में जिलाधीश जयपुर से बात कर मौके पर जाकर हिंगौनिया गौशाला की 482 बीघा भूमि व अन्य भूमि को नपवाने का कार्य दिनांक 29.4.2016 से पूर्व पूर्ण करांकर इस मामले में नियत तारीख दिनांक 29.4.2016 को इस न्यायालय को सूचित करेंगे। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.4.2016 को अपनी रिपोर्ट पेश करें कि गौशाला की 482 बीघा भूमि नगर निगम को नपवाने के बाद संभला दी गयी है या नहीं। श्री गिल ने इस न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि उनके पास आज तक के आदेश की प्रति नहीं है। उप निबन्धक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस मामले में पारित आदेशों की एक एक फोटो प्रति विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जी.एस.गिल को शीघ्र नि:शुल्क उपलब्ध करावें।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित पुलिस उपायुक्त कुंवर राष्ट्रदीप को निर्देश दिया जाता है कि वे पुलिस भारसाधक अधिकारी, कानोता को निर्देश दें कि वे प्रतिदिन हिंगौनिया गौशाला जावें एवं वहां की गतिविधियों को रोजनामचे में दर्ज करें एवं रोजनामचे की प्रति आगामी तारीख को इस न्यायालय के समक्ष आगामी तारीख को उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

आयुक्त नगर निगम श्री पेडणेकर को निर्देश दिया जाता है कि वे पूर्व में इस न्यायालय द्वारा पारित किये गये आदेशों की पालना के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

प्रकरण को पूर्व नियत तिथि 29.4.2016 को सूचीबद्व किया जावे। उस दिन उप निदेशक एनीमल हसबेण्डरी गायों के मरने का क्या कारण रहा इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। उप निबन्धक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक एक प्रति समस्त संबंधित अधिवक्तागण को नि:शुल्क उपलब्ध करावें।"

इसके उपरान्त प्रकरण को दिनांक 10.5.2016 को सूचीबद्व किया गया। उस दिन प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने एक प्रार्थनापत्र पेश किया, जिसे रिकार्ड पर लिया गया। प्रकरण को दिनांक 26.5.2016 को सूचीबद्व किये जाने का आदेश दिया गया। इसके उपरान्त प्रकरण को दिनांक 1.6.2016 को सूचीबद्व किया गया। उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"Learned counsel for the petitioner has submitted a list of 9 works to be done by Civil Engineer at Hingonia Goshala.

In this regard, Mr. A.K. Gupta, is directed to inform Mr. Hemant Gaira, the Administrator of Nagar Nigam to remain present before this court tomorrow i.e. 2/6/2016 at 11:00 AM because cows are facing acute problem because of non-availability of water in proper quantity and number of tube wells are not working properly and internal connection of electricity is out of order, whereas lot of amount has already been spent on it but same has been mis-utilised by the concerned authorites. For that purpose, this Court however, has already handed over the matter to the Anti Corruption Bureau for investation.

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

Mr.RS Shekhawat, learned Public Prosecutor is directed to inform the concerned Investigating Officer to remain present before this court along with progress report tomorrow i.e on 2.6.2016

At this stage Mr. Gupta, counsel appearing for the Nagar Nigam, Jaipur has requested that he talked on telephone to Mr. Gaira and he has told on phone that Safai Karmchari of the Nagar Nigam are on strike, and because of the aforesaid reason, it will not be practicably possible for him to remain present before the Court on 2/6/2016 and Mr. Gupta requested the Court to fix the matter on an another date.

The aforesaid requeste of Mr. Gupta seems to be genuine.

List the matter on 2.6.2016. However, Mr. Gupta shall be at liberty to move an application for personal exemption of Mr. Gaira.

List on 2/6/2016."

दिनांक 2.6.2016 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"यह प्रकरण कल से आज सूचीबद्व किया गया है। हिंगौनिया गौशाला में निम्नलिखित बातों की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया:-

1. अभी तक गौशाला में 34 ट्यूबवेल का निर्माण कर दिया गया है जिसमें से 15 ट्यूबवेल चालू हालत में है और उनमें भी काफी रिपेयरिंग आ गई है और करीबन 20 ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं, बिजली का काम अधूरा है और चालू नहीं है 34 ट्यूबवेलों को रिपेयरिंग कर दुरुस्त किया जावे और सभी ट्यूबवेल चालू करवाये जावें।

2. हरा चारा कटाई की काफी मशीनें खुले में पड़ी है जिन्हें कभी काम में नहीं लिया गया उनकी रिपेयरिंग कर मशीनों को चालू करवाया जावे।

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. गोबर गैस प्लान्ट बाड़े में अन्धी गायों के लिए बरसात से बचने के लिए शेड का निर्माण किया जावे।

4. आई.सी.यू. बाड़े में बाथरुम का निर्माण करवाया जावे।

5. बाडा नम्बर आर 3 में खेडी थाना बनाया जाकर बाड़ा समर्पित किया जावे।

6. बागरियों का जहां से अतिक्रमण हटाया गया है उसके तीन तरफ दीवार है, एक तरफ दीवार और बनाकर शेड खेली व ठाण्उ बनाये जावें जिससे एक नया बाड़ा बन जावेगा।

7. पांच जेसीबी दिलवाई जावे ताकि भूमि को समतल करवाया जा सके।

8. गौशाला में निर्माण शाखा का आफिस है उसमें जेईएन नियमित बैठे और निर्माण से संबंधित आई कमियों का निरीक्षण कर उन्हें तुरन्त दुरुस्त करें, जैसे कई जगह से बाहर की दीवार टूट गई है, कई जगह पर गेट नहीं लगे हुए हैं साथ ही हास्पीटल के वार्डो की पानी की खेली में रिसाव है जो कि ठीक नहीं किया जा रहा है। इन सभी कमियों को दुरुस्त करें।

9. बागरिया बस्ती की तरफ जगह चिन्हित कर चारे के एक बाड़े गोदाम का निर्माण करवाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के.गुप्ता ने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि वे अवकाश के दौरान आयुक्त, नगर निगम, जयपुर के साथ मीटिंग कर हिंगौनिया गौशाला की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे एवं नियमानुसार निर्देश पारित करेंगे।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंगसिंह शेखावत इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, जिन्होनें कथन किया कि इस न्यायालय द्वारा पारित किये

गये आदेश के मामले में प्राथमिक जांच चल रही है। आज न्यायालय ने उनका जिस बारे में ध्यान आकर्षित कराया है उसमें भी प्राथमिक जांच करेंगे एवं आगामी तारीख को इस न्यायालय के समक्ष प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

आयुक्त, नगर निगम की ओर से आज की उपस्थिति क्षमा किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे स्वीकार किया जाता है। प्रकरण को दिनांक 13.7.2016 को सूचीबद्व किया जावे।"

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

दिनांक 13.7.2016 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"Mr. Rajendra Prasad AAG and Mr. GS Gill AAG are not present today and it is expected from them to put appearance before this court on 18/7/2016.

Today the matter is adjourned on the ground of marriage in relation of Advocate Mr. AK Gupta.

List on 19/7/2016. Officers who are present in court today shall remain present on the next date."

दिनांक 19.7.2016 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"इस प्रकरण में सभी पक्षकारों ने इस बात की सहमति व्यक्त की है कि इस मामले में विभिन्न मुद्दों के निपटारे के लिये प्रमुख सचिव नगरीय विकास विभाग, प्रमुख सचिव स्थानीय निकाय, आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण एवं सी.ई.ओ. नगर निगम को न्यायालय के समक्ष आगामी तारीख को व्यक्तिश: बुलाया जावे एवं सभी मुद्दों का निपटारा कराया जावे ताकि हिंगौनिया गौशाला के संचालन में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो।

विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जी.एस.गिल ने यह प्रकट किया कि क्या क्या काम हो चुके हैं एवं क्या क्या काम किया जाना है इसके बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट उन्हें उपलब्ध करा दें। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुराना ने कथन किया कि वे इस न्यायालय द्वारा विभिन्न तारीखों को पारित किये गये आदेशों के क्रम में क्या काम हुए एवं क्या नहीं हुए इसका एक नोट सात-आठ दिवस की अवधि में श्री गिल को

दे देंगे ताकि वे उसे संबंधित अधिकारियों को दे सकें ताकि उन्हें न्यायालय के समक्ष जवाब देने में कोई परेशानी नहीं हो।

सभी पक्षकारों की सहमति से श्री जी.एस.गिल अतिरिक्त महाधिवक्ता को यह निर्देश दिया जाता है कि वे सचिव नगरीय विकास विभाग, सचिव स्थानीय निकाय, आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण एवं सी.ई.ओ. नगर निगम जयपुर को आगामी तारीख को इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिश: उपस्थित रखें। श्री गिल को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे आगामी तारीख को हिंगौनिया गौशाला के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट, जो कि जिलाधीश जयपुर के यहां होना बताया जाता है, की प्रति जिलाधीश जयपुर से सम्पर्क कर उनसे प्राप्त कर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्तागण श्री जी.एस.गिल एवं राजेन्द्र प्रसाद का नाम वाद सूची में दर्शाया जाकर प्रकरण को दिनांक 10.8.2016 को सूचीबद्व किया जावे।

उप निबन्धक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक एक नि:शुल्क प्रति सभी संबंधित को कल तक प्रदान की जावे।"

इसके उपरान्त इस प्रकरण को दिनांक 4.8.2016 को सूचीबद्व किया गया। उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"Earlier, this matter was listed on 19.07.2016 and on that day, the matter was adjourned for 10th August, 2016. From the last two days, several news are being published relating to Hingonia Gaushala in Print Media. Today also a news has been published in Print Media wherein it has been mentioned that in Hingonia Gaushala from last two days, 90 cows have been died and in last two weeks more than 500 cows have been died. On the news published in print media today itself, this Court called Mr. G.S. Gill, Mr.B.N. Sandhu and Mr.S.K. Gupta AAG and directed Mr. G.S. Gill, AAG to call the Chief Executive Officer of Municipal Corporation Jaipur and other relevant officers of Nagar Nigam Jaipur.

This court also asked Mr. B.N. Sandhu, AAG to call Mr.Dinesh MN, Inspector General of Police(ACD). He has informed this Court that he has been transferred from present place of posting to S.O.G. Many of the orders have been passed in this matter and matter is listed for compliance of the orders passed by this Court.

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

It is unfortunate on the part of Nagar Nigam Jaipur as they are flouting and disobeying the orders of the Court passed on earlier dates and also not taking care off the administration of the Government of Rajasthan and by way of their such working, the reputation of the government is being damaged for not making compliance of the orders passed by this Court earlier in this matter, hence looking to over all facts & circumstances of the case, this matter has been taken up today.

A joint request has been made by Mr. B.N. Sandhu, Mr.G.S. Gill and Mr. S.K. Gupta (AAG's) that if the court deems fit and proper, permit them to visit the Hingonia Gaushala along with Chief Executive Officer, Nagar Nigam Jaipur and Mr. Dinesh MN and Mr. Bajrang Singh Shekhawat. This prayer made by aforesaid AAG's seems to be genuine and they are permitted to go Hingonia Gaushala and report to this court on next date.

It is also expected from the Chief Executive Officer, Nagar Nigam Jaipur to ensure the compliance of the orders passed by this court earlier and Mr. Dinesh M.N is also free to submit a detailed report before this court on the following aspects:

(1) Whether the orders passed by this court have been fully complied with or not ?

(2) Whether officers of the Nagar Nigam have committed any offence under the Rajasthan Bovine Act and for that purpose if he wants any assistance from any police officers or any other legal authority, he can obtain the same.

(3) Director Animal Husbandry is directed to submit the post mortem

report of the cows who have died.
(4) Learned Additional Advocate General Mr. G.S. Gill is also directed to inform Mr. Manjeet Singh, Principal Secretary of Local Self Government, and the Director of the Animal Husbandry Department to remain present before this court on the next date.
(5) The Deputy Registrar (Judicial) is directed to supply a copy of this order free of cost to all the concerned parties.

List the matter on 10/8/2016. Officers above-named who are present in person before this Court today shall personally remain present on the next date i.e 10.8.2016."

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

दिनांक 10.8.2016 को इस न्यायालय के द्वारा पूर्व में पारित आदेशों का हवाला देते हुए अपना विस्तृत आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश में मुख्य रुप से निम्न आदेश पारित किया गया:-

"आज न्यायालय के आदेशानुसार उपरोक्त वर्णित अधिकारीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

कोर्ट कमिश्नर श्री सुराना एवं प्रार्थी के अधिवक्ता श्री पी.सी.भण्डारी ने कथन किया कि दिनांक 3.8.2016 को जो गायों के मरने की घटना हुई है वह घटित नहीं होती यदि न्यायालय द्वारा समय समय पर पारित किये गये आदेशों की पालना की गयी होती। उनका कथन है कि इस न्यायालय को कमेटी ने एवं अधिवक्तागण ने पूर्व में ही यह अवगत करा दिया था कि यदि गौशाला का प्रबन्ध ठीक नहीं हुआ तो इस प्रकार की घटना हो सकती है, इसके बावजूद इस ओर राज्य सरकार के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया और न्यायालय के आदेशों को सामान्य रुप में ले लिया। राज्य सरकार के इन अधिकारियों का कृत्य न केवल इस न्यायालय के आदेशों की अवमानना है अपितु राज्य सरकार के आदेशों की भी अवमानना है। उनका कथन है कि इस न्यायालय के आदेशों की अनुपालना नहीं कर उन्होनें घोर अपराध किया है। उनका कथन है कि यह निर्देश दिये जावें कि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृति नहीं हो। उनका कथन है कि पॉलीथीन केरी बेग्स

को बन्द कराया जावे, भविष्य में कम से कम 20,000 गायों को रखने की व्यवस्था कराई जावे ताकि गायें आराम से रह सकें। अभी जो 23 बाड़े हैं उनमें गायें आराम से नहीं रह सकती इसलिये कम से कम 20 बाड़े और बनवाये जावें। पानी के लिये जो कुए बनाये गये हैं वे सुचारु रुप से कार्य नहीं कर रहे हैं, जमीन में चारा लगवाया जावे जिससे नगर निगम को आर्थिक लाभ भी होगा और गायों के लिये चारा मंगवाने की आवश्यकता ही नहीं होगी। उनका कथन है कि यदि डाक्टरों एवं नगर निगम के कर्मचारियों में तालमेल हो तो उससे भी स्थिति सुदृढ होगी। उन्होनें यह भी कथन किया कि हिंगौनिया गौशाला में जो विघुत लाईन दी गयी है वह पूर्ण रुप से चालू नहीं है क्योंकि वहां 162 के.वी. का जनरेटर होना चाहिये। उनका कथन है कि जो ट्रांसफार्मर लगाया गया है वह कम क्षमता का है, अधिक क्षमता का ट्रांसफार्मर लगवाया जावे। ब्राडबेण्ड इन्टरनेट की व्यवस्था कराई जावे। हिंगौनिया गौशाला में इस प्रकार की व्यवस्था कराई जावे जिससे इस प्रकार के हादसों की पुनरावृति न हो।

Web Copy - Not Official
Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते

उनका कथन है कि एक प्रकरण को पूर्व में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को दे रखा था इसलिये भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक श्री आलोक त्रिपाठी को निर्देश दिये जावें कि वे उक्त प्रकरण की मानीटरिंग करें एवं अनुसंधान की प्रगति की रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

उनका यह भी कथन है कि गौशाला में एक रजिस्टर रखा जावे ताकि जो अन्य व्यक्ति गौसेवक आदि वहां जावे उनका इन्द्राज उक्त रजिस्टर में किया जा सके।

उनका यह भी कथन है कि हिंगौनिया गौशाला के लिये एक उपायुक्त अलग से रखा जावे, जिसे कम से कम दस लाख रुपयें खर्च करने की शक्तियां दी जावे, जिस राशि को वे आवश्यकता होने पर खर्च कर सके। ऐसे उपायुक्त से पत्रावलियां सीधे ही सीईओ नगर निगम के पास जानी चाहिये, बीच में किसी कर्मचारी/अधिकारी का हस्तक्षेप नहीं हो।

उनका यह भी कथन है कि वहां पर विघुत की सप्लाई में कोई अवरोध नहीं हो इस हेतु एक सहायक अभियन्ता को लगाया जावे। उनका यह भी कथन है कि यदि वहां केन्द्रीय कारागार की ओपन जेल की व्यवस्था हो जावे तो कैदियों को गौ सेवा का लाभ भी मिलेगा एवं गौशाला की भी व्यवस्था सुचारु रहेगी।

इस पर विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जी.एस.गिल ने राज्य सरकार की ओर से कथन किया कि पॉलीथीन केरी

बेग्स पर प्रतिबंध के लिये राजस्थान राज्य में बने कानूनों की पूर्ण रुप से पालना करायी जावेगी तथा जयपुर शहर व राजस्थान राज्य में पॉलीथीन केरी बेग्स का विक्रय एवं उपयोग नहीं होने दिया जावेगा। उन्होनें कथन किया कि 82000 किलो पॉलीथीन सीज किया गया है एवं भविष्य में पॉलीथीन केरी बेग्स का चलन नहीं होने दिया जावेगा।

श्री गिल ने स्वीकार किया कि हिंगौनिया गौशाला में 23 बाड़े वर्तमान में है तथा 8 बाड़ों का निर्माण हो रहा है। जिनके लिये श्री मनजीत सिंह ने कथन किया कि तीन माह में उन्हें कवर्ड कर पूर्ण कर दिया जावेगा। पशुपालन विभाग के चिकित्सक आवश्यक रुप से वहां पर रहें इस हेतु श्री मनजीतसिंह ने विद्वान महाधिवक्ता के माध्यम से कथन किया कि वहां पर 24 घंटे दो-तीन डाक्टर रहेंगे एवं उनके साथ पर्याप्त स्टाफ रहेगा।

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चारा उगाने के बिन्दु पर उन्होनें कथन किया कि वे अगली तारीख पर न्यायालय को बतायेंगे कि कितनी भूमि पर चारा उगायेंगे। महाधिवक्ता ने इस पर खड़े होकर कथन किया कि इस कार्य के लिये विघुत सुधार की व्यवस्था शीघ्र शुरु कर दी जायेगी। विद्वान महाधिवक्ता ने सीईओ से पूछकर कथन किया कि वहां 34 ट्यूबवेल हैं, जिनमें से 32 को एक माह की अवधि में चालू हालत में कर दिया जावेगा। पन्द्रह दिवस की अवधि में आईसीयू को चालू कर दिया जावेगा। कॉरकस प्लान्ट शीघ्र बना दिया जावेगा।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के उपरान्त यह न्यायालय निम्न निर्देश प्रदान करती हैं:-

1. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग श्री आलोक त्रिपाठी, जो आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, को निर्देश दिया जाता है कि इस प्रकरण में हिंगौनिया गौशाला से संबंधित इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित किये गये आदेशों के अनुसार भ्रष्टाचार में लिप्त पाये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में अनुसंधान हेतु आदेशित किया गया था उसका अनुसंधान अपनी देख रेख में करावें एवं अनुसंधान की प्रगति की रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

2. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री एस.के.गुप्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे इस न्यायालय के समक्ष आज उपस्थित जिलाधीश जयपुर से समन्वय करके ड्रोन के माध्यम से हिंगौनिया गौशाला परिसर एवं उसके बाहर 500 मीटर की परिधी में वीडियो रिकार्डिंग करवाकर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर को निर्देश दिया जाता है कि वे हिंगौनिया गौशाला में 8 बाड़ों

का उपरोक्त वर्णित समय में निर्माण कराकर इस न्यायालय को सूचित करें। उन्हें यह भी निर्देश दिया जाता है कि पूर्व में निर्मित बाड़ों का उपयोग सुनिश्चित करें, उनमें स्लोब, खेली, ड्रेनेज का निर्माण करवायें, आधा पक्का फर्श बनवायें ताकि उनमें गायें सुचारु रुप से रह सकें। उन्हें यह भी निर्देश दिया जाता हैं कि जो ट्यूबवेल सुचारु रुप से कार्य नहीं कर रहे हैं उन्हें चालू करायेंगे एवं भविष्य में और आवश्यकता होने पर और ट्यूबवेल बनवायेंगे। कम से कम 200 बीघा भूमि पर चारा उगवायेंगे ताकि गायों के लिये चारे की व्यवस्था हो सके। उन्हें यह भी निर्देश दिया जाता है कि हिंगोनिया गौशाला के क्षेत्र में जहां पर मृत गायों को खड्डों में गाड़ा गया है उन खड्डों में उपयुक्त मात्रा में नमक (सोडियम क्लोराईड) डलवायें ताकि गौशाला के आस पास एवं जयपुर शहर में संक्रमण नहीं फैले।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

4. श्री मनजीतसिंह को निर्देश दिया जाता है कि वे एनीमल हसबेण्डरी के अधिकारियों से समन्वय करके हिंगौनिया गौशाला में डाक्टरों की सुचारु रुप से व्यवस्था करेंगे तथा विघुत से संबंधित अधिकारियों से समन्वय करके स्थाई रुप से विघुत की व्यवस्था करेंगे ताकि अनावश्यक रुप से बिजली नहीं जावे।

5. जिलाधीश जयपुर, पुलिस आयुक्त जयपुर एवं मुख्य कार्यकारी नगर निगम जयपुर को निर्देश दिया जाता हैं कि जयपुर शहर में किसी भी सूरत में पॉलीथीन केरी बेग्स का उपयोग नहीं हो ताकि उसे गायें नहीं खा सकें। पॉलीथीन केरी बेग्स से जो गंदगी उत्पन्न होती है उसकी शीघ्र सफाई करावें। पॉलीथीन केरी बेग्स के लिये विशेष रुप से जिलाधीश जयपुर को निर्देश दिया जाता है कि पॉलीथीन केरी बेग्स को रोकने के लिये उन्होनें क्या कदम उठाये हैं।

6. इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री विष्णु शर्मा को निर्देश दिया जाता है कि वे राजस्थान राज्य के समस्त मुख्य न्यायिक अधिकारीगण, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर एवं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जोधपुर को अवगत करावें कि वे पॉलीथीन केरी बेग्स की रोकथाम के लिये आमजन में जागृति पैदा करें ताकि इनका उपयोग नहीं हो। चूंकि श्री विष्णु शर्मा का स्थानांतरण जिला न्यायाधीश, अजमेर के पद पर हो गया है एवं उनके स्थान पर श्री एस.के.जैन पदभार ग्रहण कर रहे हैं इसलिये श्री शर्मा श्री जैन को इस न्यायालय के आदेश की भावना से अवगत करावें।

7. पुलिस भारसाधक अधिकारी, कानोता को निर्देश दिया जाता हैं कि वे आगामी तारीख को इस न्यायालय के समक्ष रोजनामचा प्रस्तुत करें ताकि न्यायालय उनकी कार्यवाही को

देख सके।

8. श्री दिनेश एम.एन., जो आज इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, को निर्देश दिया जाता है कि इस घटना का क्या कारण रहा इस बारे में जांच करके अपनी जांच रिपोर्ट आगामी तारीख को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।"

दिनांक 17.8.2016 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

"यह प्रकरण इस न्यायालय के आदेश दिनांक 10.8.2016 के अनुक्रम में आज सूचीबद्व किया गया है। इस न्यायालय ने दिनांक 10.8.2016 को राज्य सरकार व नगर निगम को विभिन्न निर्देश दिये थे। उन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जी.एस.गिल ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसे इस पत्रावली में संलग्न किया जावे। उक्त रिपोर्ट की प्रति प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पी.सी.भण्डारी एवं कोर्ट कमिश्नर श्री सुराना को दिलाई गई। श्री भण्डारी उक्त रिपोर्ट का जवाब एवं कोर्ट कमिश्नर उक्त रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट आगामी तारीख को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

इस न्यायालय के समक्ष पुलिस महानिरीक्षक, एस.ओ.जी.जयपुर श्री एम.एन.दिनेश की ओर से श्री बी.एन.सान्दू अतिरिक्त महाधिवक्ता के माध्यम से बन्द लिफाफे में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, जिसे इस पत्रावली में संलग्न किया जावे।

कोर्ट कमिश्नर श्री सुराना ने राजस्थान पत्रिका के दिनांक 17.8.2016 के अंक की प्रति प्रस्तुत की, जिसे भी इस पत्रावली में संलग्न रखा जावे। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री एस.के.गुप्ता ने हिंगौनिया गौशाला में ड्रोन से करायी गयी वीडियोग्राफी की चार डी.वी.डी. प्रस्तुत की गयी, जिन्हें भी पत्रावली के साथ रखा जावे। श्री गुप्ता ने कथन किया कि आगामी तारीख तक उक्त डी.वी.डी. की एक प्रति प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री भण्डारी को उपलब्ध करा देंगे। केन्द्र सरकार के एनीमल वेल्फेयर बोर्ड की रिपोर्ट की प्रति भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसे भी इस पत्रावली में संलग्न रखा जावे।

आज मुख्य रुप से इस न्यायालय का ध्यान दो बिन्दुओं की ओर दिलाया गया, जिनमें से एक यह है कि

गौशाला से कुछ गायों को अन्यत्र स्थानांतरित किया गया है, जिनकी संख्या विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री गिल ने 161 बतायी है। इस सम्बन्ध में श्री सुराना ने कथन किया कि जिन गौशालाओं को ये गायें स्थानांतरित किया जाना बताया जाता है उनकी विश्वसनीयता क्या है, दुधारु गायों को स्थानांतरित किया गया है बीमार गायों को स्थानांतरित नहीं किया गया है एवं मां से बच्चों को अर्थात गायों को बछड़ों से अलग कर दिया गया है।

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आगामी तारीख को 161 गायों को स्थानांतरित किये जाने एवं इनके अलावा 119 गायें आदिवासी क्षेत्रों में दिया जाना बताया गया है, इस बारे में श्री गिल आगामी तारीख को रिपोर्ट मय संबंधित दस्तावेज एवं मय शपथपत्र के इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ताकि यह न्यायालय संबंधित पुलिस थानों से विश्वसनीयता की जांच करा सके।

दूसरा बिन्दु इस न्यायालय के समक्ष मुख्य रुप से यह उठाया गया है कि गौशाला का प्रबन्ध किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है तो भी उस परिस्थिति में जमीन का स्वामित्व नगर निगम का ही रहेगा, जमीन का स्वामित्व हस्तांतरित नहीं किया जावेगा।

राज्य सरकार/नगर निगम को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में यदि किसी गाय को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है तो ऐसा न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावे एवं यह स्पष्ट किया जाता है कि हिंगौनिया गौशाला की समस्त भूमि नगर निगम के स्वामित्व में ही रहेगी चाहे गौशाला का प्रबन्ध किसी व्यक्ति या संस्था को दे दिया जावे।"

दिनांक 22.8.2016 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"यह प्रकरण इस न्यायालय के आदेश दिनांक 17.8.2016 के अनुक्रम में आज सूचीबद्व किया गया है।

कोर्ट कमिश्नर श्री सज्जनराज सुराना ने इस न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे रिकार्ड पर लिया जाता है। उन्होनें मुख्य रुप से इस न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि नगर निगम में नियुक्त पशु चिकित्सकों में डा.शिवजीराम मीना, डा.आर.पी.सिंह, डा.पदमचंद, डा.रमेश कुमार शर्मा व श्री धर्मगोपाल गुप्ता ने विभिन्न पत्रों के माध्यम से जो यह घटना घटित हुई है उसके बारे में उपायुक्त गौशाला नगर निगम जयपुर व संबंधित

अधिकारियों को पूर्व सूचना दे दी थी, जिसके बावजूद भी उन्होनें इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। उनका यह भी कथन है कि वे कोर्ट कमिश्नर की हैसियत से रक्षाबन्धन के दिन गये थे लेकिन फिर भी वहां के प्रबन्धन का तरीका ठीक नहीं था। उन्होनें इसके सम्बन्ध में अनेक फोटोग्राफ्स पेश किये हैं जिन्हें रिकार्ड पर लिया जाता है। इनकी प्रति विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री गिल को दिलाई गई। उन्होनें कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के सम्बन्ध में जवाब के लिये समय चाहा।

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आज न्यायालय के समक्ष दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित समस्त अधिवक्तागण से इस न्यायालय ने संयुक्त रुप से यह पूछा कि हिंगौनिया गौशाला का सृजनात्मक एवं स्थाई हल क्या हो ताकि गौशाला अनन्त काल तक चलती रहे।

इस हेतु समस्त अधिवक्तागण की ओर से यह सहमति बनी है कि वे इस सम्बन्ध में एक मीटिंग करके इस न्यायालय को आगामी तारीख को अवगत करायेंगे कि हिंगौनिया गौशाला का सृजनात्मक एवं स्थाई हल क्या हो सकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हो।

विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जी.एस.गिल ने इस न्यायालय के समक्ष पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे रिकार्ड पर लिया जाता है। इसकी प्रति संबंधित अधिवक्तागण को दिलाई गई।

इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित श्री बजरंगसिंह शेखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को निर्देश दिया जाता है कि वे आगामी तारीख को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उभयपक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण की सहमति से इस प्रकरण को दिनांक 2.9.2016 को सूचीबद्व किया जावे।"

दिनांक 2.9.2016 को विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जी.एस.गिल की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के समय चाहने पर प्रकरण को दिनांक 6.9.2016 को सूचीबद्व किये जाने का आदेश दिया गया। दिनांक 6.9.2016 को प्रकरण को 7.9.2016 को सूचीबद्व किये जाने का आदेश पारित किया गया। दिनांक 7.9.2016 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"यह प्रकरण आदेश दिनांक 6.9.2016 के अनुक्रम में इस न्यायालय के समक्ष आज सूचीबद्व किया गया है।

अक्षयपात्र फाउण्डेशन की ओर से एक ड्राफ्ट एम.ओ.यू. प्रस्तुत किया गया है, जो अक्षयपात्र फाउण्डेशन के प्रेसीडेन्ट श्री रतनगढ़ा गोविन्दादासा के द्वारा नगर निगम के मेयर एवं कमिश्नर को दिया गया है, उसकी छाया प्रति इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है, जिसे रिकार्ड पर लिया जाता है।

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्री गिल से यह प्रश्न किया गया कि यह एम.ओ.यू. कितने दिवस की अवधि में फाईनल हो जावेगा। उन्होनें कथन किया कि इसका जवाब वे आगामी तारीख को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे।

जो 382 बीघा भूमि चरागाह की है और जिसका गोचर भूमि के रुप में उपयोग में लिये जाने का अंकन राजस्व रिकार्ड में लाल स्याही से किया गया है, उस भूमि को नगर निगम के नाम करवाने के लिये जयपुर विकास प्राधिकरण को पत्र लिखना बताया है, हालांकि उक्त भूमि गोचर व चरागाह की है।

श्री गिल ने यह भी बताया कि जो गायें हिंगौनिया गौशाला से स्थानांतरित की गयी है उनके वेरीफिकेशन के सम्बन्ध में एक पत्र संभागीय आयुक्त, उदयपुर का प्राप्त हुआ है जिससे स्पष्ट है कि वहां गायों की स्थिति ठीक है। अन्य गौशालाओं में स्थानांतरित की गयी गायों के सम्बन्ध में वेरीफिकेशन रिपोर्ट आने पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जावेगी। गायों की टेगिंग के सम्बन्ध में उन्होनें बताया कि गायों की टेगिंग दो सप्ताह की अवधि में कर दी जावेगी।

कॉरकस प्लान्ट के बारे में श्री अरुण प्रसाद, सदस्य सचिव, पाल्युशन कंट्रोल बोर्ड ने कथन किया कि नगर निगम की ओर से एन.ओ.सी. का प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर शीघ्र एवं यदि संभव हुआ तो एक दिन में ही सहमति प्रदान कर दी जावेगी।

राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वे निम्न बिन्दुओं पर भी गौर करे एवं सारभूत व महत्वपूर्ण कदम उठावें ताकि राजस्थान की समस्त गौशालाओं का संचालन सही रुप से हो सके एवं गौशालाओं का विकास हो सके:-

1. संबंधित गौशाला इस हेतु बने अधिनियम (गौशाला अधिनियम, 1660) के अन्तर्गत पंजीकृत है या नहीं।

2. गौशाला के क्षेत्राधिकार में स्थित भूमि का सम्पूर्ण विवरण, जिसमें प्रश्नगत भूमि का गौशाला के नाम पूर्ण या आंशिक रुप से दर्ज होना, गौशाला के क्षेत्राधिकार में स्थित भूमि और गौशाला के मालिकाना हक में आने वाली भूमि में अन्तर हो तो शेष भूमि किसके क्षेत्राधिकार में है।

3. गौशाला के आय के स्त्रोत का विवरण। अर्थात उक्त आय धार्मिक ट्रस्ट, कॉरपोरेट हाऊस या दानदाताओं से प्राप्त होती है या अन्य उत्पाद जैसे दूध, गोबर, गौमूत्र, खाद, घी, छाछ इत्यादि से होती है।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

4. गौशाला के खातों में प्राप्त हो रहे अनुदान का विवरण।

5. सी.ए. द्वारा गौशालाओं के आडिट का विवरण। राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान का लेखा-जोखा, उसका अंकेक्षण, वार्षिक रिपोर्ट से संबंधित अधिनियम और नियमों में प्रावधान।

6. गौशालाओं का वर्गीकरण एवं वर्गीकरण के आधार पर दिये जाने वाले अनुदान हेतु निर्धारित मापदण्ड।

7. सरकारी राशि की उपयोगिता एवं सामाजिक अंकेक्षण हेतु नियमों में प्रावधान।

8. राजस्थान राज्य में स्थित समस्त गौशालाओं के केन्द्रीयकृत प्रबन्धन हेतु आई.टी. युक्त प्रबन्धन की आवश्यकता।

9. प्रत्येक पशुधन का विस्तृत विवरण जो कि उसके साथ लगे टेग से जुड़ा हो अर्थात उसकी उम्र, उसके स्वास्थ्य की जानकारी तथा अन्य आवश्यक जानकारी।

10. राजस्थान राज्य में स्थित गौशालाओं के लिये सरकारी धन अनुदान के रुप में उपलब्ध कराने हेतु मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग के माध्यम से सम्पत्ति विक्रय पर सेस लगाया जा रहा है अत: सरकारी राशि के किसी भी प्रकार से दुरुपयोग को रोकने के लिये यह आवश्यक है कि इसके लिये पृथक से अधिनियम एवं नियम बनाये जावें। इस संबंध में यह भी उपयुक्त होगा कि उसकी अनुदान राशि के खर्च का विवरण विधानसभा के पटल पर रखा जावे जिससे कि राशि के सम्बन्ध में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। जब तक पूर्व में दी गयी राशि का 60 प्रतिशत या उससे अधिक वास्तविक रुप से नियमों में दिये गये प्रावधान के अनुसार खर्च नहीं किया गया हो तब तक दूसरी किश्त नहीं दी जावे।

11. गौशाला अधिनियम, 1960 में गौशाला के पंजीयन के

प्रावधान तो हैं किन्तु उक्त अधिनियम में राज्य सरकार के स्तर पर अनुदान प्रदान किये जाने की व्यवस्था नहीं है। यदि इस अधिनियम में ही गौशालाओं के अनुदान के प्रावधान जोड़ दिये जावें एवं उक्त प्रावधान के अन्तर्गत नियम बनाने की शक्तियां सरकार को दे दी जावे तो गौशालाओं को दिये जाने अनुदान राशि हेतु विधिक व्यवस्था आसानी से हो सकती है।

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12. यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 में लोक लुभावन घोषणाओं के अन्तर्गत गौशालाओं को अनुदान दिये जाने की घोषणा कर दी गयी थी। पशुपालन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश भी 1960 के अधिनियम के तहत गौशालाओं का पंजीयन होने की आवश्यकता का प्रावधान तो रखा गया किन्तु राजकोष से खर्च की जाने वाली राशि के लिये उत्तरदायित्व का निर्धारण स्पष्ट रुप से नहीं किया गया और न ही इस योजना हेतु आवश्यक कानूनी प्रावधान किये गये, न ही बजट का प्रावधान किया गया।

13. उपचार केन्द्रों को प्राथमिकता के आधार पर स्थापित किया जाना आवश्यक हो।

प्रकरण को दिनांक 21.9.2016 को 2.00 पी.एम. पर सूचीबद्व किया जावे। उक्त अवधि तक भूमि नगर निगम को स्थानांतरित नहीं होने एवं एम.ओ.यू. फाईनल नहीं होने की स्थिति में प्रमुख सचिव, स्थानीय निकाय विभाग एवं आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण आगामी तारीख को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें। उप निबन्धक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक एक नि:शुल्क प्रति सभी संबंधित को उपलब्ध कराई जावे।"

दिनांक 21.9.2016 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"आज इस न्यायालय के समक्ष श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण उपस्थित हैं। उन्होनें विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष यह प्रकट किया है कि नगर निगम ने जिस गोचर भूमि की मांग की है, उसके सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करते हुए वस्तुस्थिति से न्यायालय को आगामी तारीख पेशी पर अवगत करा दिया जावेगा।

विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जी.एस.गिल ने नगर निगम की ओर से प्रार्थना की है कि हिंगौनिया गौशाला को हरे कृष्णा मूवमेन्ट ट्रस्ट (अक्षय पात्र) को देने के सम्बन्ध में

एम.ओ.यू. अंतिम रुप से तैयार करके उसे इस न्यायालय के समक्ष आगामी तारीख तक प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

श्री जे.आर.बैरवा संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। उन्होनें कथन किया कि वे सप्ताह में एक बार हिंगौनिया गौशाला जायेंगे एवं आगामी तारीख को इस न्यायालय को यह बतायेंगे कि वहां डाक्टर्स से कितने ऑपरेशन किये एवं क्या क्या चिकित्सा कार्य किया, किन चिकित्सकों को पदोन्नति पर हिंगौनिया गौशाला से बाहर स्थानांतरित किया गया एवं किन किन डाक्टर्स को उनके स्थान पर पदस्थापित किया गया।"

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

दिनांक 18.10.2016 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.9.2016 के अनुक्रम में आज यह प्रकरण न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किया गया है।

इस न्यायालय के समक्ष श्री अजय गुप्ता निदेशक पशुपालन विभाग, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, उपायुक्त गौशाला, एस.डी.ओ.बस्सी श्री धारासिंह मीना एवं पटवारी श्री राकेश उपस्थित है।

इस न्यायालय के समक्ष श्री आर.गोविन्ददास अध्यक्ष अक्षयपात्र एवं श्री अनन्त दास उपाध्यक्ष अक्षयपात्र उपस्थित हैं। उनसे न्यायालय ने मुख्य रुप से यह प्रश्न पूछा कि आपको हिंगौनिया गौशाला को सुचारु रुप से संचालित करने के लिये क्या क्या आवश्यकताऐं हैं तो उन्होनें इस न्यायालय के समक्ष कथन किया कि बाड़ों की और आवश्यकता है क्योंकि नयी व पुरानी गायों को सेग्रीगेट करने के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें अलग अलग बाड़ों में रखा जाय। डा. अजय गुप्ता निदेशक पशुपालन विभाग ने कथन किया कि हिंगौनियां गौशाला में 15 डाक्टर, 29 कम्पाउण्डर एवं 19 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदस्थापित हैं, दो डाक्टर्स को कल और लगा देंगे और इस न्यायालय के समक्ष आगामी तारीख को इनकी सूची देंगे और इस विश्वास के साथ शपथपत्र प्रस्तुत करेंगे कि हिंगौनिया गौशाला से उक्त 17 डाक्टर, 29 कम्पाउण्डर एवं 19 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को न्यायालय की अनुमति के बिना नहीं हटाया जावेगा।

उपायुक्त गौशाला को निर्देश दिया जाता है कि हिंगौनिया गौशाला में कुत्तों से गायों की रक्षा के लिये अलग से कार्यवाही करेंगे। एस.डी.ओ.बस्सी श्री धारासिंह मीना एवं पटवारी श्री राकेश उपस्थित हैं। उन्होनें कथन किया कि

आगामी तारीख पेशी पर वे जमीन की भौगौलिक स्थिति एवं चरागाह भूमि के बारे में न्यायालय को अवगत करायेंगे और भूमि के बारे में इस न्यायालय के समक्ष शपथपत्र प्रस्तुत करेंगे।"

दिनांक 8.11.2016 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

"इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18.10.2016 के अनुक्रम में आज यह प्रकरण न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किया गया है।

इस प्रकरण में आज विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री श्याम आर्य ने एक शपथपत्र रजिस्ट्री में पेश किया है, जिसकी प्रति विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुराना एवं विद्वान अधिवक्ता श्री भण्डारी को दिलाई गई।

एक शपथपत्र विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जी.एस.गिल ने दिनांक 7.11.2016 को प्रस्तुत किया, जिसकी प्रति विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुराना एवं विद्वान अधिवक्ता श्री भण्डारी को दिया जाना बताया गया है। उक्त दोनों ही शपथपत्रों का जवाब प्रस्तुत करने हेतु वे समय चाहते हैं।

उन्होनें प्रार्थना की कि हालांकि इन शपथपत्रों का विधिवत रुप से जवाब वे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे किन्तु उन्होनें बड़े दु:ख के साथ यह निवेदन किया कि जिन तथ्यों के बारे में सरकारी अधिकारियों ने इन शपथपत्रों में अंकन किया है उनके बारे में उन्होनें पहले ही स्थिति प्रस्तुत कर दी थी तथा तत्कालीन उप जिलाधीश, बस्सी श्री चंदगीराम ने समस्त जमीन की नपवाई प्रस्तुत किये गये तथ्यों के आधार पर ही प्रकट किया था। उन्होनें निवेदन किया कि आगामी तारीख पेशी को श्री चंदगीराम, तत्कालीन उप जिलाधीश, बस्सी को इस न्यायालय के समक्ष तलब किया जावे तथा उनकी मौजूदगी में भूमि को पुन: नपवाने के आदेश दिये जावें। उनका कथन है कि विघुत कनेक्शन जो कानोता की तरफ से होना था वह भी अभी नहीं हुआ है। उनका यह भी कथन है कि कुत्तों से गायों का अभी पूर्ण रुप से संरक्षण नहीं हुआ है, वे गायों को फाड़ रहे हैं एवं कौअे गायों की आंखे फोड़ रहे हैं।

इन परिस्थितियों में विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जी.एस.गिल को निर्देश दिया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी को श्री चंदगीराम, तत्कालीन उप जिलाधीश, बस्सी को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखें ताकि

उन्हें जमीन की नपवाई के सम्बन्ध में उचित आदेश दिया जा सके।

एनीमल हसबेण्डरी के निदेशक श्री अजय कुमार गुप्ता ने इस न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि वे स्वयं दो माह तक हिंगौनिया गौशाला में व्यक्तिश: जाकर कैम्प लगाकर निरीक्षण करेंगे कि जो 17 डाक्टर्स वहां पर पदस्थापित हैं उनका रोजाना क्या आऊटपुट आ रहा है। उन्होनें इस न्यायालय के समक्ष कथन किया कि डाक्टर्स की एक टीम प्रतिदिन दो ऑपरेशन कर सकती है। उनसे न्यायालय ने प्रश्न किया कि क्या डाक्टर्स की एक टीम रोजाना दो ऑपरेशन कर रही है तो उन्होनें जवाब दिया कि औसत ऑपरेशन डाक्टर्स की टीम से नहीं आ रहा है। उन्होनें इसके लिये समय चाहा।

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पुलिस कमिश्नर श्री संजय अग्रवाल को इस न्यायालय के समक्ष तलब किया। किन्तु उन्हें आवश्यक कार्य होने से उन्होनें श्री प्रफुल्ल कुमार अतिरिक्त आयुक्त जयपुर को इस न्यायालय के समक्ष भेजा। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे हिंगौनिया गौशाला के चारों तरफ हो रहे अतिक्रमण को वे जयपुर विकास प्राधिकरण एवं जयपुर नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्पर्क स्थापित कर तुरन्त हटवायेंगे। उन्हें यह निर्देशित किया जाता है कि वे जिलाधीश, जयपुर से सम्पर्क कर पॉलीथीन थैलियों के उपयोग को बन्द कराने हेतु प्रभावी कदम उठायेंगे तथा इस न्यायालय को सूचित करेंगे कि उन्होनें इस हेतु क्या प्रभावी कदम उठाये और कितनी पालीथीन थैलियां बरामद की। इस हेतु विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री गिल को निर्देश दिया जाता है कि वे जिलाधीश, जयपुर को इस न्यायालय के आदेश की भावना से अवगत कराते हुए आदेशात्मक रुप से एक टीम का गठन करावें और पालीथीन थैलियों के उपयोग पर प्रतिबंध हेतु प्रभावी कदम उठावें। श्री गिल से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे शेष बाड़ों का तुरन्त निर्माण करायेंगे, गायों व बछड़ों के सर्दी से बचाव हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिये सी.ई.ओ./कमिश्नर नगर निगम जयपुर को आदेशित करेंगे।

प्रकरण को दिनांक 15.12.2016 को सूचीबद्ध किया जावे। उप निबन्धक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक एक प्रति सभी संबंधित को नि:शुल्क उपलब्ध करावें।"

इसके उपरान्त प्रकरण को दिनांक 24.1.2017 को इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"इस प्रकरण को पूर्व आदेशानुसार आज इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किया गया है।

आज इस न्यायालय के समक्ष जिलाधीश जयपुर श्री सिद्वार्थ महाजन, नगर निगम जयपुर के सी.ई.ओ. श्री हेमन्त गेरा, निदेशक पशुपालन विभाग डा. अजय गुप्ता उपस्थित हैं। अक्षयपात्र फाउण्डेशन की ओर से श्री आर.गोविन्द दास, श्री अनन्त शेषा दास एवं श्री राधाप्रिय दास न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

अक्षयपात्र फाउण्डेशन की ओर से उपस्थित प्रभुजी से न्यायालय ने प्रश्न किया कि उन्हें क्या क्या समस्याऐं आ रही है तो उन्होनें कथन किया कि गर्मी का समय निकट है, ऐसे में गायों के लिये पीने के पानी की समस्या बढ़ सकती है। उन्होनें कथन किया कि हिंगौनिया गौशाला में जो सूखे पप्प पड़े हैं उन्हें सुचारु रुप से चालू कराने के निर्देश नगर निगम को दिये जावें। उन्होनें कथन किया कि रामसिंहपुरा की तरफ एक चारे का गोदाम बनाया जावे जिसकी लागत लगभग 25 लाख रुपये आयेगी, जिसमें मेकेनाईज्ड फोडर प्लान्ट लगवाया जावे जिसमें कुट्टी, बांटा इत्यादि को मिक्स किया जा सके जो गायों के पोषण के लिये उपयुक्त आहार होगा। उन्होनें कथन किया कि टेगिंग का कार्य भी पूरा कराया जावे। उन्होनें यह भी कथन किया कि उन्हें माह अक्टूबर, 2016 के बिल में भी आधे बिल का भुगतान हुआ है शेष बिलों का भुगतान कराया जावे ताकि वे सुचारु रुप से कार्य कर सकें। उन्होनें कथन किया कि हिंगौनिया गौशाला के क्षेत्र में जो पानी उपलब्ध है वह हार्ड वाटर है और वे तकनीकी रुप से यह बताने में सक्षम है कि हार्ड वाटर गायों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। गायों को यदि पीने का सही पानी मिले तो इससे गायों का सही रुप से पोषण हो सकेगा। उन्होनें इस हेतु सुझाव दिया कि पास ही बीसलपुर की लाईन मौजूद है और यदि बीसलपुर की लाईन से गायों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके तो उससे गायों का अच्छा पोषण हो सकेगा। उन्होनें गायों व बछड़ों की गणना के लिये भी प्रार्थना की ताकि नगर निगम से बिल पास कराने में भी सुविधा रहे।

इस पर जिलाधीश, जयपुर श्री सिद्वार्थ महाजन ने कथन किया कि बीसलपुर की लाईन से पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में वे कल दिनांक 25.1.2017 को प्रात: 11.00 बजे वाटर वर्क्स के प्रभावी अधिकारियों के साथ गौशाला में उपस्थित होंगे, जहां श्री गोविन्द दास एवं श्री अनन्त शेषा दास भी उपस्थित रहेंगे ताकि गायों को पीने के पानी की उचित व्यवस्था कराई जा सके।

गायों की टेगिंग के सम्बन्ध में निदेशक, एनीमल हसबेण्डरी डा. अजय गुप्ता ने कथन किया कि उन्हें इस कार्य के लिये श्रमिक चाहिये। इस पर अक्षयपात्र फाउण्डेशन के उपस्थित प्रभुजी ने कथन किया कि वे दस श्रमिक उपलब्ध करा देंगे। इस पर निदेशक एनीमल हसबेण्डरी ने कथन किया कि वे टेगिंग के कार्य को फरवरी माह में करा देंगे।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

दोनों पक्ष इससे सहमत हैं कि नगर निगम ने इन कार्यों के लिये तीन कमेटी बना रखी है, लेकिन अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। उनकी सत्यता को परखने एवं कार्य को तीव्रता प्रदान करने के लिये यह न्यायालय इस समय न्यायालय में उपस्थित समस्त अधिवक्तागण की सहमति से मेजर आर.पी.सिंह, श्री एम.के.कौशिक एवं राजेन्द्र शर्मा अधिवक्तागण को इस हेतु नियुक्त करती है कि वे प्रात: 7.00 से 7.15 बजे हिंगौनिया गौशाला पहुंचेंगे, उस दिन सी.ई.ओ. नगर निगम स्वयं या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति नगर निगम द्वारा नियुक्त कमेटी से दस्तावेज लेकर 7.00 बजे उपस्थित होंगे। उस दिन श्री आर.गोविन्द दास, श्री अनन्त शेषा दास एवं श्री राधाप्रिय दास वगैरह भी उपस्थित रहेंगे। इस कमेटी की रिपोर्ट, जो तीनों अधिवक्तागण द्वारा सत्यापित होगी, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उससे पश्चात सात दिन की अवधि में बकाया बिल पास कर दिये जावें।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पी.सी.भण्डारी ने कथन किया कि पॉलीथीन पर पूर्ण प्रतिबंध की कार्यवाही अभी नहीं हुई है एवं गायों की मृत्यु दर बढ़ने का यह भी एक प्रमुख कारण है। इस पर जिलाधीश जयपुर श्री सिद्वार्थ महाजन ने कथन किया कि इस मामले में प्रभावी कार्यवाही की गयी है, दिनांक 30 व 31 जनवरी, 2017 को भी अभियान चलाया जावेगा एवं आगे भी निरन्तर अभियान चलाया जाता रहेगा। इस हेतु संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर वे न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। हिंगौनिया गौशाला में एक अतिरिक्त टेलीफोन भी लगवा दिया जायेगा।

इस प्रकरण एवं संलग्न प्रकरण को दिनांक 1.3.2017 को सूचीबद्व किया जावे। उप निबन्धक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक एक प्रति सभी संबंधित को आज ही नि:शुल्क उपलब्ध करावें।"

दिनांक 1.3.2017 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"इस प्रकरण को पूर्व आदेशानुसार आज इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किया गया है।

आज इस न्यायालय के समक्ष श्री हेमन्त गेरा, सी.ई.ओ. नगर निगम जयपुर एवं श्री पवन अरोड़ा, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग मय अपने अधिकारियों के उपस्थित हैं।

आज इस मामले में मुख्य रुप से हिंगौनिया गौशाला से लगती हुई 382 बीघा भूमि के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया है। इस हेतु सभी का यह मत है कि आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण श्री वैभव गलेरिया से इस हेतु स्पष्टीकरण लिया जावे। अतः श्री हेमन्त गेरा, सी.ई.ओ. नगर निगम, जयपुर को निर्देश दिया जाता है कि वे कल दिनांक 2.3.2017 को दोपहर 2.00 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के सम्बन्ध में अवगत करावें। कल श्री हेमन्त गेरा एवं आज उपस्थित अधिकारीगण भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें। प्रकरण को कल दिनांक 2.3.2017 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्व किया जावे।"

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 2.3.2017 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"इस प्रकरण को पूर्व आदेश दिनांक 1.3.2017 की पालना में आज इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किया गया है।

दिनांक 1.3.2017 को इस न्यायालय के द्वारा यह आदेश दिया गया था कि हिंगौनिया गौशाला से लगती हुई 382 बीघा गोचर भूमि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण लिया जावे। आज श्री वैभव गालरिया, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, जिन्होनें आदेश दिनांक 1.3.2017 की प्रति इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे रिकार्ड पर लिया जावे। उसमें यह अंकित किया गया है कि 210 बीघा भूमि नगर निगम जयपुर को हस्तांतरित की जाती है। श्री गालरिया ने कथन किया कि गोचर भूमि को चेक करके आगामी तारीख को न्यायालय को अवगत करा देंगे। शेष 172 बीघा भूमि व हिंगौनिया गौशाला के चारों तरफ स्थित गोचर भूमि के सम्बन्ध में विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद ने कथन किया कि वे आगामी तारीख को न्यायालय को अवगत करा देंगे।

जिलाधीश, जयपुर श्री सिद्वार्थ महाजन न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। वे न्यायालय के आदेश की भावना के

अनुरुप हिंगौनिया गौशाला के चारों तरफ स्थित गोचर भूमि तथा शेष 172 बीघा भूमि के बारे में न्यायालय को आगामी तारीख को अवगत करा देंगे। उन्होनें कथन किया कि कानोता का नक्शा फटा हुआ है, जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार से निवेदन किया गया है, वे नक्शे के रीकांस्टीट्यूट होने पर उसकी प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे।

जो 210 बीघा भूमि नगर निगम, जयपुर को हस्तांतरित की गयी है उसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे एवं उसकी प्रति इस न्यायालय के समक्ष आगामी तारीख को प्रस्तुत की जावे।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

श्री गोविन्ददास, अक्षय पात्र फाण्डेशन से उपस्थित हैं। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे आगामी तारीख को इस न्यायालय को अवगत करावें कि हिंगौनिया गौशाला में लगे हुए डाक्टर्स में से कितने डाक्टर्स कार्य कर रहे हैं एवं कौन कार्य नहीं कर रहे हैं एवं उन्हें और कितने डाक्टर्स की आवश्यकता है। इसी अनुरुप न्यायालय द्वारा आगामी तारीख को उचित आदेश पारित किया जावेगा। श्री गोविन्ददास ने कथन किया कि उन्हें माह दिसम्बर, 2016 तक के बिल्स का भुगतान प्राप्त हो चुका है। शेष बिलों के बारे में नगर निगम के सी.ई.ओ. श्री हेमन्त गेरा ने कथन किया कि आगामी तारीख तक उनका भुगतान दे दिया जावेगा।

जेवीवीएनएल की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जय लोढ़ा ने कथन किया कि वे आगामी तारीख तक कानोता में विघुत कनेक्शन करवा देंगे।

पॉलीथीन बेग्स पर प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में जिलाधीश, जयपुर श्री सिद्वार्थ महाजन ने कथन किया कि वे निरन्तर अभियान चलाकर पॉलीथीन बेग्स को जप्त कर रहे हैं एवं इस कार्य को और गति प्रदान कर कार्यवाही की जावेगी। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे इस सम्बन्ध में परिवादपत्रों की सूची उन्हें प्रदान करे ताकि न्यायालय ऐसे मामले के त्वरित निस्तारण के सम्बन्ध में उचित आदेश पारित कर सके।"

दिनांक 23.3.2017 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"इस प्रकरण को पूर्व आदेश दिनांक 2.3.2017 की पालना में आज इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किया गया है।

आज इस न्यायालय के समक्ष श्री पवन अरोड़ा, निदेशक स्थानीय निकाय जयपुर, श्री सुरेशचन्द दिनकर वित्त सचिव राजस्थान सरकार जयपुर, श्री हेमन्त गेरा, सीईओ नगर निगम जयपुर, श्री राजेन्द्र किशन, निदेशक

पशुपालन विभाग, श्री प्रभुदयाल शर्मा, एसडीओ बस्सी, श्री मनोज शर्मा अधिशाषी अभियन्ता नगर निगम जयपुर एवं अध्यक्ष, अक्षयपात्र फाउण्डेशन श्री गोविन्ददास न्यायालय के समक्ष व्यक्तिश: उपस्थित हैं।

निदेशक, गोपालन विभाग श्री राजेन्द्र किशन ने इस न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि गोपालन विभाग तीन वर्ष तक की उम्र के बछड़े व गाय के पानी व आहार के खर्च के लिये एक वित्तीय वर्ष में 90 दिवस तक के लिये क्रमश: 16/- रुपये व 32/- रुपये प्रतिदिन की दर से गौशालाओं को उपलब्ध कराते हैं। हिंगौनिया गौशाला में लगभग 10200 गायें व 2800 बछड़े बताये जाते हैं उनकी राशि लगभग 3.34 करोड़ रुपये वे नगर निगम को उपलब्ध करा देंगे, जिस राशि को गायों के पानी व पशु आहार के लिये खर्च की जा सकेगी।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

उप जिलाधीश, बस्सी श्री प्रभुदयाल शर्मा ने न्यायालय के समक्ष कथन किया कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 4.9.2012 की अनुपालना में भूमि को हिंगौनिया गौशाला के नाम राजस्व रिकार्ड में लाल स्याही से अंकित किया है जो चिरकाल तक हिंगौनिया गौशाला के नाम ही रहेगी जिसका विवरण राजस्व रिकार्ड में अंकित है। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि हिंगौनिया गौशाला के 5 किलोमीटर की परिधी में स्थित भूमि में से कितनी कितनी भूमि गोचर, बंजर व चरागाह है उसके सम्बन्ध में आगामी तारीख से पूर्व अपना शपथपत्र प्रस्तुत करें।

स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक श्री पवन अरोड़ा ने इस न्यायालय के समक्ष यह कथन किया कि विधि अनुसार किसी प्रकार का कोई अनुदान हिंगौनिया गौशाला को दिया जा सकेगा तो वे इस हेतु नगर निगम को अवश्य देंगे।

वित्त सचिव श्री सुरेश दिनकर ने इस न्यायालय के समक्ष कथन किया कि हिंगौनिया गौशाला के लिये अक्षयपात्र फाउण्डेशन व नगर निगम के मध्य हुए अनुबन्ध के तहत जो केपिटल वर्क कराया जाना है उसके लिये अगले वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर बजट प्रावधान कराये जाकर राशि उपलब्ध कराई जावेगी। इस हेतु अक्षयपात्र फाउण्डेशन के अध्यक्ष श्री गोविन्ददास को निर्देश दिया जाता है कि वे अनुबंध के अनुसार जो केपिटल वर्क शेष रह गया है उसे कराकर उसके बिल नगर निगम को प्रस्तुत करें, इस हेतु किसी प्रकार के टेण्डर इत्यादि की आवश्यकता नहीं होगी वे अपने विवेक के अनुसार कार्य करावें। इस हेतु विद्वान महाधिवक्ता श्री एन.एम.लोढ़ा ने भी कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया।

श्री मनोज शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम जयपुर ने कथन किया कि 382 बीघा भूमि में बोरिंग में विघुत कनेक्शन बाकी है। इस हेतु वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र लोढ़ा ने कथन किया कि वे नगर निगम द्वारा इस हेतु आवेदन किये जाने से सात दिन की अवधि में कनेक्शन करा देंगे। श्री मनोज शर्मा ने यह भी कथन किया कि जो ट्यूबवेल बन्द हैं उनके स्थान पर नये ट्यूबवेल अक्षयपात्र फाउण्डेशन के अध्यक्ष श्री गोविन्ददास खुदवा देंगे तथा बिल उन्हें दे देंगे।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

श्री बसन्तसिंह छाबा को निर्देश दिया जाता है कि वे पूर्व में दिये गये आदेश की पालना में दूरभाष शीघ्र चालू करावें।

नगर निगम की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय विद्वान महाधिवक्ता से कथन करती है कि वे आगामी तारीख को इस न्यायालय को अपने सुझाव दें ताकि नगर निगम की वित्तीय कठिनाई को ध्यान में रखते हुए कोई शाश्वत व्यवस्था कराई जा सके। नगर निगम के सीईओ श्री हेमन्त गेरा विद्वान महाधिवक्ता से परामर्श कर इस न्यायालय को इस सम्बन्ध में आगामी तारीख को अवगत करावें।

इस न्यायालय ने त्रुटिवश इस मामले की वस्तुस्थिति की जानकारी के लिये एस.ओ.जी. के अधिकारियों को तलब कर लिया था जबकि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधिकारियों को तलब किया जाना था। आगामी तारीख को श्री आलोक त्रिपाठी, महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें। आज उपस्थित अधिकारीगण भी आगामी तारीख को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिश: उपस्थित रहें।"

दिनांक 4.4.2017 को इस न्यायालय के द्वारा इस मामले में निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"इस प्रकरण को पूर्व आदेश दिनांक 23.3.2017 की पालना में आज इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्व किया गया है।

विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जी.एस.गिल ने यह कथन किया है कि जो राशि गोपालन विभाग को पूर्व आदेश में वर्णित आधार पर देनी थी उसे 20.4.2017 तक हस्तांतरित कर दिया जावेगा।

उप जिलाधीश बस्सी श्री प्रभुदयाल शर्मा इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिश: उपस्थित हैं। उन्होनें विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जी.एस.गिल के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष अपनी पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसे पत्रावली में संलग्न किया जावे। उक्त रिपोर्ट में उनके द्वारा निम्नलिखित अंकन किया गया है:-

1. That this case was listed before the Hon'ble Court on 23.03.2017 and the Hon'ble Court was pleased to issue direction to the S.D.O. Bassi that he should place on record the list of Gochar, Charagah and Banjar land within the 05 K.M Peraphery of the Hingonia.

2. That as per directions of the Hon'ble Court, the list of land related to various villages such as Sindoli, Kanota, Girdharipura, Jeetawala, Bhatesri, Shivrampura, Ramsinghpura, Kanadwas, Budthal, Hingonia, Falyawas, Doodawala, Gokulpura Lasadia, Ramsar Palawala, Lasadia Gurjaran and Ratanpura is being annexed herewith collectively and is marked as Annexure CR/1, by which the Khasra numbers are specifically mentioned.

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

3. That it will be relevant to mention here that the certain lands which is coverted under 90B of the Land Revenue Act is already been mentioned in the summary. Copy of the letter dated 31.3.2017 is being submitted herewith and is marked as **Annxure CR/2.** Since, such land is surrendered by a private party for a specific purpose, so such land cannot be included in the area, to be demarcated as a spare for th purpose of Banjar land.

4. That for ready reference, a Map is prepared from the Google. In the Map, the land shown in blue colour is a Banjar land and land shwon in Pinkish brown colour is a Charagah / Gochar land. The land in regard to which note is given in the Jamabandi for the purpose of Gochar and Charagah land is mentioned in the Map by cross land. Copy of the Map is being annexed herewith and marked as Annexure CR/3.

It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble Court may very graciously be pleased to accept /allow this Compliance Report and be further pleased to decide the matter in the interest of justice.

उक्त रिपोर्ट के आधार पर श्री गिल ने यह अभिकथन किया है कि हिंगौनिया गौशाला के 5 किलोमीटर की परिधी में कुल 2395.08 बीघा भूमि है, जिसमें गोचर, चरागाह व बंजर भूमि है। उक्त भूमि में से ग्राम कानोता में नर्सरी,

मंदिर व ग्रिड है। ग्राम सिन्दोली में बैरवाओं की ढाणी, प्राथमिक शाला, गोपालसिंह का मकान व बाड़ा, धन्ना मीणा का कमरा व बाड़ा है। ग्राम बूडथल में 8 हैक्टेयर में अटल सेवा केन्द्र, शमशान व कच्चे पक्के मकान, पंचायत भवन व बाड़ा है। ग्राम फाल्यावास में चरागाह भूमि में 1 बीघा 15 विस्वा में जे.वी.वी.एन.एल. का ग्रिड, 80 बीघा में सी.आर.पी.एफ. को जयपुर विकास प्राधिकरण ने दे रखी है, सशस्त्र सेना बल को 96 बीघा, जोगियों की ढाणी में 2 बीघा 10 विस्वा, 2 बीघा 1 विस्वा में राजकीय माध्यमिक विघालय है। इसके अलावा भूमि खाली पड़ी हुई है। उप जिलाधीश, बस्सी ने जो विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री गिल के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें अंकित भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि को छोड़कर चिरकाल तक उसी उपयोग की रहेगी।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

श्री गिल ने कथन किया कि वित्त सचिव ने जो इस न्यायालय के समक्ष कथन किया था उसके आधार पर जो अक्षयपात्र फाउण्डेशन केपिटल वर्क करना चाहता है उसका ऐस्टीमेट बनाकर देंगे और राज्य सरकार नगर निगम को राशि हस्तांतरित कर देगी। इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित वित्त सचिव श्री सुरेश दिनकर ने इस न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट किया कि एम.ओ.यू. के तहत जो राज्य सरकार व अक्षयपात्र फाउण्डेशन के मध्य अनुबन्ध हुआ है एवं उसके तहत जो केपिटल वर्क कराना है, उसके लिये नगर निगम प्रस्ताव भेजेगी, तब वे विधि अनुसार प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए प्राथमिकता के आधार पर राशि देंगे। श्री दिनकर ने इस न्यायालय के समक्ष यह भी प्रार्थना की है कि उनकी भविष्य में इस न्यायालय के समक्ष उपस्थिति को तब तक रोक दिया जावे जब तक कि कोई प्रस्ताव उनके समक्ष नहीं आ जावे और उस पर वे कार्यवाही नहीं करे। उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया जाता है। उनके पास प्रस्ताव आने से 15 दिवस की अवधि में वे प्रस्ताव पास कर विधि अनुसार बजट प्रावधान से संबंधित कार्यवाही को पूर्ण करके गोपालन विभाग को हस्तांतरित कर देंगे। उक्त अवधि में वे इसमें असमर्थ रहें तो इस न्यायालय के समक्ष आगामी तारीख को व्यक्तिश: उपस्थित होकर यह कारण बतायेंगे कि वे उक्त अवधि में क्यों नहीं प्रस्ताव पास कर सके।

गोपालन विभाग के निदेशक ने यह कथन किया कि 1 दिसम्बर, 2016 तक गायों व बछड़ों की गिनती के आधार पर राशि हस्तांतरित कर दी थी। संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग श्री जी.आर.बैरवा ने कथन किया कि 2.59 करोड़ रुपये की सूचना गोपालन विभाग से लिखित में आ गयी थी, जो दिनांक 31.3.2017 को रात्रि 9 बजे आयी थी किन्तु प्रक्रिया के कारण यह राशि हस्तांतरित नहीं हो पायी, वे जिलाधीश महोदय से सम्पर्क कर प्रक्रिया को पूर्ण कराकर

बजट मिलने के 15 दिवस बाद इस राशि को नगर निगम को हस्तांतरित कर देंगे।

श्री गिल ने इस न्यायालय को यह विश्वास दिलाया कि नगर निगम को यह राशि प्राप्त होते ही इस राशि का उपयोग हिंगौनिया गौशाला के लिये किया जावेगा, इस राशि को अन्य किसी कार्य में खर्च नहीं किया जावेगा। विघुत कनेक्शन का कार्य भी 382 बीघा भूमि में पूर्ण हो जाना बताया है। दूरभाष संख्या 1962 पर न्यायालय में मोबाईल से सम्पर्क स्थापित किया गया, किन्तु वहां से कोई संतोषजनक व सारभूत जवाब नहीं दिया गया। इस हेतु श्री गिल ने विश्वास दिलाया कि भविष्य में ऐसी पुनरावृति नहीं होगी, इस सम्बन्ध में समुचित विभागीय कार्यवाही की जावेगी एवं एक रजिस्टर मेन्टेन किया जावेगा।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

हमने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक श्री आलोक त्रिपाठी को तलब किया। हम यह उचित समझते हैं कि आज की कार्यवाही को वे रोजनामचे में अंकित करें तथा भविष्य में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक पद को धारित करने वाले अधिकारी चिरकाल तक हिंगौनिया गौशाला में भ्रष्टाचार के बारे में व्यक्तिगत रुप से देख रेख करेंगे तथा हर तीन माह में जो रिपोर्ट उनके समक्ष लायी जावे उसे रोजनामचे में अंकित करेंगे तथा इस न्यायालय द्वारा तलब करने पर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तात्पर्य यह है कि उप जिलाधीश, बस्सी ने अपनी रिपोर्ट में जो भूमि बतायी है उस पर अतिक्रमण सरकारी या गैर सरकारी नहीं हो तथा भूमि का चिरकाल तक वही उपयोग रखा जावे। आगामी तारीख को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग जांच कमेटी की रिपोर्ट

इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

श्री गिल आगामी तारीख को इस न्यायालय के समक्ष यह प्रकट करेंगे कि जिन व्यक्तियों के सम्बन्ध में अभियोजन स्वीकृति नहीं दी गयी है, उसका क्या कारण रहा है।

रजिस्ट्रार (प्रशासन) अथवा न्यायालय के अन्य संबंधित अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि हिंगौनिया गौशाला से संबंधित इस प्रकरण में जिन अधिकारियों को तलब किया जावे उनके पास बनाने हेतु अतिरिक्त महाधिवक्ता के माध्यम से पास बनाने का आवेदन करे तो उनके पास तुरन्त बनाये जावें।"

प्रकरण को दिनांक 26.4.2017 को सूचीबद्व किये जाने का आदेश दिया गया। दिनांक 26.4.2017 को प्रकरण में आगामी तारीख नियत की गयी।

इस प्रकार विभिन्न तारीखों को अनेक निर्देश दिये गये, जो उपरोक्त वर्णित है। यह सही है कि राज्य सरकार ने इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में हिंगौनिया गौशाला में अनेक कार्य सम्पादित किये हैं, इसी कारण गौशाला की भूमि वापिस प्राप्त हो सकी। गायों की चिकित्सा की गयी, बाड़े बनाये गये, पानी व बिजली की व्यवस्था की गयी। किन्तु गायों की संख्या में भी दिनों दिन अभिवृद्वि हो रही है, इसलिये इसे ध्यान में रखते हुए अभी और बाडों की आवश्यकता है।

Rajasthan High Court Web Copy Not Official सत्यमेव जयते

दिनांक 8.5.2017 को ही अक्षयपात्र फाउण्डेशन के अध्यक्ष श्री आर.गोविन्ददास ने इस न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो निम्न प्रकार है:-

> The Hingonia Cattle Rehabilitation Center established in the year 2004 by Jaipur Municipal Corporation (JMC) for the purpose of rehabilitation of stray cattle in the range of JMC. Initially started with one bada for few cattle and now this has become a shelter house for more than 13400 cattle. The management of the center was handed over to Hare Krishna Movement (HKM) Jaipur an affiliated organization of The Akshaya Patra Foundation from 1st October 2016 onwards for the improved care of cattle and for better management of the Center, as per the agreement signed between JMC and HKM on 28th Sept 2016. During the agreement process there were about 8000 cattle as per records in the center and when the physical counting of cattle happened on 28th Jan 2017 as per the order of the Hon'ble High Court under the supervision of Representatives from Hon'ble High Court, Nagar Nigam Jaipur, Animal husbandry department and Hare krishna Movement Jaipur 11557 cattle were found and the

numbers are increasing everyday as the new stray cattle are brought to the Center on regular basis. Presently there are about 13400 cattle and the present infrastructure for housing the cattle is only for 9000 cattle hence additional badas need to be constructed. As per the clause 26 of the agreement between JMC and HKM, the Government of Rajasthan is responsible to financially support the construction of those *Badas* as per the requirement according to ICAR norms hence the following order is passed to approve the financial proposal to construct badas and other basic requirements in the North land towards Kanota also called as 382 Bigha Land (Nandi Shala - As shown in the drawing).

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

The land which is on northern side of the present Hingonia Cattle Rehabilitation Center towards Kanota and which is located after the railway line needs to be developed in order to make it usable for cattle accommodation. Since the land is not protected fully there is an immediate requirement to construct boundary wall. Total length of boundary wall is 6290 Mtr and an about 2000 Mtr of boundary wall is already constructed and the remaining of 4290 Mtr of boundary wall needs to be constructed. The section of compound wall and financial estimate of the construction is as mentioned below.

1.The land which is on northern side of the present Hingonia Cattle Rehabilitation Center towards Kanota and which is located after the railway line needs to be developed in order to make it usable for cattle accommodation. Since the land is not protected fully there is an immediate requirement to construct boundary wall. Total length of boundary wall is 6290 Mtr and an about 2000 Mtr of boundary wall is already constructed and the remaining of 4290 Mtr of boundary wall needs to be constructed. The section of compound wall and financial estimate of the construction is as mentioned below.

Item	Quantity	Unit	Rate	Amount

Boundary wall construction	4290	Mtr	8321.05	3,56,97,304.5

2.Hingonia Cattle Rehabilitation Center which was established in the year 2004 for the rehabilitation of stray cattle of Jaipur city and being managed by Hare Krishna Movement, Jaipur from 1st October 2016 onwards is seeing a continues increase of cattle number every month and the present shed space available is not sufficient and additional badas needs to be constructed as per the below table.

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

No of cattle as on 23rd April 2017	**Shed space available in Sqm**	**No of cattle which can be accommodated in present shed space**
13324	34529.84	9000 approx

As per the above table there is an immediate requirement of sheds for 6840 (4372 currently present extra cattle and an additional 2500 cattle keeping continues inflow of cattle into the center). Hence few more badas needs to constructed as per the below table.

Description	**Length (m)**	**Width (m)**	**Quantity**	**Unit**	**Rate(Rs)**	**Amount (Rs)**
Cattle Sheds	42.50	20.00	57.00	Nos	48,02,181.00	27,37,24,317.00

3.Presently the complete land is undeveloped and contains uneven earth surface which needs to be leveled and internal connecting road has to be constructed for the movement of vehicles and cattle as per the below estimate.

Description	**Length (m)**	**Width (m)**	**Thickness (m)**	**Quantity**	**Unit**	**Rate**	**Amount (Rs)**
Proposed Road							
Providing & Laying WBM (5" thick) on 5.5 m wide road	**8500.27**	**5.50**	**0.125**	**5843.94**	**Cum**	**1100.00**	**70,71,161.90**
Providing & Laying 1 " thick Bitumin road on proposed 5.5 m wide road	**8500.27**	**5.50**		**46751.49**	**Sqm**	**125.00**	**64,28,329.19**

4.Once the badas are constructed and before the cattle are moved into them fodder and cattle feed go downs need to be constructed for storage.

Description	**Length (m)**	**Width (m)**	**Quantity**	**Unit**	**Rate**	**Amount (Rs)**
Fodder Store & Cattle feed stores	42.50	20.00	5.00	Nos	48,02,181.00	2,40,10,905

5.The other important and very essential requirements like water tanks, electrical connection, light, etc. are to be completed as per

the requirement(either through JDA or JNN)

6.All the rates mentioned above are excluding all kind of taxes and cess. Taxes and cess of any kind will be extra as applicable.

The summary of the proposal is as mentioned below.

Immediate Requirement

Sl No	Item	Quantity	Unit	Amount
1	Boundary wall construction	4290	Mtr	3,56,97,304.5
2	Providing & Laying WBM (5" thick) on 5.5 m wide road	5843.94	Cum	70,71,161.9
	Providing & Laying 1 " thick Bitumin road on proposed 5.5 m wide road	46751.49	Sqm	64,28,329.19
3	Sheds	57	Nos	27,37,24,318.2
4	Fodder and Cattle feed storage	5	Nos	2,40,10,905
5	Electical, Water and Drainage fecilities	as per requirement		
		Total Amount		**34,69,32,017.6**

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Future Requirement

Sl No	Item	Quantity	Unit	Amount
1	Sheds	20	nos	9,60,43,620
2	Fodder and Cattle feed storage	2	nos	96,04,362
3	Biogas Plant	as per requirement		
4	Rain water harvesting	as per requirement		
5	ETP/STP	as per requirement		
		Total Amount		**10,56,47,982**

इस प्रकरण को दिनांक 8.5.2017 को सूचीबद्व किया गया। उस दिन विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जी.एस.गिल को निर्देश दिया गया कि इस मामले में कल दिनांक 9.5.2017 को प्रात: 9.30 पर जिलाधीश जयपुर श्री सिद्वार्थ महाजन, सीईओ नगर निगम श्री रवि जैन, आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण श्री वैभव गालरिया, पशुपालन विभाग के निदेशक श्री अजय गुप्ता, प्रमुख वित्त सचिव, चीफ कंजरवेटर आफ फोरेस्ट, गोपालन विभाग के निदेशक एवं सचिव स्थानीय निकाय विभाग को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखें। आज अक्षयपात्र फाउण्डेशन की ओर से उपस्थित श्री आर.गोविन्ददास अध्यक्ष एवं श्री अनन्त दास उपाध्यक्ष भी कल इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें।

दिनांक 9.5.2017 को न्यायालय के समक्ष श्री सज्जनराज सुराना कोर्ट कमिश्नर ने कथन किया है कि प्राकृतिक संसाधनों का समुचित रुप से दोहन नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से हिंगौनिया गौशाला में विकट स्थिति उत्पन्न हो गयी है। उन्होनें यह भी कथन किया कि वहां पर कृषि हेतु कोई उचित ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिसके अभाव में गायों के लिये हरा चारा नहीं उगाया जा रहा है और परिणामस्वरुप गायें मर रही है। उनका यह भी कथन है कि 36 कुओं को अनुपयोगी बना दिया था। उनका यह भी कथन है कि पूर्व सचिव श्री मैथ्यू द्वारा न्यायालय को यह आश्वस्त किया गया था कि वे हिंगौनिया गौशाला हेतु 50 करोड़ रुपये देंगे। लेकिन उसमें से मात्र 10 करोड़ रुपये ही दिये गये हैं तथा 16 करोड़ रुपये निगम में भेज दिये गये हैं किन्तु उनके द्वारा इस राशि का इस मद में उपयोग नहीं किया जाकर दूसरे मदों में उपयोग किया गया है। उनका यह भी कथन है कि 382 बीघा भूमि में सेंचुरी स्थापित की गयी थी, जहां कि बाउण्ड्री वॉल व डाक्टर्स के क्वार्टर्स का निर्माण किया गया था। लेकिन उसका भी समुचित उपयोग नहीं किया गया है। उनका यह भी कथन है कि मई, जून के माह में भीषण गर्मी पड़ती है। यदि सेंचुरी का सही उपयोग किया जाता तो गायों को भीषण गर्मी से बचाया जा सकता था। उनका यह भी कथन है कि रामसिंहपुरा में दो कुए हैं, जिनका भी समुचित उपयोग नहीं किया गया है। वहां पर विघुत कनेक्शन नहीं लिया गया है। उनका यह भी कथन है कि वर्ष 2011 में गायों की संख्या 2700 थी तथा मृत्यु दर प्रतिदिन 30 थी, जो कि घटकर बाद में 7 रह गयी थी। उनका यह भी कथन है कि वर्तमान में हिंगौनिया गौशाला में 13,000 गायें हैं किन्तु उनके चारे पानी की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। उनका यह भी कथन है कि 20,000 पेड़/पौधे नष्ट हो गये हैं, जिनमें से 3000 फलदार पेड़/पौधे भी नष्ट हो गये हैं। उनका यह भी कथन है कि आवारा पशुओं के लिये प्रावधान बनाये जाने चाहिये, ताकि वे सड़क पर विचरण नहीं करें एवं शहर के सौन्दर्य में निखार आ सके। उनका यह भी कथन है कि हिंगौनिया गौशाला में गोबर गैस प्लान्ट स्थापित किया गया है किन्तु वह भी क्रियाशील नहीं है। यदि गोबर गैस प्लान्ट चालू किया जाता है तो इससे विघुत बिल में कटौती हो सकती है। उनका यह भी कथन है कि कृषि कार्य हेतु कोई

Rajasthan High Court Web Copy Not Official सत्यमेव जयते

ट्रेक्टर हिंगौनिया गौशाला में नहीं लगाया गया है और 1100 बीघा भूमि में घास नहीं उगायी गयी है। गायों का वेक्सीनेशन व बैलों का बंध्याकरण नहीं किया गया है। आवारा कुत्ते मरी हुई गायों को नोच नोचकर खा रहे हैं एवं आवारा पशु हिंगौनिया गौशाला में विचरण करते रहते हैं।

Rajasthan High Court Web Copy Not Official सत्यमेव जयते

विद्वान अधिवक्ता श्री विजयसिंह पूनिया का कथन है कि जो 382 भूमि सरकारी भूमि है, पर फोन की समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं है। विद्वान अधिवक्ता श्री पी.सी.भण्डारी का कथन है कि सम्बन्धित विभाग को निर्देश दिया जावे कि नियत समय पर भुगतान किया जावे, जिससे कि चारा एवं अन्य सुविधाऐं में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। श्री भण्डारी का यह भी कथन है कि 382 बीघा भूमि में गायों व बछड़ों की दिनों दिन वृद्वि को दृष्टिगत रखते हुए और बाड़े बनाये जावें तथा वहां से अतिक्रमण हटाये जावें। श्री भण्डारी का यह भी कथन है कि अभी तक अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, ना ही जयपुर विकास प्राधिकरण को भूमि अन्तरित की गयी है। उनका यह भी कथन है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग तुरन्त प्रभाव से रोका जावे जिससे कि गायों की मृत्यु दर में कमी आ सके तथा गायों को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

दूसरी ओर विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री जी.एस.गिल का कथन है कि 15 मई, 2017 तक वे माह मार्च, 2017 तक का भुगतान करवा देंगे तथा शीघ्र ही अप्रैल, 2017 का भुगतान भी करवा देंगे।

यहां यह उल्लेखनीय है कि गाय एक ऐसा पशु है, जिसे भगवान श्रीकृष्ण ने गोपाष्टमी के दिन इस धरती पर प्रकट किया है। ऐसी मान्यता है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। इसलिये यह कहा गया है कि "गावो विश्वस्य मातर:" अर्थात गाय विश्व की माता है। जिस प्रकार तीर्थो में तीर्थराज प्रयाग हैं, उसी प्रकार देवी-देवताओं में अग्रणी गोमाता को बताया गया है। समुद्र मंथन में लक्ष्मीजी के साथ सुरभि (गाय) भी प्रकट हुई थी। गाय माता एकमात्र

ऐसी प्राणी है, जो ऑक्सीजन ग्रहण करती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है।

गाय स्वयं में एक औषधालय है। गाय के दूध एवं घी अमृत तुल्य हैं। गौमूत्र के भी निम्न लाभ हैं:-

Rajasthan High Court Web Copy Not Official सत्यमेव जयते

1.गौमूत्र में किसी भी प्रकार के कीटाणु नष्ट करने की चमत्कारी शक्ति है। सभी कीटाणुजन्य व्याधियां नष्ट होती है।
2.गौमूत्र त्रिदोष को सामान्य बनाता है अतएव रोग नष्ट हो जाते हैं।
3.गौमूत्र शरीर में लीवर को सही रख स्वच्छ खून बनाकर किसी भी रोग का विरोध करने की शक्ति प्रदान करता है।
4.गौमूत्र में सभी तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के आरोग्यदायक तत्वों की कमी की पूर्ति करते हैं।
5.गौमूत्र में कई खनिज खासकर ताम्र होता है जिसकी पूर्ति से शरीर के खनिज तत्व पूर्ण हो जाते हैं।
6.गौमूत्र मस्तिष्क और हृदय को शक्ति प्रदान करता है।
7.गौमूत्र रसायन है, यह बुढ़ापा रोकता है, व्याधियों को नष्ट करता है।
9.आहार में जो पोषक तत्व कम प्राप्त होते हैं उनकी पूर्ति गौमूत्र में विघमान तत्वों से होकर स्वास्थ्य लाभ होता है।
10.गौमूत्र सात्विक बुद्वि प्रदान करता है।
11.गौमूत्र में गंगा ने निवास किया है, गंगा पापनाशिनी है, अतएव गौमूत्र पान से पूर्व जन्म के पाप क्षय होकर इस प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं।

गाय के घी के भी अनेक लाभ हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार है:-

1.गाय का दूध और घी नवजात बच्चे के लिये अनुकूल होता है। स्तनपान कराने वाली मां को भी इसका सेवन करने की सलाह दी जाती है। यह मां के दूध को पौष्टिक गुणों से भर देता है।
2.गाय का घी नैत्र विकारों में भी लाभदायक है। आयुर्वेद में गाय के घी को नैत्र शक्ति बढ़ाने वाला बताया गया है।

3.देशी गाय का घी गठिया रोग में भी उपयोगी है।

4.गाय का घी मुंह के अल्सर को ठीक कर जलन में राहत प्रदान करता है।

5.गाय के घी को बाहरी घाव के ईलाज के लिये भी प्रयोग किया जाता है।

6.गाय का घी दिमाग और शांत मन के लिये भी लाभदायक है।

7.गाय का घी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

पंचगव्य का निर्माण गाय के दूध, दही, घी, मूत्र एवं गोबर के द्वारा किया जाता है। पंचगव्य के द्वारा शरीर के रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर किया जाता है।

विज्ञान की दृष्टि में भी गौवंश का अत्यधिक महत्व है। कृषि वैज्ञानिक डा.जूलियस एवं डा.बुक जर्मन ने कहा है कि विश्व में केवल गौवंश ही ऐसा दिव्य जीव है जो अपनी निश्वास में ऑक्सीजन छोड़ता है। जर्मन वैज्ञानिक रुडल स्टेनर के अनुसार गाय अपने सींग के माध्यम से कॉस्मिक शक्ति ग्रहण करती है। रुस के प्रसिद्व वैज्ञानिक शिरोवीच के अनुसार जिन घरों में गोमाता के गोबर से लिपाई पुताई होती है वे घर रेडियो विकिरण से सुरक्षित रहते हैं। मद्रास के प्रसिद्व वैज्ञानिक डा. किंग के अनुसार गोमाता के गोबर में हैजे के कीटाणुओं को समाप्त करने की अद्भुत क्षमता होती है। सेन्टर फार इण्डियन नोलेज सिस्टम की डा.विजयलक्ष्मी के अनुसार गोबर की खाद की जगह रासायनिक खाद का उपयोग करने के कारण महिलाओं का दूध दिन प्रतिदिन विषैला होता जा रहा है। मुम्बई के डा.कान्ति सेन सर्राफ के अनुसार शहरों से निकलने वाले कचरे पर गोबर के घोले को डालने से दुर्गन्ध पैदा नहीं होती है व कचरा खाद के रुप में परिवर्तित हो जाता है। ब्रिटेन के डा. काफोड हैमिल्टन के अनुसार गोमूत्र के उपयोग से हृदय रोग दूर होता है तथा पेशाब खुलकर होता है। कुछ दिन तक गोमूत्र सेवन से धमनियों में रक्त का दबाव स्वाभाविक होने लगता है, गोमूत्र सेवन से भूख बढ़ती है, यह पुराने चर्म रोग की उत्तम औषधि है। ब्रिटेन के डा.सिमर्स के अनुसार गोमूत्र रक्त में बहने वाले दूषित

कीटाणुओं का नाश करता है। कारनेल विश्वविघालय के प्रो.रानाल्ड गो रायटे के अनुसार गो दूध में विघमान सेरिब्रासाइस मस्तिष्क और स्मरण शक्ति के विकास में सहायक होती है। साथ ही एम.डी.जी.आई. प्रोटीन के कारण रक्त कणिकाओं में केंसर प्रवेश नहीं कर सकता है। डा.अनाम के अनुसार समस्त दुधारु प्राणियों में गाय ही एक ऐसा प्राणी है जिसकी बड़ी आंत 180 फीट लम्बी होती है। इसकी विशेषता यह है कि वह जो चारा ग्रहण करती है उससे दूध में केरोटीन नामक पदार्थ बनता है यह मानव शरीर में पहुंचकर विटामिन ए तैयार करता है जो नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक है।

Rajasthan High Court Web Copy Not Official
सत्यमेव जयते

गाय का पर्यावरण की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्व है। रुस के वैज्ञानिक शिरोविच के अनुसार गाय के रम्भाने से वातावरण के कीटाणु नष्ट होते हैं। सात्विक तरंगों का संचार होता है। एक तोला (10 ग्राम) गाय के घी से यज्ञ करने पर एक टन ऑक्सीजन बनती है। गंदगी व माहमारी फैलने पर गोबर, गोमूत्र का छिड़काव करने से लाभ होता है। गाय के प्रश्वास, गोबर, गोमूत्र की गंध से वातावरण शुद्व एवं पवित्र होता है। विश्वव्यापी आणविक एवं अणु रज के घातक दुष्परिणाम से बचने के लिए रुस के प्रसिद्व वैज्ञानिक शिरोविच ने निम्न सुझाव दिये हैं:-

1.प्रत्येक व्यक्ति को गाय का दूध, दही, छाछ, घी आदि का सेवन करना चाहिए।
2.घरों की छत, दीवार व आंगन को गोबर से लीपने पोतने चाहिए।
3.खेतों में गाय के गोबर का खाद प्रयोग करना चाहिए।
4.वायुमण्डल को घातक विकिरण से बचाने के लिए गाय के शुद्व घी से हवन करना चाहिए।

गाय के गोबर से प्रतिवर्ष 4500 लीटर बायोगैस मिल सकती है। अगर देश के समस्त गोवंश के गोबर का बायोगैस संयंत्र में उपयोग किया जाय तो वर्तमान में ईंधन के रुप में जलाई जा रही 6 करोड़ 80 लाख टन लकड़ी की बचत की जा सकती है। इससे लगभग 14 करोड़ वृक्ष कटने से बच सकते हैं।

अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी गाय का अत्यधिक महत्व है। सबसे अधिक लाभप्रद, उत्पादन एवं मौलिक व्यवसाय है "गोपालन"। यदि एक गाय के दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र का पूरा पूरा उपयोग व्यावसायिक तरीके से किया जाए तो उससे प्राप्त आय से एक परिवार का पालन आसानी से हो सकता है। यदि गोवंश आधारित कृषि को भी व्यवसाय का माध्यम बना लिए जाए तब तो दूसरों को भी रोजगार दिया जा सकता है। गोमूत्र से औषधियां एवं कीट नियंत्रक बनाया जा सकता है। गोबर से गैस उत्पादन हो तो रसोई में ईंधन का खर्च बचाने के साथ साथ खाद का भी लाभ लिया जा सकता है। गोबर से काला दंत मंजन भी बनाया जा सकता है।

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

कृषिशास्त्र की दृष्टि से भी गाय का अत्यधिक महत्व है। गोवंश के बिना कृषि असंभव है। यदि आज के तथाकथित वैज्ञानिक युग में ट्रेक्टर, रासायनिक खाद, कीटनाशक आदि के द्वारा बिना गोवंश के कृषि किया भी जा रहा है तो उसके भयंकर दुष्परिणाम से आज कोई अनजान नहीं है। यदि कृषि को, जमीन को, अनाज आदि को बर्बाद होने से बचाना है तो गोवंश आधारित कृषि अर्थात प्राकृतिक कृषि को पुन: अपनाना अनिवार्य है।

वेदों में गो माहात्म्य का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में कहा है - "घृतं दुहानामदितिं जनायाग्ने मा हिंसी:" अर्थात सदा ही रक्षा के पात्र गाय और बैल को मत मारो। "विमुच्यध्वमध्न्या देवयाना अगन्म" अर्थात अध्न्या गाय और बैल तुम्हें समृद्वि प्रदान करते हैं। "अन्तकाय गोघातं" अर्थात गो हत्यारे का संहार किया जाये। इसी प्रकार ऋग्वेद में कहा है - "आरे गोहा नृहा वधो वो अस्तु" अर्थात ऋग्वेद गोहत्या को जघन्य अपराध घोषित करते हुए मनुष्य हत्या के तुल्य मानता है और ऐसा महापाप करने वाले के लिये दण्ड का विधान करता है। "अध्न्येयं सा वर्द्वतां महते सौभयाग" अर्थात अध्न्या गो (जो किसी भी अवस्था में नहीं मारने योग्य है) हमारे लिए आरोग्य एवं सौभाग्य लाती है। "मा गामनागामदितिं वधिष्ट" अर्थात गाय को मत मारो। गाय निष्पाप और

अदिति अखंडनीया है। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है - भगवान् श्रीकृष्ण ने ब्रजमण्डल में गोचारण नंगे पैर किया। गायें चराने का कार्य गोपाष्टमी से प्रारंभ किया था। महाभारत में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति सवेरे शयन से उठकर भंक्तिपूर्वक गाय की परिक्रम करता है, उसके द्वारा समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है इसमें कोई संशय नहीं है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि गो सर्वदेवमयी है।

Rajasthan High Court Web Copy Not Official
सत्यमेव जयते

ज्योतिष एवं धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि गोधूलि वेला विवाहादि मंगल कार्यो के लिए सर्वोत्तम मुहुर्त है। जब गायें जंगल से चरकर वापस घर को आती है, उस समय को गोधूलि वेला कहा जाता है। गाय के खुरों से उठने वाली धूल राशि समस्त पाप-तापों को दूर करने वाली है। शिवपुराण एवं स्कंदपुराण में कहा गया है कि गोसेवा और गोदान से यम का भय नहीं रहता। वास्तु ग्रंथ "मयमतम" में कहा गया है कि भवन निर्माण का शुभारंभ करने से पूर्व उस भूमि पर ऐसी गाय को लाकर बांधना चाहिए, जो सवत्सा (बछड़े वाली) हो। नवजात बछड़े को जब गाय दुलारकर चाटती है तो उसका फेन भूमि पर गिरकर उसे पवित्र बनाता है और वहां होने वाले समस्त दोषों का निवारण हो जाता है।

श्री शुकदेव गोस्वामी महाराज ने परीक्षित को उपदेश दिया है कि सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करने से, त्रेतायुग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान् के चरण कमलों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है वही कलियुग में केवल हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र का कीर्तन करने से प्राप्त किया जा सकता है क्यूंकि यह वेदांक्त मंत्र है।

किन्तु यह भी सही है कि इस न्यायालय द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों की अक्षरश: पालना नहीं की गयी है।

माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने मोहम्मद सलीम बनाम स्टेट आफ उत्तराखण्ड व अन्य रिट याचिका (पी.आई.एल.) संख्या 126/2014 के मामले में पारित निर्णय दिनांक 20 मार्च, 2017 के द्वारा

आमजन की आस्था की प्रतीक नदियों गंगा व यमुना को विधिक व्यक्ति मानते हुए उनके संरक्षण के लिये उचित दिशा निर्देश जारी किये हैं। उपरोक्त निर्णय के सम्बंधित पैरा इस प्रकार है -

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

All the Hindus have deep Astha in rivers Ganga and Yamuna and they collectively connect with these rivers. Rivers Ganga and Yamuna are central to the existence of half of Indian population and their health and well being. The rivers have provided both physical and spiritual sustenance to all of us from time immemorial. Rivers Ganga and Yamuna have spiritual and physical sustenance. They support and assist both the life and natural resources and health and well-being of the entire community. Rivers Ganga and Yamuna are breathing, living and sustaining the communities from mountains to sea. 18. The constitution of Ganga Management Board is necessary for the purpose of irrigation, rural and urban water supply, hydro power generation, navigation, industries. There is utmost expediency to give legal status as a living person/legal entity to Rivers Ganga and Yamuna r/w Articles 48-A and 51A(g) of the Constitution of India. 19. Accordingly, while exercising the parens patrie jurisdiction, the Rivers Ganga and Yamuna, all their tributaries, streams, every natural water flowing with flow continuously or intermittently of these rivers, are declared as juristic/legal persons/living entities having the status of a legal person with all corresponding rights, duties and liabilities of a living person in order to preserve and conserve river Ganga and Yamuna. The Director NAMAMI Gange, the Chief Secretary of the State of Uttarakhand and the Advocate General of the State of 12 Uttarakhand are hereby declared persons in loco parentis as the human face to protect, conserve and preserve Rivers Ganga and Yamuna and their tributaries. These Officers are bound to uphold the status of Rivers Ganges and Yamuna and also to promote the health and well being of these rivers. 20. The Advocate General shall represent at all legal proceedings to protect the interest of Rivers Ganges and Yamuna.

It is relevant to mention here the relevant provisions of the constitution of India which read as under -

48A. Protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wild life The State shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wild life of the country.

51A (g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

यह भी उल्लेखनीय है कि नेपाल, जो कि एक हिन्दूवादी राष्ट्र है, में नये संविधान जिसे दिनांक 20 सितम्बर, 2015 को लागू किया गया है, के द्वारा आस्था के प्रतीक एवं पवित्र पशु गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है।

अक्षय पात्र एक ऐसी संस्था है जो निर्लिप्त ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने वाले व धर्म को जाग्रत करने वाले व उच्च श्रेणी व उच्च शिक्षित से सम्बंधित लोगों द्वारा बनायी गयी है, जो नि:सहाय की सहायता करते हैं एवं भगवान की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती आदेश द्वारा हिंगौनिया गौशाला की व्यवस्था संभालने हेतु हिंगौनिया गौशाला को अक्षय पात्र को सुपुर्द किया था। यह सही है कि अक्षयपात्र फाउण्डेशन को हिंगौनिया गोशाला का प्रबंधन दिये जाने के उपरान्त हिंगौनिया गोशाला का चहुंमुखी विकास हुआ है।

अक्षयपात्र फाउण्डेशन ने उपरोक्त वर्णित रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होनें कथन किया है कि वर्तमान में गायों की रक्षा हेतु तुरन्त प्रभाव से 4290 मीटर की नयी बाउण्डरी बॉल का निर्माण कराया जाये, डब्ल्यूबी एम रोड डाली जाये, 57 नये शेड बनवाये जायें, 5 नये चारा एवं बाटा संग्रहण हेतु भण्डार ग्रह बनवाये जायें और बिजली पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था की जाये। साथ ही भविष्य में गायों की वृद्धि को देखते हुए 20 नये शेड का निर्माण करवाया जावे, 2 नये चारा एवं बाटा संग्रहण हेतु भण्डार ग्रह बनवाये जायें और बायो गैस प्लांट की व्यवस्था की जावे।

चूंकि इस प्रकरण को पक्षकारान की आपसी सहमति के आधार पर दिनांक 16.3.2012 को निस्तारित कर दिया गया था। उसके पश्चात से यह प्रकरण अनुपालना में चल रहा है। इस न्यायालय द्वारा समय समय पर उपयुक्त निर्देश पारित किये गये किन्तु फिर भी जून, जुलाई, 2016 में हुई अतिवृष्टि के कारण गायों की अत्यधिक मृत्यु हुई। वर्तमान में प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से गायों की दुर्दशा को दर्शाया जा रहा है। इतना ही नहीं भारतवर्ष के लोकप्रिय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस हेतु एक कमेटी भी बनायी है और वे यह जानना चाहते हैं कि आखिर गायों की दुर्दशा का कारण क्या रहा। गत वर्ष हुई अतिवृष्टि के कारण अनेक गायें बह गयी, हिंगौनिया गौशाला बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी। इस पर न्यायालय ने जिलाधीश जयपुर, तत्कालीन सीईओ नगर निगम जयपुर व संबंधित विभागों के अधिकारियों को बुलाकर जानना चाहा और उन्हें आदेशित किया कि वे गौशाला की समस्त वीडियो रिकार्डिंग पेश करे। न्यायालय ने प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से हिंगौनिया गौशाला की उस समय की स्थिति जानी तथा जिलाधीश जयपुर व सीईओ नगर निगम जयपुर द्वारा पेश की गयी वीडियो रिकार्डिंग देखी। जो रिकार्ड पर उपलब्ध है। तत्समय न्यायालय गायों की दुर्दशा को देखकर विचलित हो गया। हिंगौनिया गौशाला में सुधार हेतु राज्य सरकार भी आगे आयी और एक अनुबन्ध नगर निगम एवं हरेकृष्णा मूवमेन्ट जयपुर चेरिटेबल ट्रस्ट के मध्य दिनांक 28.9.2016 को निष्पादित हुआ, जो निम्न प्रकार है:-

Rajasthan High Court Web Copy Not Official सत्यमेव जयते

Agreement

This agreement is entered on the 28th day of september 2016 between the following :-

1. Municipal Corporation Jaipur through Sri. Hemant, Gera, IAS, Municipal Commissioner, JMC and Sri. Nirmal Nahata, Mayor Municipal Corporation (Party of First Part),

And

2. Hare Krishna Movement, Jaipur is a charitable

Trust having its principle place of operations at C-6, Akshaya Patra Campus, Mahal Scheme, Jagatpura, Jaipur through its Trustee and President RAGHUNATH PAWAR aka Ratangada Govinda Dasa (Party of Second part)

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

AND WHEREAS the party of second part which is associated with group of charitable Organizations working for the upliftment of society has represented to take over the management of Hingonia Cattle Rehabilitation Centre before party of first part and party of first part after approval of Government of Rajasthan has accepted this offer and agreed to handover the management of Hingonia Cattle Rehabilitation Centre with effect from 1st October 2016.

- On arrival of stray cattles to the rehabilitation center, a qualified veterinary doctor from the Animal Husbandry department will examine them. Sick cows will be sent to hospital and other cattles will be sent to the Badas.
- In the case of a request from the cattles owner to reclaim his cattles, a proper record of the reclaimed cattles will be maintained and penalty amount will be collected from the owner. The same amount shall be deposited to the Municipal Corporation Jaipur on monthly basis.
- The party of the second part will take care of the feeding of cattles even in the Hospital.
- On complete recovery of the Cattle from the sickness, Animal Husbandry department will discharge the cattles from the hospital with fitness certificate and thereafter those cattles will be housed in the regular Badas.
- Regular cleaning and maintenance of Badas.
- Producing and marketing of dairy products.
- Setting up of modern production and research center for cattles urine, cattles dung and allied products, etc.
- Setting up of bio-gas/ bio-CNG projects.
- Farm cultivation for growing green grass, shade giving trees, different varieties of plantations, creating pasturing grounds, etc.
- To develop a center for breeding traditional

breed of cows. Party of second part shall also develop, protect and preserve rare breeds of cows from all over India.

- Rural development programs that will support and benefit rural population.
- Skill development program for young people.
- Setting up of Education and Skill development center for underprivileged children.
- Use and Setting up of Residential facilities for essential staff and volunteers.
- Setting up of Prayer hall and Meditation hall and lecture and seminar halls to promote and propagate vedic traditions related to cows.
- Will develop rural and cow centered tourism infrastructure to demonstrate and teach the importance of cow protection and simple agrarian way of life in AND FURTHER WHEREAS both the parties to this Agreement have agreed to the terms & conditions of handing over of management of Hingonia Cattle Rehabilitation Center which have been approved by State Government.

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

HENCE THIS AGREEMENT WITNESSTH AS U NDER:

1. That this AGREEMENT shall be effective w.e.f. 1st October 2016 and will be in force for a period of 19 years 6 months from the date of this Agr eement. As soon as new agreement as per point no. 4 is signed this agreement will cease to exist.
2. The First 6 months will be a trial period in which both the parties will work out the smooth transition of powers and responsibilities.
3. Within those 6 months, the party of the Second part shall register a Trust having 15 trustees out of which nine (9) will be missionary trustees and four (4) will be independent trustees among the distinguished citizens and two (2) will be from the Government of Rajasthan as follows ;

- Addl. Commissioner, Jaipur Municipal Corpora tion
- Dy Director, Animal Husbandry Department

4. There after a fresh agreement will be signed between the newly formed trust and Municipal Corporation Jaipur for the period of 19 years on the mutually agreed similar terms and

conditions.

5. Process for signing of fresh agreement will start before end of 6th month to complete it by the end of 6th month.
6. Both parties will formulate performance indicators within three month, which will be part of final agreement to be signed as per serial no 4.
7. That party of second part shall be responsible for the following activities :

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

- Management of day-to-day requirements of the cattles like procuring and providing dry and green fodder, cattle feed, required minerals, water, etc.
- The present arrangement by the Jaipur Nagar Nigam to pick up stray and accidental cattles from the city and bring them to the rehabilitation center shall continue as it is. Party of second part shall make arrangement to receive the cattles and house them properly in the Badas and maintain record as per Government format and share all records on daily basis. This will also include creating expos depicting scientific research and findings, highlighting the importance of cows.

8. The ownership of the land belonging to Hingonia cattle Rehabilitation Center as available with the present set up shall remain with the Government of Rajasthan as it is now. Party of second part will be given permission to utilize and improve the land for the benefit of the cattles and allied activities.
9. The complete ownership of the livestock shall at all times be with the Government of Rajasthan.
10. The Government of Rajasthan will mark the available land for the use of the rehabilitation center before handing over to the party of the Second part. And if any encroachment of the land is found, the Government of Rajasthan shall work towards clearing such encroachments and handing over the same to the party of the second part.
11. Medical facilities as developed by Animal Husbandry Department which includes a

polyclinic, operation theater and ICU unit will continue to be maintained by the same department of the government. The handling capacity of the medical facility shall suitable be expanded as and when the number of cattles expand by the Animal Husbandry department.

12. All other basic amenities and infrastructure which are already developed viz office building, office equipment, furniture, tractors, JCBs weighing scales, etc. shall be handed over to the party of second part for further utilization, maintenance, improvement and modifications.

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

13. The party of first part i.e. Municipal Corporation Jaipur will provide to party of Second part Rs. 70 per Cattle per day and Rs. 35 per calf per day for fodder, labour and General maintenance of cattle and cattle rehabilitation center through out the year. The price of Rs. 70 per Cattle per day and Rs. 35 per Calf per day is arrived through by order of Government of Rajasthan Relief Department order 3711-41 dated 13.4.2016.

14. The Government of Rajasthan relief department order 3711-41 dated 13.4.2016 has been basis of arriving at the above rates except that it will be paid irrespective of whether Jaipur is declared drought affected or not. The above rates under this agreement will be enhanced as and when Rajasthan relief department increases its rate for the cattles during drought in the state regardless of whether Jaipur is declared as drought affected or not.

15. Party of second part shall raise the claim to the Municipal Corporation Jaipur at the beginning of every month on the basis of number of cattles present during the previous month.

16. Pary of the First Past shall ensure that the eligible amount is released within 7 working days after submission of claims.

17. The complete Electricity and water charges for the same for the cattle Rehabilitation center will be borne by the party of first part i.e. Municipal Corporation Jaipur as on today i.e. Total units of electricity consumed annually, keeping the previous year (Sep. 15 to Aug. 16) cumulative consumption of units as upper limit.

18. That initially for the first 6 months the party of second part will run the operations and assess the cost of both food and non food expenses. If any cost variations are found, same shall be revised and reworked with the Municipal Corporation Jaipur for the future running of the Rehabilitation center.
19. Daily count of cattles will be maintained by the party of second part which will be regularly audited by the party of the First Part.
20. That initially 3 months interest-free advance will be given by party of first part to party of second part for the smooth functioning and also to meet emergencies.
21. This advance amount will always remain with the Party of the second part till the termination the this agreement. It will not be adjusted against the monthly claim from Party of the second part.
22. Regular monthly report will be submitted by the party of second part to the Municipal Corporation Jaipur in a pre-approved format.
23. The party of second part will be given complete freedom with respect to the operations, maintenance and day-to-day activities of the rehabilitation center.
24. That the funds provided by the Jaipur Municipal Corporation for maintenance of the cattles and rehabilitation center shall be used for the prupose for which the grant is given. Proper accounting of all the income and expenditure shall be maintained by the party of second part and presented to the Government authorities on demand. An audited statement of the financials will also be provided to the JMC annually. LSGD, Government of Rajasthan will felicitate the proper running of this center.
25. In case of any savings from the grants given by the party of First part will be used only in the improvement of Rehabilitation Center. The details of its utilization will be provided by the party of Second part.
26. That presently about 8,000 cattles are housed in 23 Badas. In the future if the number of cattles increase in the Rehabilitation center, additional Badas will need to be constructed as per the

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ICAR norms. Government of Rajasthan will financially support the construction of those Badas as per the requirement.

27. The party of second part will be allowed to involve general public and other charitable institutions in the activities of the cattle rehabilitation center including engaging them in volunteer services, raising donations from the public only for the infrastructure development of the rehabilitation center and for promoting, propagating, and expanding the cause of ethical-socio-economic principles of Cow Protection.

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

28. The party of second part will be allowed to process, use and market dairy products, cow urine and cow dung and other allied products produced in the cattle Rehabilitation Center. The proceeds shall be used only for the benefit and improvement of the infrastructure of the rehabilitation center.
29. The party of second part can engage any other agencies or charitable institutions to avail the benefit of their expertise in the respective fields for the benefit of the cattle Rehabilitation Center.
30. The party of second part can avail any kind of grant/ subsidy from the state or central Government or any other agency for this project.
31. Party of second part will be free to employ the staff, labour & any other human resources, which will be efficient and dedicated for this project. The trust shall have no binding to retain any worker, staff, etc to its roll after taking over, however trained worker and efficient staff can continue working with the party of second part.
32. All the contracts signed with different contractors/ agencies viz labour contractor, fodder supplier, JCB and tractor contractor etc for the functioning of the cattle rehabilitation center shall be terminated by the party of the First part and Fresh contracts will be signed by the Party of the Second Part on fresh terms and conditions negotiated between party of the second part and the new contractors with effect from 1st October 2016.
33. The party of second part will be in no way responsible for any previous Liabilities and

Litigation with regard to Hingonia Rehabilitation Center prior to handing over, by any individual, agency, Govt bodies, etc. Any litigations/ court cases/ orders shall be sole responsibility of Government of Rajasthan.

34. Completion of all on going and committed civil works will be responsibility of Party of the First part Jaipur Municipal Corporation.

35. Party of second part will take the responsibility of hygienically disposing the carcasses of cattle rehabilitation center Hingoniya as well as other carcasses received from Municipal Corporation Jaipur authorities by setting up Carcass plant.

36. That Nagar Nigam Jaipur shall share all relevant information, resources and knowledge to the party of second part for successful running of the Cattle rehabilitation center.

37. That proper accounting of the donations so raised shall be maintained by the party of second part. And such donations shall be utilized for the purpose of improving the facilities of the cattle Rehabilitation Center. Separate bank accounts will be maintained to record all the transactions.

38. The party of the second part shall work towards improving the condition of the cattles at Hingonia Cattle rehabilitation center. It will also work towards reducing the mortality rate among the cattle and keep record of all the improvements made.

39. In case if either of the any Party wants to terminate the agreement, 3 months notice should be given and 3 opportunities should be given by either of the party, each time by issuing a show cause notice giving valid reasons and reasonable time for the other party to rectify any lacuna and take corrective actions.

40. In case of any disagreements between the parties, a standard arbitration process will be followed to resolve the matters.

41. In the case of termination of the agreement, all the assets purchased from the Government funds and from the donations raised for this purpose shall remain the assets of the Hingonia cattle Rehabilitation Center. The party of second part cannot claim ownership over those assets. All donations in separate account for rehabilitation

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

center maintained by trust will be handed over to Jaipur Municipal Corporation.

At the end of the period of agreement if the party of second part has performed well and improved the condition of cattle Rehabilitation Center, this agreement shall be renewed for a futher subsequent periods of 19 years.

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

वहां यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त वर्णित अनुबन्ध को दोनों पक्षों की आपसी सहमति से आगामी छः माह के लिये बढ़ा दिया गया है।

उस परिस्थिति में न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना नहीं किये जाने के सम्बन्ध में अवमानना के नोटिस जारी कर सकती थी, किन्तु न्यायालय की भावना है कि परम पवित्र कार्य को परम पवित्र तरीके से किया जाय और गौशाला के चहुंमुखी विकास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई अवरोध उत्पन्न नहीं हो। इस हेतु दिनांक 10.5.2017 को न्यायालय स्वयं नें हिंगौनिया गौशाला की वस्तुस्थिति की जानकारी के लिये मौके पर जाकर निरीक्षण किया। तत्समय जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त श्री वैभव गालरिया, जिलाधीश जयपुर श्री सिद्वार्थ महाजन, सीईओ नगर निगम, वित्त विभाग के अधिकारीगण, पशुपालन विभाग के निदेशक, वन विभाग के अधिकारीगण, इस प्रकरण से संबंधित समस्त विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्तागण एवं अधिवक्तागण मौके पर उपस्थित हुए। वहां उपस्थित सभी ने यह माना कि अक्षयपात्र फाउण्डेशन द्वारा हिंगौनिया गौशाला का प्रबन्धन संभालने के बाद गायों की स्थिति सुदृढ़ हुई है, वे स्वस्थ हुई हैं एवं उनकी मृत्युदर में कमी आयी है, जो यह प्रदर्शित करता है कि गायें प्राकृतिक आपदा के कारण से नहीं मरी है अपितु उनकी प्राकृतिक मृत्यु हुई है। हमने यह पाया कि गायों को मिल रहा पानी स्वच्छ है, चारा स्वच्छ है, उनके रहने की एवं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था उपयुक्त है। किन्तु अक्षयपात्र फाउण्डेशन द्वारा अभी इसमें और सुधार व विकास किया जाना है। हम प्रथम दृष्ट्या अक्षयपात्र फाउण्डेशन द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट दिनांक 8.5.2017 से संतुष्ट हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि वे राज्य सरकार व नगर निगम के सहयोग से और सुधार व विकास करेंगे।

न्यायालय के समक्ष जो स्थिति प्रकट हुई, उसे दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में सकारात्मक कदम उठाने हेतु निम्न बिन्दु अपेक्षित हैं:-

1. गायों, बछड़ों के सम्बन्ध में यह देखते हुए कि वह एक जीवित प्राणी है, निरीह है, हिन्दुओं की गाय में गहरी आस्था है, तथा इस बिन्दु को मध्यनजर रखते हुए कि नेपाल एक हिन्दूवादी राष्ट्र है और उनके नवीन संविधान द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। साथ ही भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है और राष्ट्र की जीविका का प्रमुख साधन कृषि एवं पशुपालन है। साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 एवं 51ए (g) को ध्यान में रखते हुए एवं गायों को विधिक अस्तित्व (Legal Entity) दिलाने के लिये, उनके संरक्षण एवं संवर्धन के लिये सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। इस हेतु मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार एवं महाधिवक्ता राजस्थान को गायों के संरक्षण एवं संवर्धन एवं उनको राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिये विधिक संरक्षक (Persons in Loco Parentis) नियुक्त किया जाता है। ये अधिकारीगण गायों की उचित देखभाल, उनके संरक्षण, संवर्धन, विधिक अस्तित्व दिलाने व राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिये उपयुक्त कदम उठायेंगे।

Rajasthan High Court Web Copy Not Official सत्यमेव जयते

2. महाधिवक्ता राजस्थान व मुख्य सचिव राजस्थान गायों के हित, संरक्षण, संवर्धन व विधिक अस्तित्व दिलाने व राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिये संबंधित समस्त विधिक कार्यवाहियों में राज्य सरकार की ओर से अपना समुचित पक्ष प्रस्तुत करेंगे और वे केन्द्र सरकार के संबंधित विभागों से सम्पर्क स्थापित करने के पश्चात न्यायालय की भावना से उनको अवगत कराते हुए इस हेतु उचित कदम उठायेंगे ताकि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराया जा सके।

3. राज्य सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के महानिदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक पद को धारित करने वाले अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे हिंगौनिया गौशाला में भ्रष्टाचार के बारे में

व्यक्तिगत रुप से देख रेख करेंगे तथा हर तीन माह में रिपोर्ट तलब करेंगे तथा इस न्यायालय द्वारा तलब करने पर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यदि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के महानिदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी का भी आचरण भ्रष्ट है या कोई भ्रष्टाचार प्रकट होता है तो वे उसकी प्राथमिक जांच करने के उपरान्त एफ.आई.आर. दर्ज करेंगे तथा इस बाबत संबंधित न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

Rajasthan High Court Web Copy Not Official सत्यमेव जयते

4. उप जिलाधीश/ गिरदावर, बस्सी ने अपनी रिपोर्ट में जो हिंगोनिया गौशाला की भूमि बतायी है उस पर अतिक्रमण सरकारी या गैर सरकारी नहीं हो उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि भूमि का चिरकाल तक वही उपयोग रखा जावे। जैसा कि इस बारे में निर्देश न्यायालय के उपरोक्त वर्णित आदेश द्वारा दिये गये हैं।

5. राज्य सरकार व नगर निगम से अपेक्षा की जाती है कि हिंगौनिया गोशाला के चहुंमुखी विकास हेतु भविष्य में किसी प्रकार बजट में कमी नहीं आने देगें तथा हिंगौनिया गौशाला हेतु निर्धारित बजट को हर माह की पन्द्रह तारीख तक रिलीज करवायेंगे।

6. राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध एवं निर्यात का विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत गौवंशीय पशु का वध किये जाने के लिये जो सजा का प्रावधान किया गया है उसके सम्बन्ध में सक्षम सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे बढ़ाया जाकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान कराया जावे ताकि गौवंशीय पशु को बचाया जा सके।

7. राज्य सरकार के गो-पालन विभाग से अपेक्षा की जाती है कि हरे कृष्णा मूवमेन्ट जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार बाउण्डरी बॉल हेतु, नये शेडों के निर्माण हेतु, बाटा एवं चारा के संग्रहण हेतु, भण्डार ग्रह के निर्माण हेतु, बिजली, पानी एवं दूरभाष हेतु, बायो गैस प्लांट हेतु एवं हिंगोनिया गौशाला में गायों की वर्तमान संख्या एवं भविष्य में होने

वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समुचित वित्तीय प्रबंध करेंगे और भविष्य में आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध करायेंगे।

8. राज्य सरकार से यह भी अपेक्षा की जाती है कि हिंगौनिया गौशाला में होने वाले खर्चे का दुरुपयोग नहीं हो इस हेतु समय समय पर गौशाला में होने वाली खर्चे की मानीटरिंग हेतु व्यवस्था कराई जावेगी।

Rajasthan High Court Web Copy Not Official सत्यमेव जयते

9. हरे कृष्णा मूवमेन्ट जयपुर द्वारा हिंगानिया गौशाला को गोद लेने के बाद सुधार हुआ है। अत: राज्य सरकार एवं नगर निगम से यह अपेक्षा की जाती है कि हरे कृष्णा मूवमेन्ट जयपुर द्वारा किये जा रहे चहुंमुखी विकास को चिरकाल तक बनाये रखने में अपना सहयोग करेंगे।

10. यदि हरे कृष्णा मूवमेन्ट जयपुर द्वारा अतिक्रमण बाबत एवं अन्य प्रकार की कोई पेरशानी आती है तो जे.डी.ए. कमिश्नर व नगर निगम के सीईओ को इस बाबत लिखित आवेदन दें। जे.डी.ए. कमिश्नर व सीईओ नगर निगम तुरंत इस आवेदन पर कार्यवाही करेगें।

11. अनुबन्ध में अंकित अनुसार हिंगौनिया गौशाला में हरे कृष्णा मूवमेन्ट जयपुर चेरिटेबल ट्रस्ट धर्मानुकूल कार्य जैसे वेद पाठशाला या इससे संबंधित कोई विघालय स्थापित करना चाहे या इससे संबंधित कोई कार्य करना चाहे जो अनुबन्ध में वर्णित है तो राज्य सरकार/जयपुर नगर निगम से अपेक्षा की जाती है कि वह इस हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे।

12. वन विभाग के संबंधित अधिकारीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह हिंगोनिया गौशाला में पांच हजार पेड़ पौधे प्रतिवर्ष लगवायेंगे तथा उनकी समुचित देखभाल करवायेंगे।

13. राज्य सरकार से यह भी अपेक्षा की जाती है कि रेवेन्यु रिकॉर्ड में

जो भी गलत इन्द्राज हुये हैं, वे सब निरस्त करवाये जायेंगे और गौशाला की भूमि का गौशाला के नाम से इन्द्राज करवायेंगे और अतिक्रमण रोकने के लिए सकारात्मक कदम उठायेंगे। साथ ही डी.पी.आर के हिसाब से निर्माण कार्य करवाया जावेगा।

14. सभी संबंधित व्यक्तियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे दिनांक 16.3.2012 को सहमति के आधार पर पारित किये गये निर्णय की अक्षरश: पालना करेंगे। यदि दिनांक 16.3.2012 को सहमति के आधार पर पारित किये गये निर्णय की पालना नहीं होती है तो इस हेतु यह न्यायालय श्री सज्जन राज सुराणा वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री पूनम चन्द भण्डारी, श्री ललित शर्मा, श्री विजय सिंह पूनियां, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महासचिव पद को धारित करने वाले अधिवक्तागण की एक कमेटी का गठन किया जाता है ताकि चिरकाल तक इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की अक्षरश: पालना होती रहे। श्री सज्जनराज सुराणा इस कमेटी के अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। साथ ही उपरोक्त वर्णित कमेटी से यह अपेक्षा की जाती है कि इस न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की अक्षरश: पालना नहीं होने की अवस्था में यह कमेटी अवमानना याचिका प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र व सक्षम होगी।

Rajasthan High Court Web Copy Not Official
सत्यमेव जयते

15. गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिये यदि कोई व्यक्ति/संस्था चाहे तो वह जनहित याचिका प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र होगी।

16. यदि कोई व्यक्ति हिंगौनिया गौशाला के सम्बन्ध में लापरवाह पाया जावे तो उसका दायित्व नियत किया जावे तथा राज्य सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसके विरुद्व समुचित कदम उठावे।

17. जे.डी.ए. कमिश्नर, सी.ई.ओ. नगर निगम एवं यू.डी.एच. सेक्रेटरी संबंधित स्टाफ लेकर एक माह में कम से कम एक बार हिंगोनिया गौशाला जाकर निरीक्षण करेंगे एवं हरे कृष्णा मूवमेन्ट जयपुर चेरिटेबल

ट्रस्ट के संबंधित व्यक्ति से मिलकर जो भी समस्याएं आती हैं उनका तुरन्त प्रभाव से निवारण करेंगे।

18. कोर्ट कमिश्नर एवं अन्य अधिवक्तागण जो लगातार हिंगोनिया गौशाला का निरीक्षण कर रहे हैं यदि वे किसी भी प्रकार की कमी या अनियमितता पाते हैं तो वे संबंधित अधिकारी को लिखित में दें। संबंधित अधिकारी उसका निवारण किसी भी प्रकार से 15 दिन में करें। ऐसा न किये जाने पर कोर्ट कमिश्नर को यह अधिकार होगा कि वे इस न्यायालय के समक्ष चाराजोही के लिये अपना प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करेंगे।

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

19. अंधी गायों के ऑपरेशन हेतु तुरन्त कार्यवाही करें एवं यदि किसी भी प्रकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है तो हरे कृष्णा मूवमेन्ट चेरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर संबंधित अधिवक्ता या संबंधित अधिकारी को लिखित में दें जिसका निवारण 15 दिवस में किसी भी प्रकार से किया जाए।

20. उप निबन्धक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक एक प्रति समस्त संबंधित अधिवक्तागण को निःशुल्क प्रदान करें एवं संबंधित अधिकारीगण को प्रेषित करें।

महेशचन्द्र शर्मा
न्यायाधिपति

सुरेश